महानगर नई दिल्ली सोमवार 24 जून, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com | epaper.jansatta.com | facebook.com/jansatta | twitter.com/jansatta

शोपियां में सुरक्षा बलों ने चार आतंकी मार गिराए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

जम्मू और कश्मीर के शोपियां में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में गजवातुल हिंद के चार आतंकवादी मारे गए। इनमें शौकत अहमद मीर भी है, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी गंभीर रहा है। कई सैन्य शिविरों पर हमले और स्थानीय नागरिकों की हत्या के कई मामलों में वह वांछित था। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, शोपियां के कीगम में दारमदोरा इलाके में इन आतंकियों के छिपे होने की सूचना सुरक्षाबलों को मिली थी। इलाके में तलाशी अभियान के दौरान घिरे आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षाबलों ने चारों आतंकियों को मार गिराया।

प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों के शव और उनके हथियार बरामद कर लिए गए हैं। पूरा अभियान बाग वाले क्षेत्र पर केंद्रित था। सुरक्षाबलों की ओर से चलाए गए अभियान के दौरान किसी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। मुठभेड़ वाली जगह से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए हैं। फिलहाल शोपियां जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवाओं को बंद किया है।

मार गिराए गए आतंकियों की पहचान चांदपोरा के शौकत अहमद मीर, पुलवामा के अहमद खांडे, बरथिपोरा के सुहैल युसूफ और शोपियां के रफी हसन मीर के तौर पर हुई है। प्रवक्ता के मुताबिक, इस अभियान में 44 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ के कमांडो शामिल हुए। शोपियां जिले के पंजार इलाके में खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई।

जिन चार आतंकियों को मार गिराया गया है, उनमें शौकत का सबसे खतरनाक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह 2015 से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा। शुरू में वह हिज्बुल मुजाहिदीन में रहा। बाद में गजवातुल हिंद से जुड़ गया। सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ-साथ आम लोगों पर हमलों के कई मामलों में बाकी पेज 8 पर

मारे गए आतंकियों में शौकत अहमद मीर भी
कई सैन्य शिविरों पर हमलों में शौकत वांछित था
मुठभेड़ स्थल से बड़ी संख्या में हथियार बरामद

शोपियां में मुठभेड़ स्थल के नजदीक सुरक्षाकर्मी।

114 आतंकी ढेर इस साल अब तक

65 सेना के जवान शहीद हुए जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ों में साल 2019 में

257 आतंकी मारे गए थे 2018 में घाटी में

23 विदेशी आतंकवादी भी इस साल सुरक्षा बलों का निशाना बने

25 आतंकी मारे गए शोपियां में जो कश्मीर में सर्वाधिक संख्या है

91 सेना के जवान शहीद हुए थे साल 2018 में

बुजुर्ग दंपति व घरेलू सहायिका की हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

वसंत विहार थाना क्षेत्र के वसंत अपार्टमेंट में रहने वाले सेवानिवृत्त बुजुर्ग दंपति और उनकी घरेलू सहायिका की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस को रविवार सुबह नौ बजे वारदात की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि विष्णु माथुर (80) उनकी पत्नी शशि माथुर (75) और घरेलू सहायिका खुश्बू (20) का शव खून से लथपथ हालत में पड़ा है। फर्श पर पड़े खून के धब्बे सूख गए थे। इस आधार पर माना जा रहा था कि हत्या कई घंटे पहले देर रात में ही की जा चुकी थी।

पुलिस ने तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हालांकि घर का सारा सामान अस्त-व्यस्त है लेकिन पुलिस लूटपाट की वारदात से इनकार कर रही है। फिलहाल वसंत विहार थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। शुरुआती जांच के बाद शक की सुई खूश्बू के पुरुष मित्र की ओर घूम रही है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बीते 24 घंटे में नौ लोगों की हत्या के बाद दिल्ली में दहशत का माहौल है। दक्षिणी-पश्चिमी बाकी पेज 8 पर

घर का सारा सामान मिला अस्त-व्यस्त पर पुलिस लूटपाट से कर रही है इनकार।
बुजुर्ग दंपति का शव बेड पर, सहायिका का शव हॉल में फर्श पर पड़ा मिला।
पुलिस घटनास्थल के आसपास से मिले सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुटी।

09 लोगों की हत्या 24 घंटे में दिल्ली

खबरें पेज 3-4

राम कथा के दौरान पंडाल गिरा, 14 लोगों की मौत

जनसत्ता ब्यूरो/भाषा
जयपुर, 23 जून।

राजस्थान के सीमावर्ती बाड़मेर जिले में रविवार को राम कथा के दौरान पंडाल गिरने से तीन महिलाओं सहित 14 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसे में लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे की जांच का आदेश देते हुए मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित अनेक नेताओं ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है।

रविवार अपराह्न यह हादसा उस समय हुआ जब बालोतरा कस्बे के पास जसोल धाम में एक स्कूल में कथा चल रही थी। तभी अंधड़ और बारिश के बीच पंडाल नीचे श्रद्धालुओं पर आ गिरा। सैकड़ों श्रद्धालुओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला व वे नीचे दब गए। बालोतरा सीमावर्ती बाड़मेर जिले का एक कस्बा है। बालोतरा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव ने कहा कि 14 व्यक्तियों की मौत हुई है और 50 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि श्री राणी भटियाणी मंदिर संस्थान जसोल के तत्वावधान में आयोजित यह रामकथा एक स्कूल में चल रही थी। कथाकार मुरलीधर महाराज कथा कर रहे थे कि इसी दौरान बारिश और तेज अंधड़ शुरू हो गया। अंधड़ इतना तेज था कि पूरा टेंट हवा में लहराने लगा। कथावाचक ने लोगों को आगाह करते हुए बाहर निकलने को कहा लेकिन कुछ ही सेकेंड में पूरा टेंट नीचे आ गिरा। सैकड़ों श्रद्धालु नीचे दब गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेंट के लोहे के खंबों में बिजली का करंट भी दौड़ गया लेकिन स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे कर घायलों को निकाला और अस्पताल पहुंचाया।

मुख्यमंत्री गहलोत ने हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए जोधपुर के संभागीय आयुक्त बीएल कोठारी को घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। गहलोत ने हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन व चिकित्सा अधिकारियों बाकी पेज 8 पर

बाड़मेर के जसोल कस्बे में हुआ हादसा

50 श्रद्धालु घायल, आंधी के कारण गिरा पंडाल

बालाकोट के साथ ही पाक पर समुद्री हमले की भी थी तैयारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना की कार्रवाई के साथ ही पाकिस्तान पर समुद्री हमले की भी तैयारी थी। नौसेना ने जलसीमा पर पनडुब्बी आइएनएस कलवारी, परमाणु चालित आइएनएस चक्र व विमान वाहक पोत आइएनएस विक्रमादित्य समेत 60 से ज्यादा युद्धपोत तैनात किए थे। दरअसल, पुलवामा के बाद कराची में तैनात पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस-साद की संदेहास्पद गतिविधियां देखे जाने के बाद भारतीय नौसेना ने समुद्री कार्रवाई की योजना बनाई थी।

नौसेना के प्रवक्ता के मुताबिक, पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट स्थित जैश के ठिकानों पर हवाई हमला किया तो पाकिस्तान ने अपनी आधुनिक माने जाने वाली अगस्ता क्लास पनडुब्बी पीएनएस साद को पाकिस्तानी जल सीमा से हटा लिया था।

नौसेना प्रवक्ता के मुताबिक, कराची के पास का स्थान जहां से पीएनएस साद गायब हुई, वहां से वह तीन बाकी पेज 8 पर

कराची के पास दिखी थी पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस-साद की संदिग्ध गतिविधियां

भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी आइएनएस कलवारी को जलसीमा पर तैनात किया था

एअर इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक चोरी के आरोप में निलंबित

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

सिडनी हवाई अड्डे पर एक कर मुक्त (ड्यूटी-फ्री) दुकान से कथित तौर पर बटुआ चुराने के मामले में एअर इंडिया ने अपने क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) रोहित भसीन को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

भसीन के बिना अनुमति के एअर इंडिया परिसर में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी गई है। भसीन को एआइ301 विमान के एक कमांडर (पायलट) के तौर पर तैनात किया गया था। उनका विमान 22 जून की सुबह 10.45 बजे (स्थानीय समय) सिडनी हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाला था।

भसीन के बिना अनुमति के एअर इंडिया परिसर में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी गई है। भसीन को एआइ301 विमान के एक कमांडर (पायलट) के तौर पर तैनात किया गया था।

एअर इंडिया (एआइ) के एक प्रवक्ता ने कहा कि प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक एक कैप्टन रोहित भसीन सिडनी में एक कर मुक्त दुकान से बटुआ चोरी करते पकड़े गए। भसीन क्षेत्रीय निदेशक भी हैं। एअर इंडिया ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और तब तक कैप्टन को निलंबित कर दिया गया है।

एअर इंडिया ने शनिवार को जारी निलंबन आदेश में कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा दी गई रिपोर्ट के मुताबिक आपने सिडनी हवाई अड्डे पर 22 जून, 2019 को उड़ान एआइ 301 के बाकी पेज 8 पर

वाहनों के लिए एक सितंबर से नया नियम

भूकम्प, बाढ़ से होने वाले नुकसान का बीमा अलग से होगा उपलब्ध

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

साधारण बीमा कंपनियां अब वाहनों को भूकम्प, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोड़फोड़ एवं दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएंगी।

बीमा नियामक इरडा ने साधारण बीमा कंपनियों को एक सितंबर से नई एवं पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का बीमा उपलब्ध कराने को कहा है।

भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण (इरडा) ने उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए अपने पूर्व के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि एक सितंबर से कार एवं दोपहिया वाहनों के लिए इस प्रकार की एकमुश्त बंडल बाकी पेज 8 पर

मुजफ्फरपुर में बनेगी 'शिशु-गहन चिकित्सा इकाई'

हर्षवर्धन ने कहा, इसमें सौ बिस्तर होंगे

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि दिमागी बुखार से प्रभावित बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 100 बिस्तरों वाली 'शिशु-गहन चिकित्सा इकाई' (पी-आइसीयू) के स्थान और डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य में दिमागी बुखार बाकी पेज 8 पर

दिमागी बुखार के मामले घटे

पटना/मुजफ्फरपुर, 23 जून (भाषा)।

बिहार में बारिश की शुरुआत होने के साथ ही रविवार को एक्यूट इंसैफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) के मामलों में कमी देखी गई। इस बीमारी को लोग दिमागी बुखार भी कह रहे हैं। इस बीच, मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) में प्रतिनियुक्त एक चिकित्सक को ड्यूटी से गायब रहने पर निलंबित कर दिया गया है। इस बीच, इस बीमारी का एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है।

बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने रविवार को बताया 'पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. भीमसेन कुमार की गत 19 जून से एसकेएमसीएच में प्रतिनियुक्ति की गई थी। वह वहां रिपोर्ट करने में विफल रहे। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच के बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई हो सकती है।' इस बीच, एसकेएमसीएच बाकी पेज 8 पर

दोषी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करें प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश एसएन शुक्ला को एक आंतरिक जांच समिति द्वारा कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है।

तीन सदस्यीय आंतरिक समिति ने जनवरी 2018 में पाया था कि न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ शिकायत में पर्याप्त तथ्य हैं और ये गंभीर हैं, जो उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं। समिति में मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बाकी पेज 8 पर

आंतरिक जांच में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश को कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश ने लिखी चिट्ठी

दरअसल

91 बड़े जलाशयों में 80 फीसद से कम पानी मौजूद | **चिंताजनक** | **22 जून तक औसतन 39 फीसद कमी दर्ज की गई वर्षा की**

मौसम विभाग के 84 फीसद उपसंभागों में बेहद कम बारिश

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

मानसून कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल मौसम विभाग के 84 प्रतिशत उपसंभागों में बेहद कम बारिश दर्ज की गई है।

वहीं, केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश के 91 बड़े जलाशयों में से 80 प्रतिशत में पानी सामान्य से कम है। यहां तक कि 11 जलाशयों में पानी का भंडारण शून्य प्रतिशत है जो देश में पानी की भीषण कमी को दिखाता है।

देश में बारिश का मौसम एक जून से शुरू होकर 30 सितंबर तक होता है, लेकिन 22 जून तक मानसून में औसतन 39 फीसद कमी दर्ज की गई है।

ओडिशा और लक्षद्वीप संभागों में 'सामान्य' वर्षा दर्ज की गई है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वी राजस्थान में 'ज्यादा' बारिश दर्ज की गई है जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 'बहुत ज्यादा बारिश' दर्ज की गई है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के चार संभाग हैं.... पूर्व एवं उत्तर पूर्व, दक्षिणी प्रायद्वीप, मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत। पूर्व एवं उत्तर पूर्व संभाग में पूर्वोत्तर के राज्य, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल आते हैं। इन सभी क्षेत्रों में कम बारिश हुई है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र सहित चार उपसंभागों में 'बेहद कम' बारिश हुई है। इन क्षेत्रों के जलाशयों में भंडारण बिलकुल निचले स्तर पर पहुंचने के कारण यहां सूखे जैसी स्थिति है। पूर्वी मध्य प्रदेश उपसंभाग में भी 'बेहद कम' वर्षा दर्ज हुई है।

मध्य भारत के गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ उपसंभागों में भी 'कम' वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि चक्रवात 'वाय' ने जरूर बारिश की कमी से कुछ राहत दिलाई है।इन दो उपसंभागों में नौ जून तक बारिश की कमी 100 प्रतिशत तक थी। दक्षिणी प्रायद्वीप संभाग के 10 में से 8 संभाग में बेहद कम बारिश दर्ज की गई। इन दो संभागों में अंडमान और निकोबार द्वीप संभाग में अतिरिक्त बारिश जबकि लक्षद्वीप में सामान्य बारिश दर्ज की गई। हालांकि स्थिति में थोड़ा सुधार दिख रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकतर हिस्सों में मानसून आगे बढ़ा है।

10 उपसंभागों (मध्य भारत) में से सिर्फ ओड़ीशा में सामान्य बारिश हुई है।

36 उपसंभागों में से 25 फीसद ने 'कम' वर्षा दर्ज की है जबकि छह उपसंभागों में 'बेहद कम बारिश' दर्ज की गई है।

भीषण जल संकट से जूझ रहे चेन्नई, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल उपसंभाग में करीब 38 फीसद कम बारिश दर्ज हुई।

'बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए दखल दें प्रधानमंत्री'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल के इंजीनियरों और लेखा पेशेवरों के एक संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कंपनी के पुनरुद्धार के वास्ते हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बीएसएनएल पर कोई कर्ज नहीं है और इसकी बाजार हिस्सेदारी में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में कंपनी को फिर से खड़ा किया जाना चाहिए। कंपनी में उन कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं।

'दि आल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम आफिसर्स एसोसिएशन (एआईजीईटीओए)' ने प्रधानमंत्री को इस बारे में पत्र लिखा है। पत्र में प्रधानमंत्री से कंपनी के नकदी संकट को दूर करने के लिए बजट समर्थन दिए जाने का अनुरोध किया गया है। इसमें कहा गया है कि नकदी संकट की वजह से कंपनी का परिचालन और सेवाओं का रखरखाव प्रभावित हो रहा है। पत्र में कहा गया है– हमारा मानना है कि मौजूदा नकदी संकट को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से मिलने वाले न्यूनतम समर्थन से भी बीएसएनएल को एक बार फिर से मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में शामिल किया जा सकता है। एसोसिएशन ने कहा है कि बीएसएनएल में कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन आधारित व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।

लापता हुए विदेशी पर्वतारोहियों में से सात के शव मिले

पिथौरागढ, 23 जून (भाषा)।

करीब एक महीने पहले नंदा देवी पूर्व चोटी पर चढ़ने के दौरान लापता हुए विदेशी पर्वतारोहियों में से सात के शव भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के एक दल ने रविवार को बर्फ से बाहर निकाल लिए। आइटीबीपी के उपमहानिरीक्षक एपीडी निंबाडिया ने बताया कि आइटीबीपी की दस सदस्यीय टीम ने पिंडारी ग्लेशियर की तरफ नंदा देवी पूर्व की पश्चिमी चोटी पर बर्फ के अंदर दबे सात पर्वतारोहियों के शवों को खोद कर बाहर निकाल लिया है। इन शवों में से एक महिला पर्वतारोही का भी शव है।

उन्होंने बताया कि आठवें पर्वतारोही के शव की तलाश की जा रही है। चोटी पर आरोहण के दौरान आठ सदस्यीय पर्वतारोही दल लापता हो गया था। निंबाडिया ने बताया कि 17800 फुट की ऊंचाई पर स्थित पहाडी से शव निकालने के लिए अभियान एक हफ्ते पहले शुरू किया गया था।

उन्होंने कहा कि डेयर डेविल नाम के इस अभियान में भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टरों की भी मदद ली गई है। निंबाडिया ने बताया कि शवों की अभी पहचान नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आधार शिविर लाने के बाद ही उनकी पहचान करना संभव हो पाएगा।

ब्रिटिश पर्वतारोही मार्टिन मोरान के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित 7434 मीटर ऊंची नंदा देवी पूर्व चोटी को फतेह करने निकली थी लेकिन रास्ते में ही लापता हो गई थी।

पर्वतारोहियों की तलाश के लिए तीन जून को गए भारतीय वायु सेना के हेलिकॉप्टर ने नंदा देवी पूर्व चोटी के पास स्थित एक अनाम चोटी पर पांच शवों को देखा था लेकिन खराब मौसम के कारण हेलिकॉप्टर नहीं उतर पाया और उन शवों को नहीं निकाला जा सका।

जाने माने ब्रिटिश पर्वतारोही मार्टिन मोरान के नेतृत्व में आठ सदस्यीय टीम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित 7434 मीटर ऊंची नंदा देवी पूर्व चोटी को फतेह करने निकली थी लेकिन रास्ते में ही लापता हो गई थी।

मोरान पहले भी दो बार इस चोटी को फतेह कर चुके हैं। लापता पर्वतारोहियों में ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया के सात पर्वतारोहियों के अलावा दिल्ली स्थित 'इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन' (आइएमएफ) के लाइजन अफसर चेतन पांडे भी शामिल हैं। टीम 13 मई को मुनस्यारी से निकली थी लेकिन 25 मई की तय तारीख तक वापस नहीं लौटी ।

हार के बाद मायावती ने परिवार पर जताया भरोसा

भतीजे आकाश को बसपा का राष्ट्रीय समन्वयक और भाई आनंद को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

लखनऊ, 23 जून (भाषा)।

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संगठन में अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, देश के सभी राज्यों में पार्टी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी दी गई है। रविवार को हुई बैठक में मौजूद रहे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक और आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है।

इसके अलावा राम जी गौतम को भी राष्ट्रीय समन्व्यक बनाया गया है। आनंद कुमार पहले भी पार्टी के पदाधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि अमरोहा संसदीय सीट से सांसद चुने गए दानिश अली को लोकसभा में पार्टी का नेता सदन और नगीना से सांसद गिरीश चंद्र को मुख्य सचेतक बनाया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश मिश्र पहले की तरह राज्यसभा में पार्टी के नेता के रूप में रहेंगे।

बसपा प्रमुख के एलान के बाद 24 वर्षीय आकाश आनंद अब पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे। कहा जा रहा है कि पुरानी पद्धति पर काम कर रही बसपा में आकाश के आने के बाद से कई बदलाव आए। सूत्रों के अनुसार, सामान्यतः मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहने वाली मायावती अपने भतीजे के कहने पर ट्विटर पर आईं और लोकसभा चुनाव से पहले आधिकारिक अकाउंट बनाया। मायावती अब लगातार ट्विटर के जरिए भाजपा पर हमला बोलती हैं। आकाश, मायावती के भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने पहली बार मायावती के साथ 2017 में मेरठ में एक सार्वजनिक सभा में मंच साझा किया था। इस बार के लोकसभा चुनाव में आकाश, मायावती के साथ चुनाव सभाओं में दिखते रहे हैं। 16 अप्रैल को जब मायावती पर चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में 48 घंटे का प्रतिबंध लगाया था तब आकाश ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद प्रमुख अजीत सिंह के साथ आगरा में एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया था ।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक सुबह दस बजे से थी लेकिन पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सांसद और विधायक सुबह नौ बजे बैठक स्थल पर पहुंच गए। बैठक से पहले सारे नेताओं के मोबाइल फोन जमा करा लिए गए। यहां तक कि उनके पेन, पर्स, बैग और डिजिटल घड़ी निकालने के बाद उन्हें मीटिंग हॉल में अंदर जाने दिया गया।

बसपा की रविवार की यह अहम बैठक उप्र 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले हुई है। इन 13 सीटों में से पांच सीटें पश्चिमी उप्र की हैं। इन 13 में से 11 सीटें भाजपा के पास थीं। इस बैठक में इन सीटों पर पार्टी के उपचुनाव लड़ने के बारे में भी चर्चा की गई। विधानसभा उपचुनाव मायावती के लिए बेहद अहम हैं। लोकसभा चुनाव बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और पार्टी को 10 सीटें मिलीं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। अब पार्टी सपा से अलग होने का एलान कर चुकी है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I,Yashvie Khare D/O Vivek Khare R/O-M-101 Anupam Apartments, East Arjun-Nagar, New Delhi-110032, Have Changed My Name To Yasshvie V Khare For All Purposes. 0040500382-2

I, Sushma W/O Virender Kumar R/O C-7/58-A, Keshav Puram, Delhi-110035. Have Changed My Name To Sushma Gairola. 0040500399-7

I, Suraj Kumar R/o B-9, 2nd Floor, Gagan Appartment, Gagan Vihar Extn., Delhi-110051, have changed my minor daughter's name from Ahaana Singh to Aahana Singh for all purposes. 0040500395-1

I, Soniya Kochar W/o Jayant Kumar R/o B62, Vikas Nagar, New Delhi-110059 have changed my name from Shweta Mehta to Soniya Kochar for all future purposes. 0040500338-1

I, Priyanka D/O Sanjay Thakur R/O C-839,J.J Colony, Hastsal Road, Uttam Nagar, Delhi-110059. Have Changed My Name to Priyanka Thakur. 0040500399-9

I, Mansi Kapoor W/O Pawan Kumar R/O F-459, Karampura, Delhi-110015. Have Changed My Name To Mansi Kapoor Batra. 0040500399-8

I, Hema/Hema Thakur W/O Sanjay Thakur R/O C-839, J.J Colony, Hastsal ROAD, Uttam Nagar, Delhi-110059. Changed My Name to Madhu. 0040500399-10

I, Arun Arora S/o Kashmiri Lal Arora R/o C-46, Sector-26, Noida have changed my name from Arun Kumar Arora to Arun Arora for all future purposes. 0040500375-1

I, Ankit Kumar Kushwaha S/o Bhanu Pratap Kushwaha R/o-A-282, Durga Vihar, Khanpur, Delhi- 110062 changed my name to Ankit Kushwaha. 0040500382-1

I Manish Shankar Thakur R/o FF1 1st floor, plot no. 47, Gyankhand 2, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 have changed my name to Mannish Thakkur for all purposes. 0070661654-1

खोया+पाया

I, Mridul Garg S/o Pradeep Kumar Garg R/o 6556, Block-9, Street Number-1, Dev Nagar, Delhi-110005, have lost my original 10th Class Certificate/ Mark sheet having Roll no.- 8192074 Year-2017, Finder may contact: 9958120263. 0040500341-1

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

विधायक चैंपियन तीन महीने के लिए भाजपा से निलंबित

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 23 जून।

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के विवादास्पद विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही भाजपा के रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल को रुद्रपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग टोल टैक्स के बैरियर को तोड़ने और कर्मचारियों की पिटाई करने के मामले में कारण बताओ नोटिस दिया गया है।

भाजपा से निलंबित विधायक चैंपियन ने पिछले दिनों एक चैनल के पत्रकार के साथ किए दुर्व्यवहार किया और कथित रूप से उस पत्रकार को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था।

रविवार को ऋषिकेश में भाजपा की कार्यसमिति की बैठक के बाद पत्रकारों को भाजपा के दोनों बिगड़ैल विधायकों पर की गई अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने दी। उन्होंने बताया कि चैंपियन ने एक पत्रकार के साथ जो गैरजिम्मेदाराना बर्ताव किया और भाजपा के ही एक विधायक देशराज कर्णवाल के साथ विवाद में सार्वजनिक रूप से उलझे, वह अनुशासनहीनता है। इसके अलावा अनुशासनहीनता के कुछ अन्य मामलों की प्राथमिक जांच के बाद प्रदेश प्रदेश भाजपा कार्यसमिति ने चैंपियन को तीन महीने के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित कर दिया है।

भट्ट ने बताया कि चैंपियन अब तीन महीने तक पार्टी की किसी बैठक व विधान मंडल दल की बैठक में भाग नहीं ले सकेंगे। उन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। उनके खिलाफ कुछ अन्य मामलों में भी जांच चल रही है। अगर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि उन्होंने संतोषजनक जवाब दिया तो उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की समय सीमा घटाई जा सकती है।

उन्होंने कहा कि भाजपा के दूसरे विधायक राजकुमार ठुकराल के खिलाफ भी कार्य समिति ने कड़ा फैसला लेते हुए उन्हें अनुशासनहीनता के मामले में कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस का जवाब आने के बाद उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी।

राजौरी में खाई में गिरा वाहन, पांच की मौत

जम्मू, 23 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में रविवार को एक वाहन के 200 फीट गहरी खाई में गिरने से कम-से-कम पांच लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना सीमावर्ती जिले के बुधाल के पास केवाल गांव में शाम के तकरीबन 4.15 बजे हुई। उन्होंने कहा कि सड़क से वाहन के फिसलकर खाई में गिर गई। घटना के तुरंत बाद बचाव अभियान चलाया गया।

अधिकारी ने कहा कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन के चालक और दो अन्य लोगों ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि तीनों घायलों को दुर्घटनास्थल से बाहर निकालने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कांशीराम की नीतियों के उलट चल रही हैं मायावती

अनिल बंसल
नई दिल्ली, 23 जून।

अपने भाई आनंद कुमार को पार्टी का उपाध्यक्ष और भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोआर्डिनेटर बना कर बसपा सुप्रीमो मायावती ने साबित कर दिया है कि वे पार्टी के संस्थापक कांशीराम की नीतियों के एकदम उलट चल रही हैं। कांशीराम ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ा था। मायावती ने भी पहला लोकसभा चुनाव जरूर 1984 में कैराना की सामान्य सीट से लड़ा था पर उसके बाद उन्होंने सभी चुनाव आरक्षित सीटों से लड़े।

कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी को लंबे संघर्ष और सांगठनिक कौशल से खड़ा किया था। उन्होंने हर राज्य में एक कद्दावर नेता को उभारने की रणनीति अपनाई थी। शुरुआती दौर में मायावती महज उत्तर प्रदेश की नेता थीं। पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश व हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों में कांशीराम ने पार्टी की कमान दूसरे नेताओं को सौंप रखी थी। उसी का नतीजा था कि मध्यप्रदेश में पार्टी 1996 में दो लोकसभा सीटों पर जीत गई थी। यहां तक कि उसके उम्मीदवार सुखलाल कुशवाहा ने इस चुनाव में सूबे के कद्दावर कांग्रेसी नेता अर्जुन सिंह और मुख्यमंत्री रहे भाजपा के कद्दावर नेता वीरेंद्र कुमार सकलेचा दोनों को शिकस्त दे दी थी। पर कांशीराम की बीमारी के बाद मध्यप्रदेश के बसपा नेता फूल सिंह बरैया से मायावती की पटरी नहीं बैठी। नतीजतन बरैया पार्टी से निकाल दिए गए।

कांशीराम ने पार्टी में अपने परिवार के किसी सदस्य को कभी बढ़ावा नहीं दिया। शुरू में मायावती भी वंशवाद का विरोध करती थीं। उन्होंने बाकायदा एलान भी किया था कि बसपा में उनका उत्तराधिकारी दलित तो जरूर होगा पर उनके परिवार का सदस्य नहीं होगा। लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि भविष्य में पार्टी का नेतृत्व उनके परिवार के पास ही रहेगा।

कांशीराम ने पहला लोकसभा चुनाव इलाहाबाद में 1988 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ा था और हारे थे। लेकिन 1991 में वे सपा की मदद से इटावा की सामान्य सीट से लोकसभा के लिए चुने गए थे। सपा से नाता टूटने के कारण 1996 के चुनाव में वे पंजाब की होशियारपुर सीट से लोकसभा में आए। अगली बार उन्होंने 1998 में सहारनपुर की सामान्य सीट पर किस्मत आजमाई और हार गए।

कहने को बहुजन समाज पार्टी इस समय भी राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त पार्टी है। पर किसी भी सूबे में उसके पास एक भी कद्दावर नेता नहीं है। यूपी में पार्टी के 19, मध्यप्रदेश में दो, राजस्थान में छह और छत्तीसगढ़ में दो विधायक हैं। लोकसभा में भी पार्टी को दस सीटों पर केवल उत्तर प्रदेश से ही सफलता मिली है। अगर संसद की बात करें तो 1989, 1991 और 1996 के तीनों चुनावों में पार्टी को यूपी के अलावा मध्यप्रदेश और पंजाब में भी सफलता मिली थी। वह दौर कांशीराम का था। उनके बीमार पड़ने के बाद 1999 में यूपी में यों बसपा की ताकत बढ़कर 14 और 2004 में 19 सीटों तक जा पहुंची थी। लेकिन बाकी किसी सूबे में पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई थी। हां, 2009 में जरूर यूपी की 20 सीटों के साथ पार्टी को मध्यप्रदेश में भी एक सीट पर सफलता मिल गई थी।

उत्तर प्रदेश में भी 2014 में लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खुलने के बाद से पार्टी के कई कद्दावर नेता बाहर जा चुके हैं। मसलन, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामवीर उपाध्याय, बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य आदि। एक दशक पहले तक पार्टी का जनाधार केवल दलितों में ही नहीं बल्कि सूबे की अति पिछड़ी जातियों में भी था। विधानसभा के 2007 के जिस चुनाव में बहुमत पाकर मायावती यूपी की चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थीं, उस चुनाव में तो अगड़ों ने भी बड़े पैमाने पर बसपा का समर्थन किया था।

परिवारवाद की राह पर

कांशीराम ने पार्टी में अपने परिवार के किसी सदस्य को कभी बढ़ावा नहीं दिया। शुरू में मायावती भी वंशवाद का विरोध करती थीं। उन्होंने बाकायदा एलान भी किया था कि बसपा में उनका उत्तराधिकारी दलित तो जरूर होगा पर उनके परिवार का सदस्य नहीं होगा। लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि भविष्य में पार्टी का नेतृत्व उनके परिवार के पास ही रहेगा।

'गैर-गांधी' हो सकता है कांग्रेस प्रमुख : मणिशंकर

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहने की अनिश्चितता के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने रविवार को कहा कि एक 'गैर गांधी' पार्टी का प्रमुख हो सकता है लेकिन गांधी परिवार को संगठन के भीतर सक्रिय रहना होगा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा का लक्ष्य 'गांधी मुक्त कांग्रेस' है ताकि 'कांग्रेस मुक्त भारत' का उनका उद्देश्य पूरा हो सके।

अय्यर ने कहा कि अगर राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बने रहते हैं तो यह सबसे अच्छा होगा लेकिन साथ ही राहुल की इच्छाओं का भी सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं आश्वस्त हूं कि पार्टी का अध्यक्ष कोई नेहरू-गांधी न हो तब भी हमारा अस्तित्व कायम रहेगा बशर्ते नेहरू-गांधी परिवार पार्टी में सक्रिय रहे और ऐसे संकट का समाधान निकालने में मदद करे जहां गंभीर मतभेद उत्पन्न हों।' अय्यर ने कहा कि राहुल ने अध्यक्ष पद के लिए कोई अन्य विकल्प तलाशने के लिए एक महीने का वक्त दिया है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के भीतर बातचीत जारी है। पार्टी में ज्यादातर लोग राहुल के पद पर बने रहने के पक्ष में हैं।

हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया को अटकलें लगाने की बजाए यह जानने के लिए अंतिम समय सीमा का इंतजार करना चाहिए कि क्या कोई विकल्प मिल गया है या राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने के लिए मना लिया गया है। अय्यर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि यह व्यक्तित्व का मामला है। मैं जानता हूं कि भाजपा का लक्ष्य गांधी मुक्त कांग्रेस और नतीजन कांग्रेस मुक्त भारत है। मेरे विचार में हम उस सोच के जाल में फंसने वाले नहीं हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा पता लगा लिया है जिसे खोज पाने में हम असमर्थ हैं।'

संगठन के शीर्ष पर फेरबदल की जरूरत को लेकर पूछे गए सवाल पर 78 वर्षीय अय्यर ने कहा, 'अगर आप सिर ही कलम कर देंगे तो धड़ फड़फड़ाने लगेगा।' अय्यर ने पार्टी के इतिहास से ऐसे कई उदाहरण पेश किए जब नेहरू-गांधी परिवार से बाहर के लोग पार्टी के अध्यक्ष रहे, यूएन ढेबर से लेकर ब्रह्मानंद रेड्डी तक। उन्होंने कहा कि अब भी इस मॉडल को अपनाया जा सकता है।

The Indian EXPRESS Classifieds
FROM ANYTHING TO EVERYTHING.
EXPRESS EDUCATION
THE STUDY
(An Institute for IAS)
HISTORY
By
MANIKANT SINGH
English Medium
OPEN LECTURE TOMORROW
6:00 PM
at Mukherjee Nagar
Now Online classes also available in ENGLISH MEDIUM
PERFORMANCE ENHANCING PROGRAMME
MAINS EXAM-2019
28th JUNE
210, Virat Bhawan, Near Post office, Mukherjee Nagar, Delhi-9
PH : 42870015, 27653672, 9999516388, 9999278966
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

प्लास्टिक कचरे के आयात पर पाबंदी सख्ती से लागू हो : एनजीटी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि देश में प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध को कड़ाई से लागू किया जाए क्योंकि यह पर्यावरण के लिए खतरनाक है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाले पीठ ने कहा कि स्थानीय निकायों को प्रोत्साहित करना होगा कि सड़क निर्माण या कचरे से तेल के निर्माण में प्लास्टिक के कचरे का इस्तेमाल करें।

पीठ ने कहा– हर उत्पादक या ब्रांड मालिक को पंजीकरण के लिए या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना जरूरी होगा और इस तरह के पंजीकरण सीपीसीबी की तरफ से जारी नियमों के मुताबिक होंगे। हरित अधिकरण ने सीपीसीबी को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि सभी संबंधित पक्ष प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों को पूरी तरह लागू करें। पीठ ने कहा– सीपीसीबी दो महीने के अंदर ई-मेल के माध्यम से इस मामले में कार्रवाई रिपोर्ट इस अधिकरण को भेज सकता है।

संसद में इस हफ्ते तीन तलाक विधेयक पर होगी चर्चा

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

संसद के चालू बजट सत्र के दौरान इस सप्ताह जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें से एक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अनुच्छेद 356 को जारी रखने का प्रस्ताव है जबकि दूसरा जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 है।

संसद के दोनों सदनों में तीन तलाक पर रोक का प्रावधान करने वाले मुस्लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी, जो संसद से पारित होने के बाद अध्यादेश का स्थान लेगा। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विधेयक है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में भारी हंगामे के बीच यह विधेयक पेश किया था। सरकार के पिछले कार्यकाल में भी तीन तलाक पर विधेयक लाया गया था लेकिन लोकसभा से पारित हो जाने के बाद यह राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था।

सदन में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 भी चर्चा एवं पारित करने के लिए लाया जाएगा। इसके तहत जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन करने की बात कही गई है। इसके जरिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।

दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद बुलाए गए संसद के पहले सत्र के दौरान 40 विधेयकों पर चर्चा एवं उन्हें पारित कराए जाने के लिए लाने की योजना है। इनमें से कुछ विधेयकों को अध्यादेश के स्थान पर लाया जायेगा जबकि कुछ विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाने के बाद संसदीय समितियों को भेजे गए थे। इस हफ्ते राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में प्रताप चंद सारंगी पेश करेंगे और इसका सहसमर्थन डा. हीना गावित करेंगी । राज्यसभा में यह प्रस्ताव जेपी नड्डा पेश करेंगे जबकि इसका सह समर्थन श्रीमति संपतिया करेंगी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है जबकि जम्मू- कश्मीर में राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अनुच्छेद 356 को जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय रखा गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सभी से चर्चा के बाद कामकाज की रूपरेखा तय की गई है। सरकार चाहती है कि संसद का कामकाज सुचारू रूप से चले। इस सत्र में बजट पेश होना है, साथ ही कई अहम विधायी कामकाज भी हैं। लोकसभा में तीन तलाक पर रोक लगाने संबंधी मुस्लिम महिला विवाद अधिकार संरक्षण विधेयक पर चर्चा होगी, जो संसद से पारित होने के बाद अध्यादेश का स्थान लेगा। इसमें विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण और पतियों द्वारा तीन बार तलाक बोलकर विवाह विच्छेद पर रोक के लिए और तत्संबंधी या उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में प्रावधान किया गया है। संसद में चर्चा एवं पारित होने के लिये पेश किए जाने वाले विधेयकों में जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 भी शामिल है। सदन में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2019, केंद्रीय शिक्षक संवर्ग आरक्षण विधेयक, मोटरयान संशोधन विधेयक 2019 शामिल हैं।

सत्र के दौरान लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक, कंपनी संशोधन विधेयक, आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019, राष्ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक, भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन विधेयक पर चर्चा एवं पारित कराया जाएगा।

मौसम

तापमान **नई दिल्ली**
अधिकतम–42.6 डि.से. सूर्योदय– 5:25
न्यूनतम– 29.2 डि.से. सूर्यास्त– 19:23

राजधानी में 24 घंटे में 9 हत्याओं पर 'आप' ने उठाए सवाल

बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भाजपा को घेरा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

आम आदमी पार्टी (आप) ने राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। पार्टी का कहना है कि चाहे गृह मंत्री हों, उपराज्यपाल हों या सांसद हों, सभी जवाबदेह लोग भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा वह पार्टी से राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जवाब चाहती है।

पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी ने रविवार को संवाददाताओं से कहा कि राजधानी में पिछले 24 घंटे में 9 हत्याएं हो चुकी हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कई हफ्तों से देखा जा रहा है कि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। चाहे वह हत्याओं के मामले हों या मुखर्जी नगर में पुलिस की ओर से ऑटो चालक को गुंडों की तरह पीटने का मामला हो। आतिशी ने कहा कि दिल्ली को हमेशा से बहुत ही असुरक्षित प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। यहां रहने वाली महिलाएं रात को आठ बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डर महसूस करती हैं। ऐसे में आज सूबे की जनता के सामने सुरक्षा का मसला सबसे ज्यादा अहम हो गया है। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की जनता अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के वसंत कुंज के अलावा एक और मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने ही घर में 4 लोगों की हत्या कर दी। दूसरी ओर द्वारका में घर के अंदर ही एक दंपति की हत्या कर दी गई।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली को हमेशा से बहुत ही असुरक्षित प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। यहां रहने वाली महिलाएं रात को आठ बजे के बाद घर से बाहर निकलने में डर महसूस करती हैं

आतिशी ने कहा कि इन हत्याओं के अलावा एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा और सामने आया है। पिछले 30 दिनों के अंदर राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में अपराधियों द्वारा 220 गन शॉट्स की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। उन्होंने जानना चाहा कि आखिर इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सीधा जवाब है कि इस बदतर हालत के लिए सिर्फ सिर्फ भाजपा जिम्मेदार है क्योंकि स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एक सांसद की होती है जो कि जिला स्तरीय पुलिस कमेटी का सदस्य होता है। आज दिल्ली में सातों सांसद भाजपा के हैं। दूसरी जवाबदेही उपराज्यपाल की होती है, वह भी भाजपा द्वारा चयनित हैं और तीसरी जिम्मेदारी गृह मंत्री की होती है, वह भी भाजपा के ही हैं।

आतिशी ने कहा कि हम भाजपा की अगुआई वाली केंद्र की सरकार से जानना चाहते हैं कि वह दिल्ली की जनता की सुरक्षा के लिए सरकार क्या नीतियां बना रही है? सरकार की क्या जिम्मेदारी होगी? उपराज्यपाल की क्या जिम्मेदारी होगी? भाजपा के सातों सांसदों की क्या जिम्मेदारी होगी और गृह मंत्रालय की क्या जिम्मेदारी होगी? उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना पड़ेगा कि वह दिल्ली की जनता की सुरक्षा किस प्रकार से सुनिश्चित करेगी ।

मुख्यमंत्री ने जताई चिंता

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

राजधानी में बीते 24 घंटों में नौ हत्याओं को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंभीर चिंता जताई है। राजधानी में जघन्य हत्याओं में इजाफे को लेकर केजरीवाल ने पूछा है कि आखिर दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए किसका दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार को एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली में जघन्य आपराधिक घटनाओं की संख्या में खतरनाक तरीके से वृद्धि दर्ज की जा रही है। एक बुजुर्ग दंपति व उनके घरेलू सहायक की वसंत विहार में हत्या कर दी गई। शहर में बीते 24 घंटों में नौ हत्याएं हो चुकी हैं।

डीयू में स्नातक पाठ्यक्रमों के आवेदन 20 हजार घटे

स्नातक पाठ्यक्रम

कुल सीटें	62,500
कुल आवेदक	2,58,388
छात्राएं	1,29,753
छात्र	1,28,634

सुशील राघव
नई दिल्ली, 23 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) में इस साल आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) कोटे के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों की करीब 6,200 सीटें बढ़ी हैं। इसके बावजूद इस बार स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पिछले साल के मुकाबले 20 हजार आवेदन कम आए हैं। इन पाठ्यक्रमों के लिए कुल 3,67,895 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था जबकि 2,58,388 विद्यार्थियों ने शुल्क जमाकर आवेदन पक्का किया है। साल 2018 में डीयू को 2.78 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। विश्वविद्यालय की ओर से मिले आंकड़ों के मुताबिक, आवेदन करने वालों में 1,52,478 गैर आरक्षित, 55,457 ओबीसी, 34,262 एससी, 7100 एसटी और 9091 ईडब्लूएस वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 1,31,129 और पीएचडी/एमफिल के लिए 20,862 आवेदन मिले हैं।

डीयू के छात्र कल्याण डीन और दाखिला समिति के प्रमुख प्रोफेसर राजीव गुप्ता ने बताया कि इस साल हमने पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार किया है। इसके अलावा आवेदन फॉर्म में बदलाव करने की सुविधा देने और ओटीपी आधारित प्रक्रिया के कारण अधिकतर विद्यार्थियों ने इस बार एक ही आवेदन फॉर्म भरा है। प्रोफेसर गुप्ता का कहना है कि इन्हीं सभी सुधारों की वजह से इस साल आवेदनों की संख्या कम दिख रही है। डीयू शिक्षक संघ (डूटा) के संयुक्त सचिव डॉक्टर आलोक पांडेय ने कहा कि जब अन्य राज्यों में दाखिले की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है और उसके बाद डीयू अपनी प्रक्रिया शुरू करता है तो आवेदक कहां से आएंगे। उन्होंने कहा कि यह एक साजिश है जिसके तहत डीयू की साख को बट्टा लगाने के साथ निजी विश्वविद्यालयों को फायदा पहुंचाया जाए। आवेदनों में कमी डीयू प्रशासन के नकारापन को दर्शाता है।

28 को आएगी पहली कटऑफ

आवेदन की प्रक्रिया के बाद अब सभी की नजर 28 जून को अपने वाली पहली कटऑफ पर है। पहली कटऑफ के आधार पर 28 जून से 1 जुलाई तक (रविवार को छोड़कर) दाखिले लिए जा सकेंगे। कॉलेजों ने दाखिले के लिए अपनी तरह से तैयारियां पूरी कर ली हैं।

आवेदन में छात्राएं आगे

बारहवीं में छात्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने वालीं छात्राओं ने डीयू में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन करने में भी बाजी मारी है। छात्रों के मुकाबले 1,119 अधिक छात्राओं ने इस साल डीयू में आवेदन किया है। पिछले साल आवेदन करने वालों में छात्राओं की संख्या 48 फीसद थी। जहां तक अन्य लिंग के विद्यार्थियों का सवाल है तो इस बार मात्र एक आवेदन मिला है।

शीर्ष दस पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	आवेदक
बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी	142970
बीए (ऑनर्स) राजनीतिक शास्त्र	130240
बीए प्रोग्राम	125519
बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र	124538
बीए (ऑनर्स) इतिहास	120590
बीए (ऑनर्स) मनोविज्ञान	112312
बीए (ऑनर्स) जर्नलिज्म	112233
बीए (ऑनर्स) समाजशास्त्र	110102
बीकॉम	106549

ये रहे शीर्ष बोर्ड

बोर्ड	आवेदक
सीबीएसई	2,05,434
यूपी बोर्ड	8,755
सीआइएससीई	8,398
हरियाणा बोर्ड	8,195
बिहार बोर्ड	6,326

इन राज्यों से अधिक आवेदन

राज्य	आवेदक
दिल्ली	1,11,433
उत्तर प्रदेश	49,009
हरियाणा	34,501
बिहार	15,120
राजस्थान	9,897
उत्तराखंड	5,304

चमकी बुखार का मामला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग पहुंचा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों में चमकी बुखार का मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग पहुंच गया है। सीतामढ़ी संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो से पूरे मामले की शिकायत कर समुचित इलाज नहीं होने के कारण चमकी बुखार पीड़ित सवा सौ से ज्यादा बच्चों के मौत की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

शम्स ने कहा है कि हर रोज चार से पांच मासूमों की बुखार से मौत हो रही है। मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में समुचित सुविधाएं मुहैया नहीं होने के कारण इलाज में कोताही हुई है। 2014 में चमकी बुखार के प्रकोप को देखते हुए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसी अस्पताल में सुविधाओं को उच्चस्तरीय बनाने की घोषणा की थी जो हवा-हवाई और जुमला साबित हुई।

'दिल्ली सरकार लगाएगी तीन लाख कैमरे'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को कहा कि दिल्ली में अगले दो से तीन महीने में एक लाख चालीस हजार कैमरे लग जाएंगे। करीब डेढ़ लाख और कैमरों को लगाने के लिए निविदा जारी कर दिए जाने की जानकारी साझा करते हुए सिसोदिया ने कहा कि पूरी दिल्ली में करीब तीन लाख कैमरे लगाए जाएंगे।

सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में 2000 सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य का उद्घाटन करते हुए कहा कि दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, इसके बावजूद सूबे की सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारें आती रही जाती रहीं लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने महिलाओं की दुविधा के बारे में कहा कि आज दिल्ली की लड़की कहीं स्कूल, कॉलेज, बाजार या काम पर जाती है तो उसे रास्ते में अराजक लोग छेड़ते हैं और वह लड़की डर जाती है लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे लग जाने के बाद ऐसे अराजक लोग चार बार सोचेंगे क्योंकि उनकी ओछी हरकत अब हमारी आंखों से बच नहीं पाएगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगाए जा रहे ये सीसीटीवी कैमरे वायरलेस होंगे, और इंटरनेट के जरिये इनकी तस्वीरें सीधे हमारे नियंत्रण केंद्र पर पहुंचती रहेंगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि अक्सर इन कैमरों के तारों को चोरी कर ली जाती है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इन कैमरों से भेजी जाने वाली तस्वीरों को 30 दिनों तक देखा जा सकेगा। ये वीडियो चित्र न केवल लोकल पुलिस के पास बल्कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के फोन में भी उपलब्ध होंगे। सिसोदिया ने जनता से अपील की कि वे आरडब्लूए और कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहें और कोई भी परेशानी हो तो बात प्रशासन तक पहुंचाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस महीने 2000 कैमरे लग रहे हैं, उसके अगले महीने 2000 और लगेंगे और ये तब तक लगते रहेंगे जब तक महिलाएं आकर बताती रहेंगी कि कहां-कहां और जरूरत है।

कैमरा लगाकर उद्घाटन करते मनीष सिसोदिया।

महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा का विकल्प दिए जाने को लेकर सिसोदिया ने कहा कि मेट्रो में सफर करने वाली महिलाओं ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे उन्हें महीने में दो से तीन हजार रुपए की बचत होगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर उन्होंने कहा कि आज जो लड़की यहां से मयूर विहार नौकरी करने नहीं जाती सिर्फ इसलिए कि उसको पता है कि पैसा खर्च होगा। वो अगर कल चाहे तो गुरुग्राम में भी बढ़िया कंपनी में नौकरी करने जा सकती है। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं।

महिला पत्रकार की कार पर हमला, गोली मारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात नोएडा के एक न्यूज चैनल की पत्रकार मिताली चंदोला की कार पर अज्ञात बदमाशों ने गोलियां चलाईं। इस घटना में गोली उनके बाजू में लगी। उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालत खतरे से बाहर है। पुलिस को दिए बयान में महिला पत्रकार ने बताया कि उनकी कार पर पहले अंडे फेंककर रोकने की कोशिश की गई थी। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त जसमीत सिंह का कहना है कि पारिवारिक रंजिश समेत विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार मिताली चंदोला न्नोएडा में एक न्यूज चैनल में कार्यरत हैं। वह रविवार रात 12:30 बजे न्यू अशोक नगर में अपनी हुंडई आइ-20 कार से पहुंची थीं। इसी दौरान कुछ नकाबपोश बदमाशों ने उन पर हमला किया। पुलिस को दी शिकायत में उन्होंने कहा कि एक मारुति स्विफ्ट कार ने उनकी गाड़ी को अचानक ओवरटेक किया और पहले उनकी कार पर अंडे फेंके। पर जब वह नहीं रुकी तो दो राउंड गोलियां चलाई। एक गोली शीशे को चीरती हुई उनकी बाजू में लगी। उन्हें धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है।

बदरपुर में पेयजल संकट को लेकर प्रदर्शन

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

बदरपुर विधानसभा में जारी पेयजल संकट को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को 'आप' के विधायक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान सुबह आठ बजे मोलड़बंद गांव स्थित शहीद बिजेंद्र सिंह की प्रतिमा के पास एकत्रित हुए और वहां से दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

इस दौरान बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल सरकार आम लोगों के साथ धोखा कर रही है। मुफ्त में पानी देने का वादा कर सत्ता में आई सरकार आज लोगों को शुद्ध पानी तक मुहैया नहीं करवा पा रही है। उन्होंने कहा कि जल बोर्ड उनके पास ही है। बावजूद इसके बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एक तो पानी आता नहीं और यदि आता भी है तो इतना गंदा होता है कि पीने के लायक नहीं होता।

डीयू : विद्वत परिषद में अब विद्यार्थियों का भी प्रतिनिधित्व

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की विद्वत परिषद (एसी) में अब विद्यार्थियों का भी प्रतिनिधित्व होगा। शनिवार सुबह 11 बजे शुरू होकर देर रात 2 बजे तक चली एसी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान बैठक में शिक्षकों की पेंशन, नियुक्तियों, दिल्ली सरकार के कॉलेज की खराब वित्तीय स्थिति सहित विभिन्न महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।

एसी के सदस्य डॉक्टर रसाल सिंह ने बताया कि एसी में विद्यार्थियों के प्रतिनिधित्व को मंजूरी मिल गई है। निर्णय के मुताबिक, स्नातक के विद्यार्थी, स्नातकोत्तर के दो विद्यार्थी और एक शोधार्थी को इसमें शामिल किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि फरवरी में एसी के चुनाव हुए थे। उसके बाद अब एसी की बैठक हुई है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में दो केंद्र खोलने का भी निर्णय किया गया है जिसमें डिसेबिलिटी सेंटर और स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गर्वनेंस शामिल हैं। एसी की बैठक में मूक्स निर्माण के लिए ढांचागत व्यवस्था करने और ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने व उनके क्रेडिट को उपयोग में लाने का भी निर्णय किया गया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (एसओएल) को अब विश्वविद्यालय मेंटेन कॉलेज कहा जाएगा। इसके अलावा दस फीसद ईडब्लूएस आरक्षण का रास्ता भी साफ हो गया। डॉक्टर सिंह ने बताया कि डिसेलिबिटी सेंटर के माध्यम से दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गर्वनेंस के जरिए लोक नीति का अध्ययन और देशज व समावेशित लोक नीति का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जैसे आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजनाओं से लोगों को लाभ हो रहा है। ऐसी ही अन्य योजनाओं को तैयार करने की दिशा में डीयू का यह नया केंद्र कार्य करेगा।

प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी

डीयू ने नौ स्नातक पाठ्यक्रमों के साथ स्नातकोत्तर, एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक परीक्षाएं 3 जुलाई से शुरू होकर 8 जुलाई को समाप्त होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) की ओर से आयोजित की जा रहीं ये परीक्षाएं तीन पालियों में संपन्न होंगी। सुबह 8 से 10, दोपहर 12 से 2 और शाम को 4 से 6 बजे तक परीक्षाएं आयोजित होंगी। आवेदक जल्द ही डीयू की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे।

- बैठक में पेंशन, नियुक्तियों समेत कई महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई
- स्नातक, स्नातकोत्तर के दो-दो विद्यार्थी और एक शोद्यार्थी को किया जाएगा शामिल

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में समर्पित है केंद्रीय विद्यालय : तिवारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

'शाहदरा क्षेत्र के बच्चों के मन-मस्तिष्क में केंद्रीय विद्यालय ज्ञान की ज्योति जलाएगा और यह विद्यालय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में समर्पित है'। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने यह बातें रविवार को इलाके में केंद्रीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन के दौरान कही।

तिवारी ने कहा कि 2016 में तत्कालीन केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय विद्यालय शाहदरा के लिए स्वीकृति प्रदान की थी, लेकिन अदालती अड़चनों और भू-माफिया के अवरोध उत्पन्न करने के चलते विद्यालय की चारदीवारी का काम तो पूरा हुआ, लेकिन भवन का निर्माण नहीं हो सका था।

टिकट बंटवारे में देरी और गठबंधन की कवायद कांग्रेस को ले डूबी

अजय पांडेय
नई दिल्ली, 23 जून।

लोकसभा के हाल ही में खत्म चुनाव में कांग्रेस दिल्ली में और बेहतर प्रदर्शन करती, अगर उसने समय रहते अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया होता। आम आदमी पार्टी (आप) से चुनावी गठबंधन को लेकर लंबे समय तक चले कयासों के दौर और दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र में बाहरी उम्मीदवार उतारे जाने से भी मतदाताओं में गलत संदेश गया। पार्टी का पस्त पड़ा लुंज-पुंज संगठन भी इसकी करारी हार की सबसे अहम वजह साबित हुआ।

दिल्ली की सभी सात सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की पराजय के कारणों की पड़ताल के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित की ओर से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री डॉ अशोक कुमार वालिया की अगुआई में गठित की गई पांच सदस्यीय समिति ने दीक्षित को सौंपी अपनी रिपोर्ट में हार की वजहों का विस्तार से विवरण दिया है। इस समिति में डॉ वालिया के अलावा, डॉ योगानंद शास्त्री, परवेज हाशमी, जयकिशन और पवन खेड़ा को भी शामिल किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय करने में देरी की। इसका परिणाम यह हुआ कि इन उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने और जनता से संपर्क करने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। यदि उन्हें थोड़ा और समय मिला होता तो वे निश्चित रूप से ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकते थे। सूत्रों ने बताया कि इस पांच सदस्यीय समिति ने भी माना है कि 'आप' से चुनावी गठबंधन को लेकर लंबे समय तक चली कयासबाजी का भी मतदाताओं पर बहुत गलत असर पड़ा।

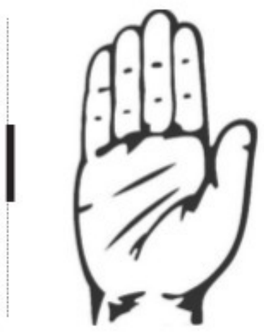

लोकसभा चुनाव की रिपोर्ट में खुलासा

- वालिया कमेटी ने सौंपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शीला दीक्षित को रिपोर्ट
- बूथ कमेटी के फर्जीवाड़े ने भी बिगाड़ा काम
- कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक कर शीला तय करेंगी संगठन में बदलाव का खाका

रिपोर्ट में कहा गया है कि सूबे के लोग 'आप' सरकार से सख्त नाराज हैं। ऐसे में उस पार्टी से कांग्रेस के चुनावी गठजोड़ की कवायद ने पार्टी के मतदाताओं में नाराजगी बढ़ाई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दक्षिण दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार की बड़ी वजह बाहरी उम्मीदवार उतारा जाना था। मुक्केबाज बिजेदर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने भले ही उनके ग्लैमर का फायदा उठाने की सोची हो लेकिन इस मामले में दांव उल्टा पड़ गया। बिजेंद्र सिंह स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं से बेहतर तालमेल नहीं बना सके जिसका भारी नुकसान हुआ।

सूत्रों के अनुसार समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली में पार्टी के संगठन की कमजोरी को कांग्रेस उम्मीदवारों की हार की सबसे बड़ी वजह करार दिया है। इसमें कहा गया है कि जिन बूथ स्तर की समितियों के गठन की बात कही गई, वह असल में पूरा फर्जीवाड़ा था। हर बूथ से कुछ नाम दे दिए गए लेकिन चुनाव के दौरान जमीनी स्तर पर ऐसी कोई समिति काम करती नजर नहीं आई। वालिया समिति ने सिफारिश की है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे के कांग्रेसी संगठन में भारी फेरबदल किया जाना जरूरी है। सूत्रों ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीक्षित ने वालिया समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर जल्दी ही तीनों कार्यकारी अध्यक्षों के साथ बैठक कर पार्टी संगठन में भारी फेरबदल करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी इस बारे में निर्णय किया जा सकता है।

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	40.5 डि.से.	40.5 डि.से.	39.6 डि.से.	40.5 डि.से.
न्यूनतम	28.6 डि.से.	28.6 डि.से.	28.6 डि.से.	28.5 डि.से.

घर से चंद कदमों पर है पुलिस बूथ

निर्भय कुमार पांडेय
नई दिल्ली, 23 जून।

वसंत विहार स्थित जिस वसंत अपार्टमेंट में बुजुर्ग दंपति विष्णु माथुर और शशि माथुर और उनकी घरेलू सहायिका खुशबू नौटियाल की हत्या की गई। घटनास्थल से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस बूथ है। यह पुलिस बूथ अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार पर ही बना है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ महीने में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। लोगों का आरोप है कि यहां तैनात पुलिसकर्मी देर रात को गेट बंदकर सो जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ कोई हत्यारा आया और लोगों की हत्या कर फरार होने में कामयाब हो गया। बावजूद इसके पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लोगों का आरोप है कि आए दिन छोट-मोटी चोरी की घटनाएं घटित होती रहती हैं। रविवार को भी चोरों ने एक घर को निशाना बनाया था। साथ ही बीते महीने एक रात में चोर 70 वाहनों की बैटरी चोरी कर फरार हो गए थे।

वसंत अपार्टमेंट के आरडब्लूए के अध्यक्ष एम डेविड ने बताया कि साल 2004 में विष्णु माथुर अपनी पत्नी के साथ यहां रहने के लिए आए थे। दंपति के इकलौते बेटे की मौत साल 1990 में भीकाजी कामा प्लेस में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस समय वह करीब 20-22 साल का था। दपंति का एक बेटी गुड़िया उर्फ अनीता है, जो अपने पति संजय भटनागर उर्फ संजीव के साथ ग्रेटर कैलाश में रहती है। वह निगम के अस्पताल में कार्यरत हैं। वहीं, सेवानिवृत होने के पहले यह दंपति माचा मार्ग पर सरकारी आवास में रहते थे। सेवानिवृत होने के बाद दोनों यहां आकर रहने लगे थे। उपायुक्त ने बताया कि घर का सामान अस्त-व्यस्त था। पर शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस ने लूटपाट की घटना से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि हत्यारे ने ध्यान भटकाने के लिए सामान बिखेरा गया हो। वहीं, पुलिस ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों पर शक है।

वसंत विहार तिहरा हत्याकांड

घर के नजदीक के पुलिस थाने की फोटो।

बेटी अक्सर आती थी मिलने

आडब्लूए के सचिव शैलेंद्र कुमार ने बताया कि अनीता अपने परिवार के साथ रहती हैं। वह शाम के समय अपने माता-पिता से मिलने के लिए आती थीं। वहीं, छुट्टी के दिन सुबह ही आ जाती थीं और शाम तक रहती थीं। वहीं, पड़ोसी डॉक्टर शरद परमार ने बताया कि अनीता कई बार माता-पिता से कह चुकी थीं कि वह उनके साथ रहे। पर दंपति यहीं रहना चाहते थे।

डेढ़ साल से नहीं आए थीं नीचे

पड़ोसी ऊषा सिंह ने बताया कि पहले शशि सभी लोगों से मिलती-जुलती रहती थीं। पर बीते डेढ़ साल से वह मधुमेह की बीमारी से ग्रसित थीं। इस कारण वह अपने घर से नीचे नहीं आती थीं। वहीं, कुछ महीने पहले विष्णु माथुर के घुटने का ऑपरेशन हुआ था। इस कारण वह भी तीन-चार महीने से काफी कम घर से बाहर आते थे। घरेलू सहायिका ही जरूरत का सामान लाती थी या फिर बेटी सामान ले आया करती थी। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों पास के मंदिर में जाया करते थे और घंटो लोगों से बातचीत कर समय बिताते थे।

युवती की हत्या के आरोप में कथित प्रेमी और उसके तीन दोस्त गिरफ्तार

फरीदाबाद, 23 जून (जनसत्ता)।

ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली एक युवती की हत्या कर उसके शव को झील में फेंकने के मामले में उसी के कथित प्रेमी और तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया गया है। चार आरोपियों में सुरजीत मौर्या डागी बरबलिया अमेठी, विमल कुमार नौडीया जमुई बिहार,भीम सिंह पककी गढ़ी मुथरा है। सभी सेक्टर-21 फरीदाबाद में रह रहे थे। चौथा आरोपी प्रिंस फतेहपुर चंदेला का रहने वाला है। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि उपरोक्त चारों आरोपियों को अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी।

पुलिस ने 13 जून को डेथ वेली नाम की झील से बैग में बंद युवती का शव निकाला था। पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने डीएलएफ अपराध शाखा को सौंप दी थी। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, दोनों शवों पोस्टमार्टम के लिए पीजीआइ एमएस रोहतक भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को बीके हॉस्पिटल में पहचान के लिए रखा गया था। युवती की पहचान 19 जून को मनीषा निवासी फरीदाबाद के तौर पर हुई।

मृतका मनीषा के पिता ने पुलिस को बताया की उसकी बेटी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। जिसकी सुरजीत और विमल के साथ दोस्ती थी, कुछ दिन पहले सुरजीत के घर वालों ने सुरजीत का रिश्ता कहीं और कर दिया था इस रिश्ते का पता मनीषा को चलते ही मनीषा ने लड़की वालों के पास जाकर सुरजीत का रिश्ता तुड़वा दिया था। इसी कारण सुरजीत रंजिश पाले हुए था। मनीषा को जान से मारने की धमकी देता रहता था।

22 जून को आरोपी सुरजीत और विमल को पल्ला पुल फरीदाबाद से गिरफ्तार किया जिन्होंने अपने दो और साथी प्रिंस उर्फ लाला और भीम सिंह उर्फ ऐनु को भी मनीषा की हत्या में शामिल होने का खुलासा किया। उन्होंने पुलिस को बताया कि 10 जून को योजना के अनुसार सुरजीत और विमल गांव एतमादपुर पुल के पास मनीषा के किराए के कमरे पर गए, जहां सुरजीत ने कमरे में घुसते ही मनीषा का गला दबा दिया और झील में फेंक दिया। झील में एक अन्य युवक का भी शव बरामद हुआ था। इसकी पहचान सचिन पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद के तौर पर हुई है।

बेटी से शादी कराने के लिए किया था मना तो आरोपी ने कर दी हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

द्वारका में बेटी से शादी की मनाही और घर में नकदी रखना नेत्रहीन दंपति के लिए जान गंवाने का कारण बन गया। ग्वालियर के जिस एमबीएस पास युवक को दंपति ने अपने परिवार का सहारा मानकर घर में रहने की जगह दी उसी ने दंपति की चाकू से हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की मृतक दंपति की बेटी पर नजर थी। वह उससे शादी करना चाहता था। आरोपी का शादीशुदा होने के कारण दंपति बेटी की शादी कहीं और करना चाह रहे थे। इससे नाराज होकर आरोपी ने दंपति की हत्या की और घर में रखे एक लाख 40 हजार रुपए भी लूट लिए थे ताकि वारदात को लूटपाट के चलते हत्या का रूप दिया जा सके। आरोपी विशाल सिंह उर्फ विनोद एमबीए डिग्री धारक है और प्रॉपर्टी डीलर, कैब चालक के बाद इस समय पेटीएम में नौकरी कर रहा है। पुलिस ने हत्या में सबूत मिटाने की कोशिश करने वाले विशाल के एक अन्य साथी संतोष राय को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सारे रुपए और खून से सने कपड़े बरामद कर लिए हैं।

नेत्रहीन दंपति मामला

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंटो अल्फोंस ने बताया कि शनिवार भगवती गार्डन एक्सटेंशन में रहने वाले अधेड़ नेत्रहीन दंपति हरिबल्लभ और शांति देवी की हत्या की गई थी। हरिबल्लभ कंझावला इलाके के नवोदय विद्यायल में संगीत शिक्षक थे। दंपति की हत्या चाकुओं से गोदकर की गई थी। उनका एक नाबालिग बेटा और एक बालिग बेटी है। परिवार मूलरूप से बिहार का रहने वाला है। 27 साल की बेटी को हत्या का सबसे पहले पता चला था। उसी ने सूचना पुलिस को दी थी।

हंसी मजाक बुरा लगा तो ब्लेड से हमला किया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

वेलकम में हंसी मजाक में कोई बात बुरी लग जाने पर एक युवक ने अपने दोस्त पर ब्लेड से हमला कर दिया। आरोपी ने दोस्त के पेट, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर ब्लेड से हमला किया और फरार हो गया। मौके पर मौजूद अन्य दोस्तों ने घायल युवक को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंची पुलिस ने पीड़ित के बयान पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक, शाहरुख पेशे से चालक है। शनिवार रात 10 बजे खाना खाने के बाद वह मार्केट में अपने दोस्तों के साथ बैठकर हंसी मजाक कर रहा था। हंसी मजाक के दौरान रोमी नाम के एक युवक को शाहरुख की बात ठीक नहीं लगी और वह शाहरुख से हाथापाई करने लगा।

कंटेनर ने स्कूटर में मारी टक्कर, व्यक्ति की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

महेंद्रा पार्क इलाके में एक सड़क हादसे में कंटेनर ने स्कूटर में जोर की टक्कर मार दी जिससे स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और कंटेनर जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता से चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी की पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान चैन सुखराम के रूप में हुई है और उनके रिश्तेदार की पहचान तरुण कुमार राय के रूप में हुई है। तरुण परिवार के साथ महेंद्रा पार्क में रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि शाम सात बजे वह अपने ताऊ चैन सुखराम के साथ स्कूटर पर आजादपुर सब्जी मंडी सब्जी खरीदने गए थे। करीब एक घंटे बाद जब वह वापस घर की तरफ जा रहे थे तभी कालका मंदिर सर्विस रोड, आजादपुर सब्जी मंडी के पास तेज गति से आ रहे एक कंटेनर ने उनको जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद चैन सुखराम स्कूटर से गिरकर सड़क पर जा गिरे। उनका हेलमेट टूट गया। मौके पर ही वह बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर कंटेनर चालक मुकेश कुमार को खदेड़कर फरार होने से पहले ही दबोच लिया। लोगों ने उसकी जमकर पिटाई भी की। बाद में मामले की सूचना पीसीआर को दी गई।

पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात चैन सुखराम को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जबकि सुखराम के भतीजे को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी।

नरेला में सड़क हादसे में घायल युवक से लूटपाट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

नरेला औद्योगिक क्षेत्र में मानवता को दरकिनार करते हुए बदमाशों ने सड़क हादसे में घायल एक युवक की सहायता करने की आड़ में उसकी जेब से हजारों रुपए, एटीएम कार्ड आदि सामान निकाल लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सूत्रों के मुताबिक, सचिन जैन शनिवार रात अपनी गाड़ी से बाईपास से अपने घर की तरफ जा रहा था। भोरगढ़ नरेला रोड स्थित पैट्रोल पंप पर रात पौने 11 बजे गाड़ी से उतरते हुए अचानक सड़क पर गिर गया। गिरने के बाद उसे चोट लग गई। तभी पास की गाड़ी में बैठे तीन युवक उतरकर भागते हुए उसके पास आए।

उपराज्यपाल ने जलभराव से निपटने के दिए निर्देश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉ विजय राघवन, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त डॉ दिलराज कौर, दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निखिल कुमार के साथ 52 क्यूसेक बाबरपुर नाले का निरीक्षण किया। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद कुसुम तोमर व पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को बाबरपुर नाले को 30 अगस्त से पहले-पहले साफ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की मानसून से पहले सभी नालों की सफाई अच्छे से हो ताकि बारिश के समय जलभराव की समस्या न हो।

शक होने पर चलाई गोली, बाल-बाल बचा युवक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

जहांगीरपुरी इलाके में पारिवारिक मामले में सिर्फ शक होने पर ही एक युवक पर गोली चला दी गई। युवक गोली से बाल-बाल बच गया। पुलिस ने पीड़ित के बयान पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान भारत कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल और कारतूस का खोल भी जब्त कर लिया है। हथियार कहां से मिला इसकी पुलिस जांच कर रही है। पीड़ित मुकेश परिवार के साथ जी-ब्लॉक जहांगीरपुरी इलाके में रहते हैं। पीसीआर को बीती रात ई-ब्लॉक 13 सौ वाली गली में गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भारत नामक आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पिस्तौल और दीवार में लगी गोली का खोल जब्त कर लिया। भारत के पिता की घर के नीचे ही परचून की दुकान है। भारत की कुछ समय पहले शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के कलह के चलते दो महीने पहले उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी।

कार से 15 लाख के जेवर उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

कार से 15 लाख के जेवर उड़ाने के आरोप में फरार चल रहे बदमाश को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय खुफिया सूत्रों से की गई। आरोपी राहुल मादीपुर का है। वह पंजाबी बाग इलाके का घोषित बदमाश है। उसके खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट, एक्साइज और सेंधमारी के 29 मामले दर्ज हैं। पुलिस उसके तीन भाई को भी हिस्ट्रीशीटर बता रही है। उसके पास से पुलिस ने 15 लाख के जेवर, लैपटॉप और आइपैड बरामद करने का दावा किया है।

मनोज तिवारी को मिली जान से मारने की धमकी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और उत्तरी-पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी को किसी ने एसएमएस कर जान से मारने की धमकी दी है। यह धमकी किसी ने उनके व्यक्तिगत नंबर पर भेजा है। एसएमएस भेजने वाले ने लिखा है कि वह नेता की हत्या करने के लिए विवश है। इसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। इस संबंध में दिल्ली प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख का कहना है कि सांसद मनोज तिवारी ने इस संबंध में उत्तरी-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त अतुल ठाकुर से शिकायत कर दी है। साथ ही मनोज तिवारी ने फोन कर इस धमकी भरे एसएमएस के बारे में जानकारी भी दी है।

यही नहीं हिंदी में भेजे गए इस एसएमएस में भेजने वाले ने इस बात के लिए माफी मांगी है कि उसे बेहद मजबूरी में तिवारी की हत्या का फैसला लेना पड़ा है। बताया जा रहा है कि तिवारी के निजी फोन पर शुक्रवार दोपहर 12 बजकर 52 मिनट पर यह एसएमएस आया। उन्होंने यह एसएमएस शनिवार की शाम में देखा और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं, पुलिस का कहना है कि फिलहाल उनकी शिकायत के आधार पर एसएमएस भेजने वाले शख्स के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं, पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कुछ संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा चुकी है। फिलहाल पुलिस उस नंबर का पता लगा रही है, जिस नंबर से सांसद तिवारी को धमकी भरा एसएसएस भेजा गया है।

दिल्ली मेरी दिल्ली

देखिए होता है क्या

दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया जारी है, लेकिन विश्वविद्यालय के अधिकारी कोई भी सूचना समय पर नहीं दे रहे हैं। इससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में भ्रम की स्थिति है। समय से विभिन्न तरह की सूचनाएं नहीं मिलने से शिक्षा बीट को देखने वाले पत्रकार भी परेशान हैं। कई बार तो विश्वविद्यालय की ओर से देर रात सूचनाएं आती हैं, जिन्हें अखबार में लेना संभव नहीं होता है। इस पर डीयू के एक अधिकारी का कहना है कि अभी तक प्रवेश प्रक्रिया आधे में भी नहीं पहुंची है। आगे-आगे देखिए होता है क्या।

बिना बेल्ट चालक

सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन नोएडा पहुंचे उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंच से लंबा चौड़ा भाषण दिया। सड़क दुर्घटनाओं में आकस्मिक मृत्यु को सड़क सुरक्षा उपायों की अनदेखी करार दिया। जनता से सड़क पर वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की अपील की। नसीहत भरे संबोधन के बाद कार्यक्रम खत्म होने पर मंत्री का काफिला वहां से रवाना हुआ, तो काफिले में शामिल अधिकांश गाड़ियों के चालक बगैर सीट बेल्ट लगाए दिखे। कुछ कैमरे वालों को फोटो खींचते देख बगैर सीट बेल्ट लगाए चालकों ने बेल्ट लगाने के बजाए रफ्तार बढ़ाकर वहां से निकलना मुनासिब समझा। कार्यक्रम में मंच से मिली सीख और कुछ ही देर बाद वास्तविकता में उसका उल्ट होना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना।

पुलिस की असमंजस

मुखर्जी नगर में पुलिस और एक व्यक्ति के बीच में लात-घूसे चलने के बाद पुलिसकर्मी अजमंजस में हैं। कोई शख्स पुलिस को पीटे तो वे क्या करें। बीते दिनों सरेराह जो कुछ भी दिल्ली पुलिसकर्मियों ने किया वह गलत ठहराया जा सकता है। इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को आरोपी मानते हुए निलंबित भी कर दिया गया है। पर अब दिल्ली पुलिस के बीच यह चर्चा का विषय बन गया है कि अगर किसी शख्स को गलती करने पर दिल्ली पुलिस पकड़ती है और वह शख्स पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? क्या पुलिसकर्मी हाथ पर हाथ धरे पिटाई खाते रहें या अपने बचाव में विरोध करें। सवाल यह भी उठता है कि अगर किसी शख्स के साथ पुलिस सख्ती से पेश आती है और शख्स बीच सड़क पर पुलिस का विरोध करने लगे और हाथापाई पर उतारू हो जाए तो ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मी क्या करें। अगर शख्स पुलिसकर्मियों से छूटकर भाग जाता है तो इसमें भी पुलिसकर्मी की ही किरकिरी होगी।

जूट न कपास...

यह कहावत काफी लोकप्रिय है कि जूट न कपास जुलाहों में लठ्म-लट्ठा। दिल्ली में 15 साल राज करने के बाद एक के बाद एक चुनाव में पराजित होने के बावजूद कांग्रेस के नेता सबक लेने को तैयार नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में चाहे जिन कारणों से आम आदमी पार्टी (आप) से आगे निकल गई कांग्रेस पार्टी के नेता उस बुनियाद पर फिर से इमारत बनाने के बजाए उसे ही ध्वस्त करने की होड़ में लग गए हैं। 81 साल की शीला दीक्षित को पार्टी ने दिल्ली की बागडोर तीन कार्यकारी अध्यक्षों के साथ इसीलिए दी कि वे शरीर से ज्यादा सक्रिय नहीं रह पाएंगी। पार्टी उनके दिल्ली में किए गए कामों के आधार पर फिर से कांग्रेस को सत्ता में लाने लायक बनाएगी। संयोग ऐसा बना कि पार्टी नेतृत्व ने जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया वे भी संगठन से अनजान हैं और उनका जमीन से भी अब जुड़ाव कम है। सबसे बड़ा संकट यह हो गया कि जो नेता दीक्षित के साथ प्रदेश कांग्रेस की टीम में सक्रिय हुए वे भी उसी तरह के हैं। समस्या यह हो गई है कि अमुक नेता के साथ काम करने वाले को दूसरे नेता महत्व नहीं देंगे। भले ही उससे पार्टी और उनका असर कम हो रहा हो। यह पहला अवसर है कि पहले विधायक रहे नेताओं को पार्टी में कम महत्व दिया जाने लगा और फिर सांसद रहे नेताओं को दर किनार किया गया। गुटबाजी इस कदर हो गई है कि पार्टी अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, बावजूद इसके एक दूसरे की टांग खिंचाई जारी है। किसी को किसी नेता से परहेज है तो किसी को प्रभारी ही पसंद नहीं है। यह सभी को पता है कि 'आप' कांग्रेस के वोटों पर ही राज कर रही है, ऐसे में कांग्रेस के मजबूत हुए बिना वह अपनी पुरानी जगह कैसे पा सकती है।

सिरदर्द बनता प्रचार

महिलाओं को दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा लागू होने के बाद डीटीसी और दिल्ली मेट्रो का क्या होगा, यह तो समय बताएगा, लेकिन प्रस्ताव मात्र का प्रचार जिस तरह से सरकार ने किया वह बसों के परिचालकों की सिरदर्दी अभी से बनता जा रहा है। बीते दिनों ऐसा ही माजरा दिखा क्लस्टर बस में। टिकट न लेने पर अड़ी महिला को कई लोगों ने समझाया और टिकट भी दिलाया, लेकिन वह आखिर तक इस बात पर टिकी रही कि सफर तो अब मुफ्त हो चुका है, फिर पैसे क्यों? इतना ही नहीं जैसे ही लाजपत नगर क्रासिंग का बस स्टाप आया वह महिला खड़ी होकर वहां लगे इश्तिहार दिखाने लगी। लोगों ने बताया कि अभी वह प्रस्ताव का प्रचार है। योजना लागू होने पर सभी महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। परिचालक की आपबीती तो और बुरी दिखी। उसने कहा-भाई साहब, यह पहला मामला नहीं है। रोज कई महिलाओं को इस बाबत समझाता हूं। बसों-मेट्रो में महिलाओं की मुफ्त यात्रा वाली योजना अभी सरकार के पास भले कागजों में हो लेकिन इस बाबत किए गए प्रचार ने 'हम बस परिचालकों' को आफत में डाल दिया है। जल्दी ये लागू हो जाती तो कम से कम समझाना तो नहीं पड़ता।

मोटी तोंद और योग

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मोटे तोंद वाले एक पुलिस अधिकारी को देख स्थानीय लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दरअसल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली पुलिस ने भी अपनी ओर से सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी-अपनी जगहों पर योगाभ्यास और योग शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था।

इंडिया गेट पर योग कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी बार-बार हांफ रहे थे। वहां केंद्रीय रक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे, लिहाजा सभी लोग बिना कुछ सोचे योग कार्यक्रम में शामिल होकर गदगद हो रहे थे। इसी कार्यक्रम में शामिल एक सज्जन ने बताया कि दरअसल बहुत ज्यादा मोटे लोगों को योग की कुछ क्रियाओं में बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन पुलिस अधिकारी इसे मानने को तैयार नहीं थे और उन्हें देखकर अन्य लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रहा था।

-बेदिल

आपकी शिकायतें

पानी के लिए हाहाकार

छतरपुर के सौ फुटा रोड स्थित दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से सतबड़ी, असोला, फतेहपुर, डेरा, मांडी, भाटी खुर्द, भाटी कलां, भाटी माइंस, चांदनहौला, सहुरपुर, खरक, राजपूर मैदान सहित कई इलाके के हजारों लोग पानी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं जबकि जल बोर्ड का टैंकर बैठे-बैठे डीजल पी रहा है। जल बोर्ड के टैंकर नहीं चलने के बारे में कहा जा रहा है कि किसी टैंकर पर ड्राइवर नहीं है तो किसी का इंश्योरेंस समाप्त हो चुका है। किसी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी टैंकर का टायर पंचर है। कई बार शिकायत करने पर कहीं तीन दिन तो कहीं चार दिन के बाद टैंकर नसीब होता है। इसका फायदा उठा कर और जलबोर्ड के अधिकारियों की मिलीभगत से निजी टैंकर लोगों से पानी की मनमानी तरीके से वसूली कर रहे हैं। संबंधित मंत्री और उच्चाधिकारियों से गुजारिश है कि उपरोक्त इलाके में इस तपती गर्मी में पानी की समुचित व्यवस्था कराएं।

-सतपाल तंवर, असोला, राकेश तंवर, चांदनहौला, दिल्ली।

खराब परिवहन व्यवस्था

दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण (मौजपुर से मुकुंदपुर मेट्रो लाइन) का काम दो साल लेट हो चुका है और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जिसके कारण प्रदूषण खतरनाक स्तर के पार जा चुका है। जिसकी वजह बच्चों व बुजुर्गों में सांस की बीमारियां फैल रही हैं। उत्तर-पूर्वी दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है। डीटीसी की बसों की संख्या जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है और कई रूट ऐसे हैं, जहां पर डीटीसी की बसें नहीं हैं। अब एकमात्र मेट्रो की आस है उसमें भी दो साल की देरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गुजारिश है कि मेट्रो के चौथे चरण का काम यथाशीघ्र शुरू कराएं ताकि आम जनता जल्द उसका लाभ उठाए।

-बीसी वशिष्ठ, भजनपुरा, दिल्ली।

सार्वजनिक स्थल का अभाव

करावल नगर में खजूरी, राजीव नगर, सोनिया विहार, शहीद भगत सिंह कॉलोनी आदि जैसी कई कॉलोनियों की बसावट ऐसी है, जहां पर गली और मकान के अलावा कोई सार्वजनिक स्थल नहीं है, जहां पर लोग सुबह-शाम कुछ वक्त बैठकर खुली सांस ले सकें। न ही कोई बड़ा अस्पताल है, जहां लोग गंभीर बीमारियों का इलाज करा सकें, जबकि दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और सोनिया विहार के बीच इतनी जगह खाली है कि वहां पर उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध हो सकतीं। अगर क्षेत्र के सांसद चाहें। इसलिए मनोज तिवारी से गुजारिश है कि क्षेत्र के लोगों को प्रदूषण और विभिन्न बीमारियों से निजात दिलाने के लिए यथाशीघ्र भव्य पार्क व अस्पताल बनवाएं ताकि यहां को लोग खुशहाली से जीवनयापन करें।

-विनय, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, दिल्ली।

कांग्रेस ने ठोका लोकसभा में विपक्ष के नेता व उपाध्यक्ष पद पर दावा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा सदन के उपाध्यक्ष पद पर अपना दावा ठोका है। पार्टी का कहना है कि सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के नाते उसे उसे ये दोनों पद मिलने चाहिए। हालांकि पार्टी ने अपनी इस मांग के समर्थन में केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर आग्रह करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया है।

लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के. सुरेश ने रविवार को कहा कि सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के कारण उनकी पार्टी का प्रतिपक्ष के नेता और सदन के उपाध्यक्ष पद पर अधिकार बनता है और सरकार को यह दोनों जिम्मेदारी कांग्रेस को देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर सरकार से आधिकारिक तौर पर आग्रह करने के संदर्भ में पार्टी ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। लोकसभा के हाल ही में संपन्न चुनाव में कांग्रेस को कुल 52 सीटें मिलीं जबकि विपक्ष के नेता का पद हासिल करने के लिए यह संख्या कम से कम 54 होनी चाहिए।

केरल से लोकसभा के लिए सातवीं बार चुने गए सुरेश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष पद पर हमारा अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष के लिए 10 फीसदी सदस्य होने की बात एक तकनीकी मुद्दा है। अतीत में ऐसी स्थिति में सरकारों ने फैसला किया है कि नेता प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि सत्ता पक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उपाध्यक्ष के पद का राजनीतिकरण कर रहा है। वह नहीं चाहता कि सदन में विपक्ष की पहचान हो। वह विपक्ष को अलग थलग रखना चाहता है।

इस संबंध में पूछने पर कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने इस मुद्दे पर अभी आधिकारिक रूप से अपनी कोई भी लाइन नहीं तय की है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पार्टी आने वाले दिनों में निर्णय लेगी। यह लगातार दूसरा मौका है जब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त तो मिली ही है, वह प्रतिपक्ष के नेता पद हासिल करने लायक संख्या भी नहीं जुटा पाई है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल से सांसद अधीर रंजन चौधरी को सदन में नेता और सुरेश को मुख्य सचेतक बनाया है। सुरेश ने कहा कि 52 सदस्य होने के बावजूद कांग्रेस अपने सहयोगी दलों और समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर जनहित के मुद्दों को जोरशोर से उठाएगी और सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

देहरादून में बनेगा तटरक्षक भर्ती केंद्र

देहरादून, 23 जून (भाषा)।

उत्तराखंड के देहरादून में तटरक्षक भर्ती केंद्र खोला जाएगा। यह भारत का पांचवा तटरक्षक भर्ती केंद्र होगा और 28 जून को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हर्रावाला के कुआंवाला में इस भर्ती केंद्र का शिलान्यास करेंगे।

मुख्यमंत्री से रविवार को यहां मिलने आए महानिदेशक तटरक्षक राजेंद्र सिंह ने उत्तराखंड में तटरक्षक भर्ती केंद्र खोलने के लिए भारत सरकार का अनुमति पत्र उन्हें सौंपा।

यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, नोएडा, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता के बाद यह उत्तराखंड में पांचवां भर्ती केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में तटरक्षक भर्ती केंद्र खुलने से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे।

प्रधानमंत्री का दृष्टि दस्तावेज लागू करने के लिए कोर समूह का गठन

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार पांच वर्षीय 'दृष्टि दस्तावेज' के कार्यान्वयन के मद्देनजर एक खाका तैयार करने के लिए सात सदस्यीय कोर समूह का गठन किया है। एक अधिकारी ने बताया कि कोर समूह के अध्यक्ष अतिरिक्त महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) एमके शर्मा से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्लूडी) के अनुसार, हाल ही में सचिवों के साथ हुई बैठक में, प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक मंत्रालय एक महीने के भीतर पांच साल का दृष्टि दस्तावेज तैयार करेगा। सभी मंत्रालयों को भेजे गए प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मंत्रालय 21-दिवसीय प्रभावी एजेंडा तैयार करेगा और यह कैबिनेट की मंजूरी, यदि आवश्यक हो तो मंत्री की मंजूरी और आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका परिणाम 100 दिन में प्राप्त हो।

अधिकारी ने बताया कि कोर समूह प्रधानमंत्री के निर्देशों का अध्ययन करेगा और अब तक की गई कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताएगा। उन्होंने बताया, 'यह समूह उन मुद्दों पर उन विशिष्ट बिंदुओं और समय-सीमा को स्पष्ट करने वाली कार्ययोजना के साथ एक रोडमैप भी सुझाएगा, जिस पर भविष्य में कार्रवाई की जानी है।'

(This is only an advertisement for information purpose and not a Prospectus announcement.)

ALUMILITE ARCHITECTURALS LIMITED

CIN: U28910MH1982PLC028034

Our Company was originally incorporated as 'Sumeeka Chemicals Private Limited' on August 18, 1982 under the provisions of Companies Act, 1956 with Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, Maharashtra with Registration No. 028034. Our Company's name was subsequently changed from 'Sumeeka Chemicals Private Limited' to 'Alumilite Architecturals Private Limited' pursuant to Fresh Certificate of Incorporation dated February 23, 1994 due to change in line of business activity of the Company. Subsequently, our Company was converted into a public limited company pursuant to special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting of our Company held on November 30, 2017 and the name of our Company was changed to "Alumilite Architecturals Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation dated December 14, 2017 was issued by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. The Corporate Identification Number of our Company is U28910MH1982PLC028034. For further details please refer to chapter titled *"Our History and Certain Corporate Matters"* beginning on page 104 of the Prospectus.

Registered Office: 5th Floor, Dhiraj Chambers, 9 Hazarimal Somani Marg, Mumbai - 400 001.
Tel.: +91 22 4092 4444 | **E-mail:** cs.vaibhav@aa-pl.in | **Website:** www.aa-pl.in;
Contact Person: Mr. Vaibhav Nilesh Joshi, Company Secretary and Compliance Officer | **E-Mail:** cs.vaibhav@aa-pl.in

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. SHIVKRISHNA HARAKHCHAND DAMANI AND MR. VARUN DAMANI

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 38,28,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH OF ALUMILITE ARCHITECTURALS LIMITED ("AAL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 30 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 20 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 1148.40 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 1,92,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 30 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 20 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 57.60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i.e. NET ISSUE OF 36,36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH AT A PRICE OF ₹ 30 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 1090.80 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 35.03% AND 33.27%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

The Application must be for a minimum of 4,000 Equity Shares and in multiples of 4,000 Equity Shares thereafter.

FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE "SECTION IV- THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 38 OF THE PROSPECTUS.

LISTING: The Equity Shares offered through the Prospectus are proposed to be listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**). In terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated April 09, 2019 from NSE for using its name in the offer document for listing of our shares on the EMERGE Platform of NSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the NSE.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulation 2018, A copy of the Prospectus has been filed with SEBI after registration of the Offer document with Registrar of Companies in term of Regulation 246 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018. However, SEBI shall not issue any observation on the Offer document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire *"Disclaimer Clause of SEBI"* beginning on page 179 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE Emerge (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in anyway be deemed or construed that the Prospectus has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the *"Disclaimer Clause of NSE"* on page 184 of the Prospectus.

IPO GRADING: Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading agency.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
FINSHORE Creating Enterprise Managing Values **Finshore Management Services Limited** Anandlok, Block – A, 2nd Floor, Room No. 207 227, A.J.C. Bose Road, Kolkata – 700 020, West Bengal, India **Tel. No.:** 91 33-22895101 / 9920379029 **SEBI Registration No:** INM000012185 **Email:** info@finshoregroup.com **Website:** www.finshoregroup.com **Contact Person:** Mr. S. Ramakrishna Iyengar	**Bigshare Services Private Limited** 1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri East, Mumbai-400059 **Tel.:** +91 022-62638200 **Fax:** +91 022-62638299 **Email:** ipo@bigshareonline.com **Website:** www.bigshareonline.com **SEBI Registration No.:** INR000001385 **Contact Person:** Mr. Ashok Shetty	**ALUMILITE ARCHITECTURALS LIMITED,** **Mr. Vaibhav Nilesh Joshi** 5th Floor, Dhiraj Chambers, 9 Hazarimal Somani Marg, Mumbai - 400 001. **Tel.:** +91 22 4092 4444 | **E-mail:** cs.vaibhav@aa-pl.in; **Website:** www.aa-pl.in; Investors can contact the Company Secretary and Compliance officer or the Registrar in case of any Pre-issue or Post-issue related problems such as non-receipt of letters of allocation, credit of allotted equity shares in the respective beneficiary account, etc.

BANKER TO THE ISSUE AND SPONSOR BANK: Axis Bank Limited - Banker to the Issue and ICICI Bank Limited - Sponsor Bank

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application forms can be obtained from the Stock Exchanges, Issuer Company: **ALUMILITE ARCHITECTURALS LIMITED,** Lead Manager: **Finshore Management Services Limited,** Banker to the Issue, Stock Brokers, Registrar to Issue and Share Transfer Agents, Depository Participants. Application Forms can be obtained from the website of Stock Exchange www.nseindia.com/emerge and the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the website of NSE (www.nseindia.com) & SEBI, (www.sebi.gov.in).

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that Investment in Equity Shares involves a High degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus shall be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www.nseindia.com/emerge, the website of Lead Manager at www.finshoregroup.com and the website of the Issuer Company at www.aa-pl.in.

ISSUE OPENS TODAY

ISSUE CLOSES ON: FRIDAY, JUNE 28, 2019

FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 30 PER EQUITY SHARE

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 4,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 4,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first issue of the issuer, there has been no formal market for the securities of the issuer. The face value of the equity shares is ₹ 10 each and the issue price is 3 times of face value of the equity share. The issue price should not be taken to be indicative of the market price of the equity shares after the equity shares are listed on the EMERGE platform of NSE. No assurance can be given regarding an active or sustained trading in the equity shares of our company or regarding the price at which the equity shares will be traded after listing.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity-related securities involve a High degree of risk and investors should not invest any funds in this offer unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this offering. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the offer including the risks involved. The Equity Shares issued in the offer have neither been recommended nor approved by Securities and Exchange Board of India nor does Securities and Exchange Board of India guarantee the accuracy or adequacy of the Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 21 of the Prospectus.

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below. Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.

UPI now available in ASBA for retail individual investors.

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors shall apply through the ASBA process. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the ASBA process, please refer to the details given in application forms and Abridged Prospectus and also please refer to the section *"Issue Procedure"* on page 199 of the Prospectus.

UNIFIED PAYMENTS INTERFACE (UPI): Investors are advised to refer circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 01, 2018 for details relating to use of Unified Payments Interface (UPI) as a payment mechanism with Application Supported by Block Amount (ASBA) for applications in public issues by retail individual investors.

MAIN OBJECTS OF THE COMPANY AS PER MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see *"Our History and Certain Corporate Matters"* on page 104 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section *"Material Contracts and Documents for Inspection"* on page 286 of the Prospectus.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: Authorized Share Capital is ₹ 12,00,00,000, divided into 1,20,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Issued, Subscribed and Paid-up Share Capital prior to the Issue ₹ 7,10,00,000 divided into 71,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. Proposed Post Issue Paid-up Share Capital ₹ 10,92,80,000 divided into 1,09,28,000 Equity Shares of ₹ 10 each.

LIABILITY OF MEMBERS: The Liability of the members of the Company is limited.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed for by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: 100 Equity Shares each to Mr. Shailesh R Kharidia, Mr. Ratilal D Gandhi, and Mr. Manohar Tukaram Chindarkar

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated June 14, 2019.

Investors should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 21 of the Prospectus before making any investment decision.

For **ALUMILITE ARCHITECTURALS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place: Mumbai
Date: June 21, 2019

ALUMILITE ARCHITECTURALS LIMITED subject to market conditions, public issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Mumbai. The Prospectus shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Manager at www.finshoregroup.com, the website of the NSE i.e. www.nseindia.com, and website of the Issuer Company at www.aa-pl.in. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Prospectus including the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 21 of the Prospectus, which has been filed with ROC.The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the *"Securities Act"*) or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in the Regulations under the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act of 1933.

Raka

CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT AND THE LETTER OF OFFER WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF MINDTREE LIMITED

Registered Office: Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bengaluru - 560059, Karnataka, India.
(Telephone: +91-80-67064000, **Fax:** +91-80-67064100, **Website:** https://www.mindtree.com),
Corporate Identification Number: L72200KA1999PLC025564

LARSEN & TOUBRO LIMITED

HAS MADE A CASH OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF
MINDTREE LIMITED
AT RS. 980 PER EQUITY SHARE

Open offer by Larsen & Toubro Limited ("Acquirer") to acquire up to 5,13,25,371 (Five Crore Thirteen Lakh Twenty Five Thousand Three Hundred and Seventy One) Equity Shares ("Offer Shares") representing 31.00% (Thirty One Percent) of the Voting Share Capital, under the SEBI SAST Regulations, to the Shareholders of Mindtree Limited ("Target Company") at per Equity Share price of Rs. 980 (Rupees Nine Hundred and Eighty only) ("Offer")

TENDERING PERIOD IS NOW OPEN AND CLOSES ON JUNE 28, 2019 (FRIDAY)

This corrigendum (**"Corrigendum"**) should be read in continuation of and in conjunction with:

(a) the public announcement in connection with the Offer, made by the Managers to the Offer on behalf of the Acquirer to NSE and BSE on March 18, 2019 (**"Public Announcement"** or **"PA"**);

(b) the detailed public statement in connection with the Offer, published on March 26, 2019 in the following newspapers: (i) Financial Express (all editions); (ii) Jansatta (all editions); (iii) Vishwavani (Bangalore edition); and (iv) Navshakti (Mumbai edition) (**"DPS"**); and

(c) the letter of offer dated June 6, 2019 in connection with the Offer (**"Letter of Offer"** or **"LoF"**); and

(d) the offer opening public announcement and corrigendum in connection with the Offer, published on June 14, 2019 in the following newspapers:(I) Financial Express (all editions); (ii) Jansatta (all editions); (iii) Navshakti (Mumbai edition); (iv) Vishwavani (Bangalore edition); (v) The Times of India (all editions); (vi) Gujarat Samachar (all editions); and (vii) The Economic Times (all editions)

For the purpose of this Corrigendum:

(a) **"SEBI SAST Regulations"** means the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (as amended);

(b) **"Shareholders"** means all the shareholders of the Target Company, other than the Acquirer, parties to the SPA and persons deemed to be acting in concert with the parties to the SPA, pursuant to and in compliance with the SEBI SAST Regulations;

(c) **"Tendering Period"** means the following period: Monday, June 17, 2019 to Friday, June 28, 2019 (both days inclusive); and

Capitalised terms used but not defined in this Corrigendum shall have the meaning assigned to such terms in the Letter of Offer.

CORRIGENDUM

Paragraph 2.1.10 of the Letter of Offer states that: *"The Acquirer may at its discretion seek to effect changes to the board of directors of the Target Company, in accordance with applicable laws (including without limitation, the Companies Act, 2013, the LODR Regulations and Regulation 24 of the SEBI SAST Regulations). No proposal in this regard has been finalised as on the date of this Letter of Offer."* In this regard, please take note of the following:

1. The Acquirer has *vide* its letter dated June 12, 2019 sent to the Target Company on June 13, 2019, proposed the following persons as candidates for the office of director of the Target Company pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013: (a) Mr. Sekharipuram Narayanan Subrahmanyan; (b) Mr. Ramamurthi Shankar Raman; and (c) Mr. Jayant Damodar Patil.
2. The Target Company, *vide* its intimation dated June 20, 2019 to the Stock Exchanges, has disclosed that the nomination and remuneration committee and the board of directors of the Target Company have on June 20, 2019 approved and recommended the following appointments to the board of directors of the Target Company (with effect from July 16, 2019) subject to approval of the shareholders of the Target Company at the upcoming annual general meeting of the Target Company on July 16, 2019:

No.	Name of Proposed Director	Appointment As
1.	Mr. Sekharipuram Narayanan Subrahmanyan	Non-Executive Director
2.	Mr. Ramamurthi Shankar Raman	Non-Executive Director
3.	Mr. Jayant Damodar Patil	Non-Executive Director
4.	Mr.Prasanna Rangacharya Mysore	Independent Director
5.	Mrs. Deepa Gopalan Wadhwa	Independent Director

The Target Company, in the aforesaid intimation, has also disclosed that Mr. Subroto Bagchi (director of the Target Company), who retires by rotation at the upcoming annual general meeting of the Target Company on July 16, 2019, has not offered himself for re-appointment.

OTHER DETAILS ABOUT THE OFFER

The attention of the Shareholders of the Target Company is invited to the following other details of the Offer:

1. **Offer Price:**
   1.1. The Offer Price is Rs. 980 (Rupees Nine Hundred and Eighty only) per Offer Share.
   1.2. The volume-weighted average market price per Equity Share of the Target Company for a period of 60 (sixty) trading days immediately preceding the date of the Public Announcement, as traded on the stock exchange where the maximum volume of trading in the shares of the Target Company are recorded during such period and such shares being frequently traded, is Rs. 885.04 (Eight Hundred and Eighty Five Rupees and Four Paisa).
   1.3. For further details relating to the Offer Price, please refer to Paragraph 5 beginning on Page 32 of the Letter of Offer.
2. **Recommendations of the committee of independent directors of the Target Company**: The committee of independent directors of the Target Company (**"IDC"**) published its recommendation on the Offer on June 12, 2019 in the same newspapers where the DPS was published. The relevant extract of the recommendation of the IDC is given below:

Chairperson of the IDC	Ms. Apurva Purohit
Members of the IDC	1. Ms. Apurva Purohit 2. Mr. Milind Shripad Sarwate 3. Mr. Bijou Kurien 4. Mr. Akshaya Bhargava
Recommendation of the IDC on the Offer, as to whether or not the Offer is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that, as on the date of the PA, the Offer Price of Rs. 980 offered by the Acquirer: 1. is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and 2. appears to be fair and reasonable.
Summary of reasons for the recommendation of the IDC	The IDC has perused the PA, DPS, DLoF and LoF issued on behalf of the Acquirer. The members of IDC draw attention to the closing market price of the Equity Shares of the Target Company on the National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) and BSE Limited (**"BSE"**) as on the date of this recommendation, i.e. June 10, 2019, being Rs 975.50 per Equity Share and Rs 974.65 per Equity Share, respectively, which is lower than the Offer Price. Based on the review of the PA, DPS, DLoF, LoF, and the report dated June 7, 2019, issued by ICICI Securities Limited to the IDC in regard to the Offer Price, the IDC is of the opinion that as on the date of the Public Announcement, the Offer Price of Rs 980 offered by the Acquirer: (a) is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and (b) appears to be fair and reasonable. The shareholders of the Target Company are advised to independently evaluate the Open Offer and take an informed decision about tendering the Equity Shares held by them in the Open Offer.
Details of independent advisors, if any, of the IDC	Khaitan & Co (Legal Advisor) ICICI Securities Limited

3. **Other Information:**
   3.1. The Acquirer and its board of directors accept full responsibility for the information contained in this Corrigendum, and for the Acquirer's obligations under the Offer. Except as mentioned otherwise in this Corrigendum, all the information pertaining to the Target Company has been obtained from the information published and from publicly available sources and the accuracy thereof has not been independently verified by the Acquirer or Managers to the Offer.
   3.2. The Acquirer has appointed Axis Capital Limited and Citigroup Global Markets India Private Limited for the Offer through whom the purchases and settlement of the Offer shall be made during the Tendering Period.
   3.3. In this Corrigendum, all references to "Rs." Or "INR" are references to the Indian Rupee.
   3.4. For further details please refer to the Letter of Offer.

Issued on behalf of the Acquirer by the Managers to the Offer:

AXIS CAPITAL
Axis Capital Limited
Axis House, 1st Floor, C-2, Wadia International Center, P. B. Marg, Worli, Mumbai 400 025
Tel: +91 22 43252183; **Fax:** +91 22 43253000
Website: www.axiscapital.co.in
Email: ml.openoffer@axiscap.in
Contact person: Ms. Mayuri Arya
SEBI Registration Number: INM000012029

citi
Citigroup Global Markets India Private Limited
1202, 12th Floor, First International Financial Centre, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400098
Tel: +91 22 61759999; **Fax:** +91 22 61759898
Website: www.online.citibank.co.in/rhtm/citigroupglobalscreen1.htm
Email: mindtree.openoffer@citi.com
Contact person: Ms. Garima Maheshwari
SEBI Registration Number: INM000010718

Registrar to the Offer:

LINK Intime
Link Intime India Private Limited
C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400 083
Tel : + 91 22 49186200
Fax : + 91 22 49186195
Website: www.linkintime.co.in
Email: mindtree.offer@linkintime.co.in
Contact Person: Mr. Sumeet Deshpande
SEBI Registration Number: INR000004058

On behalf of the Acquirer
Sd/-
Authorised Signatory

Date: June 20, 2019
Place: Mumbai

Adfactors 130

जनसत्ता

24 जून, 2019

पाकिस्तान का पेच

पाकिस्तान करतारपुर गलियारा खोलने पर राजी हुआ, तो उम्मीद बनी थी कि गुरुद्वारा दरबार साहिब के दर्शन करने जाने वाले भारतीय नागरिकों को काफी सुविधा हो जाएगी। मगर अब पाकिस्तान जिस तरह उसमें अड़चनें पैदा कर रहा है, उससे इसकी उम्मीद धुंधली ही बनी हुई है। गुरद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर पंजाब की सीमा से लगभग सटा हुआ है, मगर बगैर वीजा के जाने की इजाजत न होने की वजह से बहुत सारे लोग वहां नहीं जा पाते। जो जाते भी हैं, उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार लंबे समय से मांग कर रही थी कि करतारपुर गलियारा खोल दिया जाए। इमरान खान की सरकार बनी, तो वे इसके लिए राजी हो गए। मगर भारत की तरफ से जो प्रस्ताव रखे गए हैं, उन्हें पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है या फिर कई प्रस्तावों पर खामोश है। भारत की तरफ से प्रस्ताव है कि हर रोज पांच हजार दर्शनार्थियों को जाने की इजाजत दी जाए। विशेष दिनों में यह संख्या दस हजार तक बढ़ी दी जाए। दर्शनार्थियों में भारतीय नागरिकों के अलावा दूसरे देशों में रह रहे उन लोगों को भी इस रास्ते से जाने की इजाजत हो, जिनके पास भारत की नागरिकता है। फिर दर्शनार्थियों को जत्थे के रूप में भी जाने की इजाजत मिले।

मगर पाकिस्तान ने इन सभी मांगों को मानने से इनकार कर दिया है। उसका कहना है कि हर दिन सिर्फ सात सौ दर्शनार्थियों को जाने की इजाजत होगी, वह भी विशेष परमिट पर। दूसरे देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को परमिट पर जाने की इजाजत नहीं होगी। पंद्रह से अधिक लोग समूह में नहीं जा सकते। इससे करतारपुर गलियारा खोलने का मकसद पूरा नहीं होता दिख रहा। इन कड़ी शर्तों के पीछे पाकिस्तान का तर्क है कि अधिक संख्या में श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत देने से आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने में दिक्कत आएगी। समूह में जाने की खुली छूट देने से पहचान करना मुश्किल होगा कि वास्तव में सभी लोग दर्शन के लिए ही जा रहे हैं या उनमें कुछ शरारती तत्त्व भी शामिल हैं। भारत में रह रहे नागरिकों की पहचान और विशेष स्थितियों में उन पर नजर रखना आसान होगा, जबकि दूसरे देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों पर नजर रखना कई तरह की मुश्किलें पैदा करेगा। पाकिस्तान के इस तर्क में बहुत दम नजर नहीं आता।

यह ठीक है कि दोनों देश दहशतगर्दी का दंश झेल रहे हैं और तमाम कड़ाइयों के बावजूद आतंकवादी घुसपैठ पर काबू पाना चुनौती बना हुआ है, मगर करतारपुर गलियारे को खोलने से इस समस्या से पार पाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। भारत सीमा से करतारपुर का रास्ता बहुत लंबा नहीं है। इतने छोटे रास्ते से होकर गुजरने वाले श्रद्धालुओं पर नजर रखना बड़ी बात नहीं है। फिर हर श्रद्धालु का पंजीकरण होगा, तो उसकी पहचान करना और यह जानना कि कितने लोग दर्शन के लिए गए और कितने लोग वापस लौटे, कोई पेचीदा काम नहीं है। चाहे वे समूह में जाएं या अकेले। भारत में अमरनाथ गुफा और मानसरोवर यात्रा के समय भी यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर ऐसे ही इंतजाम किए जाते हैं। करतारपुर जाने वाले यात्रियों पर सुरक्षा की दृष्टि से भारत की भी नजर होगी, इसलिए पाकिस्तान को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। मगर उसकी आदत है भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने का दिखावा करने और फिर अड़ंगेबाजी करते रहने की, सो करतारपुर गलियारा मामले में भी वह वही कर रहा है।

शांति का संकट

ईरान पर हमले करने से अमेरिका भले पीछे हट गया हो, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में यह खतरा और बढ़ेगा। फारस की खाड़ी में जिस तरह की मोर्चाबंदी हो चुकी है, अत्याधुनिक परमाणु मिसाइलों से सुसज्जित विशालकाय अमेरिकी नौसेना के बेड़े खाड़ी में खड़े हैं, लड़ाकू जहाज आकाश में चौबीसों घंटे मंडरा रहे हैं, तो यह दुनिया को गंभीर संकट की ओर धकेलने का संकेत है। युद्ध भले न हो, लेकिन यह तनाव युद्ध से ज्यादा विनाशक तस्वीर पेश कर रहा है। हाल में मामला तब गरमाया जब अमेरिका का एक ड्रोन विमान मार गिराया गया। किसने गिराया, यह अलग और विवाद का विषय है। इस पर परस्पर विरोधी दावे किए जा रहे हैं। इसकी तोहमत अमेरिका ने ईरान पर मढ़ी है, जबकि ईरान लगातार इसका खंडन कर रहा है। ईरान पर हमले का फैसला ट्रंप ने इसी घटना के बाद किया। लेकिन ईरान पर हमला शुरू होने के ठीक दस मिनट पहले ट्रंप ने अचानक जिस तरह हमला नहीं करने का फैसला कर डाला, उससे साफ है कि अमेरिका अपने को इस संकट में ईरान के मुकाबले कहीं ज्यादा घिरा हुआ पा रहा है और नफे-नुकसान के आकलन में लगा है। इस बीच, ईरान पहले ही यूरेनियम संवर्धन का काम तेज करने की बात कह चुका है। जाहिर है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने की दिशा में उसके कदम और तेजी से बढ़ेंगे। तब कैसे शांति के बारे में सोचा जा सकता है?

दोनों देशों के बीच तनातनी तभी से ज्यादा बढ़ी है जब अमेरिका ने ईरान के साथ किए परमाणु समझौते से अपने को अलग कर लिया था। अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र भी इसे ट्रंप की हठधर्मिता ही बताते रहे हैं। जाहिर है, अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार बनाने की आड़ में विवाद में फंसा कर उस पर हमला करने की तैयारी में लंबे समय से है। ठीक ऐसा ही उसने इराक के साथ किया था। इराक पर जैविक हथियार बनाने का आरोप लगा कर उस पर हमला किया गया, लेकिन बाद में इराक के पास जैविक हथियार जैसा कुछ नहीं मिला था। अमेरिका इराक की तरह ही ईरान के तेल पर भी कब्जा करना चाहता है। लेकिन जिस तरह से रूस ईरान के साथ खड़ा है और चीन भी अमेरिका के खिलाफ है, उस सूरत में ईरान पर हमला आसान नहीं है। पिछले डेढ़ महीने में ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर हमले की घटनाएं तो महज युद्ध का कारण बनाने के लिए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल टैंकर इसी खाड़ी मार्ग से गुजरते हैं, इस लिहाज से भी यह दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका है। ऐसे में अगर युद्ध छिड़ा तो सबसे बड़ा और पहला संकट अंतरराष्ट्रीय तेल कारोबार पर आएगा। इसे अमेरिका भी बखूबी समझ रहा है और इसीलिए दुनिया के कई देशों ने उस पर युद्ध टालने के दबाव भी डाला।

ट्रंप अगले साल राष्ट्रपति चुनाव में फिर मैदान में होंगे। फ्लोरिडा में तीन दिन पहले उन्होंने प्रचार अभियान की शुरुआत भी कर दी। इसलिए वे ईरान के मुद्दे को अभी जिंदा रखेंगे, ताकि अमेरिका जनता को पहले की तरह ही यह भरोसा दिला सकें कि ईरान जैसे देश से निपटने की ताकत उन्हीं में है। इस बात को ट्रंप भी जानते हैं और दुनिया के सारे ताकतवर देश भी कि आज परमाणु हथियारों के युग में युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध का मतलब है- मानव जाति का विनाश। ऐसे में युद्ध टालने और शांति के उपाय खोजने में ही मानव कल्याण है।

कल्पमेधा

स्वतंत्रता यानी दायित्व, इसलिए अधिकांश लोग इससे डरते हैं।
-बर्नार्ड शॉ

चुनाव सुधार और आशंकाएं

आलोक मेहता

भारत के ग्रामीण मतदाता भी अब बहुत समझदार हो चुके हैं। वे हित-अहित समझते हैं। वे विकास कार्यों को निरंतर जारी रखना चाहते हैं। अस्थिर सरकारों के नतीजे वे देख चुके हैं। फिर केंद्र और राज्यों की सरकारों में टकराव से दिल्ली ही नहीं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य की जनता विकास तथा कल्याण कार्यों के गड़बड़ाने से परेशान रहती है। संघीय ढांचे से लाभ भी तो होना चाहिए।

करगिल की ऊंची हिम शृंखलाओं पर या साठ डिग्री की आग जैसे रेगिस्तान में तैनात सिपाही क्या किसी भय से सुरक्षा की मांग करते हैं? गुर्दे, लीवर या दिल का अति संवेदनशील आपरेशन करने वाले अनुभवी डॉक्टर के हाथ क्या भय से कांपते हैं? हजारों फीट ऊंचाई पर विमान उड़ाने वाले क्या हवा-पानी, बादल के झटकों से घबराते हैं? विशालकाय पुल बनाने वाले इंजीनियर पुल के गिर सकने की संभावनाएं सोचकर क्या काम बंद कर देते हैं? नहीं, कभी नहीं। फिर सार्वजनिक जीवन में अपने कर्म-वचन पर भरोसा कर सकने वाले कई नेताओं की दुनिया के आदर्श लोकतांत्रिक भारत में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ होने के प्रस्ताव मात्र पर घबराहट क्यों हो रही है? संविधान निर्माताओं में अग्रणी डा. भीमराव आंबेडकर, जेबी कृपलानी, डा. राममनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, कामरेड होमी दाजी, ज्योति बसु जैसे शीर्षस्थ नेताओं की तरह विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव में हार-जीत की परवाह किए बिना चुनाव लड़े। विजय से सत्ता मिली या पराजय से फिर संघर्ष और सफलता के अनुभव मिले। लेकिन किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। फिर अब 'एक देश, एक चुनाव' के लिए व्यापक सहमति और चुनाव व्यवस्था में आवश्यक सुधार-संशोधन पर आशंकाएं-आपत्तियां क्यों उठनी चाहिए? राष्ट्रपति ने संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए खर्चीली और लगातार चुनावी तूफान की व्यवस्था से निजात पाकर एक साथ चुनाव के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार-विमर्श और निर्णय की सलाह दी।

फिर भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और कम्युनिस्ट पार्टियों के नेताओं के साथ प्रगतिशील कहलाने वाले गैर-राजनीतिक वर्ग ने भी गंभीर आशंकाएं और आपत्तियां व्यक्त की हैं। बहस में शामिल होकर सकारात्मक सुझाव-सिफारिशें रखने के बजाय वे ऐसे किसी लोकतांत्रिक कदम से संविधान की मूल संघीय भावना, क्षेत्रीय स्वायत्तता और अस्तित्व के खत्म होने, दो-तीन दलीय व्यवस्था या एक दलीय और एक नेतृत्व वाली तानाशाली तक के खतरे बताने लगे हैं। यह क्या उनकी विचारधारा, सुविधा या कमजोरी है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल हों अथवा क्षेत्रीय पार्टियां, क्या बार-बार के चुनाव के लिए हजारों करोड़ रुपए बहाने में सुख और संतोष का अनुभव करती हैं? पिछले चुनाव इस बात के प्रमाण हैं कि सरकारी खजाने से चुनाव आयोग के लगभग दस हजार करोड़ रुपए के अधिकृत खर्च के अलावा राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार चुनावों में कुल मिला कर दो से पांच लाख करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं। कुछ पार्टियों में तो केवल उम्मीदवार बनने के लिए बीस से पचास करोड़ रुपए वसूल लिए जाते हैं, फिर भले ही वह चुनाव हार जाए। इससे पार्टी के शीर्ष नेताओं का खजाना अवश्य भर जाता है। राजनीतिक दल सत्ता में हों या विपक्ष में, उनके कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को पूरे साल किसी न किसी प्रदेश के चुनाव के लिए भागते-दौड़ते रहना पड़ता है। केंद्र या प्रदेशों के मंत्री पार्टी नेतृत्व के आदेशानुसार चुनावों के लिए अधिक सक्रिय रह कर अपने मंत्रालयों और विभागों के कामकाज पर कम समय दे पाते हैं। अर्धसैनिक बल तो निरंतर चुनावी ड्यूटी में लगे रहते हैं।

असली समस्या आचार संहिता की है। चुनाव से करीब तीन महीने पहले आचार संहिता लागू हो जाती है। इस कारण कुछ सरकारी निर्णय या तो जल्दबाजी में होते हैं या फिर महीनों के लिए लटक जाते हैं। फिर चुनाव के बाद नई सरकार, नए मंत्री, अधिकारियों के विभागों में परिवर्तनों से प्रशासनिक कामकाज ढर्रे पर लाने में तीन महीने लग जाते हैं। ताजा उदाहरण पिछले वर्ष के अंत में हुए मध्यप्रदेश विधान सभा के चुनाव और फिर इस वर्ष मई महीने तक हुए लोकसभा चुनाव के कारण स्कूली बच्चों की ई-लर्निंग योजना में रुकावट आने का है। इस योजना के लिए कुछ जिलों में धनराशि भी जुटाई गई, लेकिन सरकारी स्कूलों के लिए सरकारी अनुमति और भागीदारी चाहिए थी। दो वर्षों के प्रयास के बाद अंतिम चरण में क्रियान्वयन से पहले आचार संहिता लागू हो गई। नतीजा यह हुआ कि क्रियान्वयन लगभग आठ महीने बाद जून-जुलाई में हो पाएगा। इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण अस्पताल, सड़क, स्कूल, पुस्तकालय, आवास संबंधी पचासों प्रस्ताव

और निर्णय राज्यों से लेकर केंद्र सरकार तक में अट-के रहे। सरकार को सेवा देने वाले गैर सरकारी संस्थानों, छोटे उद्यमियों द्वारा दी गई सेवाओं के भुगतान महीनों के लिए लटक गए। इससे उनकी ही नहीं, अर्थ व्यवस्था की गाड़ी भी अटक गई।

राजनीतिक दलों की एक चिंता समय से पहले लोकसभा और विधान सभा में बहुमत नहीं रहने, बड़े दलबदल और सरकारें गिरने के बाद की स्थिति को लेकर है। इसका उत्तर यह है कि कार्यकाल निश्चित होगा। यदि सांसद या विधायक स्वयं दुबारा चुनाव थोपेंगे, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होंगे। वैसे इस संभावना को देखकर स्थिरता बने रहने के स्थिति अधिक रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि 'एक देश एक चुनाव' के नए बदलाव के साथ चुनाव सुधार के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी संसद व सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति ले ली जाए, ताकि अपराधी तत्वों और भारी चुनावी खर्चों पर भी अंकुश लग सके।

एक देश एक चुनाव के आलोचकों का एक तर्क पश्चिमी देशों के लोकतंत्र और संघीय ढांचे को लेकर है। जब वे अमेरिका का नाम लेते हैं, जहां राज्यों के चुनाव अलग-अलग होते हैं, तब उन्हें यह मानना चाहिए कि वहां प्रमुख राजनीतिक दल दो ही हैं। वे भारत में पचीसों राजनीतिक दलों की आवश्यकता बताते हैं। वे यह नहीं समझते कि वहां दलों, उम्मीदवारों और राष्ट्रपति तक के चुनावी खर्च की पारदर्शिता होती है। वहां औसतन मतदाता समान आय वर्ग के होते हैं। यदि वे यूरोपीय देशों की बात करें, तो जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस में भी राजनीतिक दलों की संख्या सीमित है। जहां तक क्षेत्रीय दलों की बात है, जर्मनी के बवेरिया जैसे राज्यों में दशकों तक क्षेत्रीय दल का अस्तित्व भी बना रहा और राष्ट्रीय पार्टियों का महत्त्व बरकरार रहा। भारत के हाल के चुनावों ने भी साबित किया कि ओड़िशा, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में मतदाताओं ने विधान सभाओं और लोकसभा में अलग-अलग दलों को वोट दिए। क्षेत्रीय हितों की रक्षा यदि राष्ट्रीय राजनीतिक दल करते रहें और प्रादेशिक क्षत्रपों का महत्त्व बनाए रखें, तो उनकी महत्ता बनी रह सकती है।

भारत के ग्रामीण मतदाता भी अब बहुत समझदार हो चुके हैं। वे हित-अहित समझते हैं। वे विकास कार्यों को निरंतर जारी रखना चाहते हैं। अस्थिर सरकारों के नतीजे वे देख चुके हैं। फिर केंद्र और राज्यों की सरकारों में टकराव से दिल्ली ही नहीं, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य की जनता विकास तथा कल्याण कार्यों के गड़बड़ाने से परेशान रहती है। संघीय ढांचे से लाभ भी तो होना चाहिए। साठ के दशक से लेकर आज तक वही राजनीतिक दल अच्छी सफलता पाते आए हैं, जिनका संगठन मजबूत रहा है। किसी समय कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टियों का संगठनात्मक ढांचा सुदृढ़ होता था। प्रादेशिक नेतृत्व और समर्पित कार्यकर्ताओं के बल पर वे चुनावी सफलता पाती रही। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न प्रदेशों में संगठन मजबूत किया। लेकिन अब क्षेत्रीय अथवा जातीय हितों के नाम पर चलने वाली पार्टियां धीरे-धीरे आधार खो चुकी हैं। जातीय समीकरण से चुनाव परिणामों का आकलन करने वाले गलत साबित हो रहे हैं। इसलिए चुनावी सुधार के साथ जनता से जीवित संपर्क ही लोकतंत्र को मजबूत करेगा।

पर्यावरण के दोस्त

मनीष वैद्य

दुनिया मेरे आगे

हम खेतों में सिंचाई के लिए पानी का अंधाधुंध उपयोग करते हैं। साठ फीसदी भू-जल का उपयोग सिर्फ सिंचाई के लिए हो रहा है। साथ ही बिजली या डीजल की बड़ी मात्रा खपत करते हैं, लेकिन आदिवासी समाज ऐसी युक्ति का इस्तेमाल करते हैं जो उनके पूर्वजों ने बिना किसी पढ़ाई के परंपरा और अर्जित अनुभव से विकसित की थी। यह आज भी देखने को मिलती है और इसका अब भी कोई सानी नहीं। लगता है कि इनसे हमें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।

पश्चिम मध्यप्रदेश का निमाड़ इलाका सतपुड़ा पर्वत शृंखला की ऊंची-नीची पहाड़ियों की ऊसर जमीन का पठारी क्षेत्र है। इंदौर शहर से पौने दो सौ किमी दूर बडवानी का पाटी कस्बा एक छोटे पठार पर बसा है। इससे आगे छोटे-बड़े पहाड़ों का सिलसिला और उन पर बसे छोटे आदिवासी गांव फलिए का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। इसमें खासी मशक्कत की वजह से हांफते-हांफते जान निकलने लगती है। पूरे रास्ते पहाड़ वीरान और उसर पड़े हैं। न पेड़ है और न कोई बड़ी नदी। नर्मदा बहुत पहले ही छूट जाती है। दूर-दूर तक पानी का कोई सोता नहीं नजर आता। बस कुछ पहाड़ी नाले हैं जो बारिश के बाद ज्यादा दिन साथ नहीं देते। कई बरसों से यह इलाका सूखा घोषित किया जाता रहा है। कुछ कुएं और नलकूप भी हैं, पर ज्यादातर सूखे। कहीं छोटे-छोटे खेत जरूर दिख जाते हैं। यहां के लोग बड़ी तादाद में मजदूरी करने हर साल शहरों का रुख कर लेते हैं।

स्वाभाविक रूप से लगा कि बारिश के बाद तो यहां खेती का कोई काम नहीं। पानी ही नहीं, तो खेती कैसी। हमने साथ चल रहे एक स्थानीय आदिवासी युवक गोरख्या से पूछ लिया कि यहां सिंचाई से खेती तो नहीं होती होगी। उसने आशा के विपरीत मुस्कराते हुए कहा कि नहीं, यहां भी सिंचाई होती है हालांकि बहुत कम होती है। सहसा विश्वास नहीं हुआ। जिज्ञासा हुई कि आखिर इन हालात में ये लोग अपने खेतों को पानी कैसे देते होंगे, जबकि आसपास न अब तक कोई कुआं नजर आया था और न ही कोई अन्य साधन। इस सवाल पर गोरख्या कुछ बोला नहीं। बस मुस्करा दिया। फिर बोला कि खुद ही देख लेना। इसके बाद लंबे-लबे डग भरता हुआ हमसे आगे चलता रहा। पर हमारे मन में जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि यहां पानी कैसे और कहां से आता होगा। थका देने वाले इस लंबे पांच घंटे के सफर का पहला पड़ाव था पीपरकुंड। यह पहाड़ों के पार एक दूसरे पहाड़ पर बसा है। इस वन ग्राम में न बिजली है और न ही सड़क। आठ फलियों को मिला कर ढाई सौ लोगों की बस्ती है। गांव से लगे घने जंगल के आसपास कुछ खेती की जमीन। यहां किसी के पास तीन तो किसी के पास छह एकड़ तक खेती की जमीन है।

पहाड़ सिंह के खेत पर यह देख कर हम दंग रह गए कि छोटी-छोटी घुमावदार नालियों से रेंगते हुए पानी इस सूखे पहाड़ पर भी छलछलाता पहुंच रहा था। पहाड़ सिंह ने बताया कि यह उनका पारंपरिक तरीका है, जिसमें बिना बिजली या डीजल और बिना किसी उपकरण के सिर्फ घुमावदार नालियों के जरिए ही सैकड़ों फुट नीचे से पहाड़ों पर पानी चढ़ाया जाता है। पहले थोड़ा ऊपर, फिर नीचे फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे- इस तरह बहते हुए पानी को गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। इसकी दूरी आधा से डेढ़ किमी तक होती है।

यह विज्ञान के उसी सिद्धांत पर काम करता है जिसमें पहाड़ी नालों में बहते पानी को 'डाउन स्ट्रीम' से 'अप स्ट्रीम' में ले जाया जाता है। इसी तकनीक को स्थानीय बोली में पाट की खेती कहते हैं। हालांकि यह इतना आसान भी नहीं है, पर इन आदिवासियों की जिंदगी मेहनत से कब घबराती है! बकौल पहाड़ सिंह पहले तो बहुत लंबी-लंबी नालियां खोदनी पड़ती है, फिर इसकी लगातार देखभाल करनी पड़ती है और साल-दर-साल इसकी गाद हटानी पड़ती है।

यह तभी तक पानी दे सकता है, जब तक कि नाले में पानी हो। नाले का पानी सूख गया तो सारी मेहनत बेकार। कातर फलिए के वेलसिंह भी एक किलोमीटर दूर से नाली लाकर खेती कर रहे हैं। बीस साल पहले उसके पिता ने ये नालियां खोद कर पाट तैयार किया था, लेकिन बीच में बिजली आ गई तो हमने इसे बंद कर बिजली से सिंचाई शुरू कर दी। पर बिजली कटौती और भारी भरकम बिल आने से अब फिर पाट से पानी चढ़ा रहे हैं।

इलाके में कई आदिवासी किसान पीढ़ियों से इस तरह पानी के साथ देश की बिजली और डीजल भी बचा रहे हैं। यह सब तरह से निरापद और प्राकृतिक होने के साथ-साथ बिजली और डीजल बचाने वाली परंपरागत पद्धति है। हमें इनसे सीखना चाहिए। हमारे 'इको सिस्टम' या पर्यावरण तंत्र को यथावत रखते हुए ऐसे वैकल्पिक संसाधनों और तकनीकों को सहेज कर इन्हें और परिवर्धित करने की जरूरत है, ताकि पानी और उर्जा को बचाया जा सके।

मौत और सवाल

बिहार में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी यह बुखार फैल रहा है। मीडिया की सक्रियता से यह मामला प्रकाश में आया और सरकार चेती, वरना किसी की भी नजर इस ओर नहीं जाती। किसी पूंजीपति, उद्योगपति, मंत्री, नेता या नौकरशाह का बच्चा किसी अस्पताल की लापरवाही में अगर मर जाता तो सभी अस्पतालों के लिए नए नियम बना दिए जाते, उस अस्पताल की मान्यता रद्द करके डॉक्टर को जेल भिजवा दिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मुजफ्फरपुर में मरने वाले बच्चों में कोई बच्चा ऐसे अमीर और ताकतवर लोगों का नहीं है। मरने वाले बच्चे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं। इसीलिए यहां कोई कानून लागू नहीं है। देश-प्रदेश की सरकार जश्न मनाने में व्यस्त हैं। कुछ सांसदों ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया है। आम लोगों और विपक्षी नेताओं को चाहिए कि वे ऐसे मुद्दे पर सड़क से सदन तक संघर्ष कर इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं। मीडियाकर्मियों और नेताओं को भी चाहिए कि वे डाक्टरों के काम में बाधा न डालें और सत्ता से सवाल करने की हिम्मत दिखाएं।

● *मंजर आलम, रामपुर डेहरू, मधेपुरा*

लाइलाज बीमारी

देश में कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसके पीछे जनहित का तर्क दिया जाता है दूसरी ओर मानव हमारा सबसे बड़ा संसाधन है। इससे हम अपने राष्ट्रीय संसाधन में वृद्धि करते हैं। लेकिन अगर मानव संसाधन का ही ह्रास होने लगे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका नुकसान देखने को मिलता है। आज जीने के लिए संघर्ष प्राकृतिक अवस्था की भांति जारी है। कौन से लोग कब और किस प्रकार से बीमारी से ग्रस्त होंगे, कहना मुश्किल है। ऐसे में समाज और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मानव विशेष को ऐसी परिस्थिति प्रदान करें कि वह स्वस्थ जीवन यापन कर स्वयं समाज और राष्ट्र के विकास में उत्तरोत्तर अपना सकारात्मक योगदान दे सके। आज देशभर में राज्यों और केंद्र सरकार तक के स्वास्थ्य विभाग की मौजूदा स्थिति गंभीर है। विकट स्थिति तो यह है कि आने वाले दिनों में भी स्वास्थ्य सुविधा के विपरीत व्यक्ति अधिक से अधिक बीमारियों से ग्रसित होंगे। एक ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रति एक हजार व्यक्ति पर एक चिकित्सक होने की बात करता है, जबकि हमारे यहां की स्थिति यह है कि ग्यारह हजार लोगों पर एक चिकित्सक है। जाहिर है, हमारी स्वास्थ्य ही बीमार है जिसके इला की जरूरत है। नित नई तकनीक के बावजूद ज्यादा बीमारियों का हमला बात का प्रमाण है कि हम विकास नहीं विनाश के रास्ते हैं।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर*

बजट से उम्मीदें

साल 2018 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्तार-चढ़ाव वाला सफर था। उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थीं। बड़े सुधारों की आशा थी। जहां छोटे-मोटे कुछ आर्थिक सुधार हुए, लेकिन कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला। भारत आर्थिक तौर पर मजबूत लगा, मगर इसका श्रेय घरेलू कारणों के बजाय दुनिया में तेल के दामों में गिरावट को ज्यादा मिला। अब उम्मीदें आगामी बजट से हैं। भारत एक निम्न मध्य आय वाला देश है। इस वर्गीकरण के तहत प्रति व्यक्ति सालाना एक हजार डॉलर से कम आमदनी वाले देश निम्न आय वाले होंगे। हालांकि गरीबी को पूरी तरह से दूर करना संभव नहीं है, लेकिन इसका वितरण समुचित ढंग से हो तो गरीबी का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम दो दशकों तक काम करना होगा।

आगामी बजट से आम जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। जहां एक बड़ा वर्ग कर छूट की आस लगाए बैठा हैं, वहीं युवाओं को पूरा फोकस शिक्षा सहित उन्हें मिलने वाले रोजगार पर है। बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए इस बार कौनसा फार्मूला सरकार आम जनता के सामने पेश करेगी, यह देखने वाली बात है। बुजुर्गों को भी बजट से काफी उम्मीद है। पेंशनधारी हों या दूसरे बुजुर्ग, सभी की निगाहें बजट पर हैं। निवेशक भी अपने लिए बजट में कुछ खास तलाशेंगे। जो हो, बजट आम जनता, किसानों और रोजगार पैदा करने वाला होना चाहिए।

● *मनीषा, कुशीनगर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

अमेरिका की दादागीरी

अमेरिका एक युद्धपिपासु देश है। इसका पिछले सत्तर सालों का इतिहास खंगालें तो यह दुनिया के किसी न किसी भूभाग में विशेषकर गरीब और छोटे देशों से अपने आर्थिक और वैचारिक स्वार्थ पूरे करने के लिए उन पर युद्ध थोप कर वहां के लोगों को मौत के घाट उतारता रहा है। कोरिया, जापान, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया आदि देशों की व्यवस्था और उनकी सभ्यता नष्ट करने के साथ-साथ बड़ी संख्या में उन देशों के लोगों की हत्या भी कर चुका है। हाल में ईरान के हार्मोज्दान प्रांत के मुबारक इलाके में अमेरिका अपने एक एमक्यू 4सी ट्राइटन ड्रोन विमान से जासूसी कर रहा था, जिसे अमेरिकी अधिकारियों ने स्वीकार भी किया है, को ईरानी सेना ने अपने रूस निर्मित दमदार रॉडार गाइडेड मिसाइल एस-300 से मार गिराया। ईरानी सेना ने भी इस विमान को एक जासूसी आरक्यू-4 ग्लोबल हॉक के रूप में चिन्हित कर दिया है। वस्तुतः ईरान ने इस अमेरिकी ड्रोन को गिरा कर अमेरिकी दंभ को चकनाचूर कर दिया है। अब प्रश्न है कि खुद अमेरिका अपने देश के किसी भूभाग पर किसी भी अन्य देश के जासूसी विमान से जासूसी करते हुए बर्दाश्त कर लेगा? निश्चित रूप से नहीं। तो ईरान की कार्रवाई को अमेरिकी राष्ट्रपति 'ईरान की बहुत बड़ी गलती' कैसे करार दे सकते हैं? आज सभी को मालूम है कि पूरा विश्व परमाणु हथियार के ढेर पर बैठा है। इस स्थिति में तनाव की एक छोटी-सी चिनगारी भी इस संपूर्ण विश्व को मात्र कुछ मिनटों में तबाह कर सकती है! अमेरिका को यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वह अजेय है या विश्वयुद्ध छिड़ने पर वह सुरक्षित रह पाएगा।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

खबर कोना

दाभोलकर हत्याकांड

पुनालेकर छह जुलाई तक न्यायिक हिरासत में

पुणे, 23 जून (भाषा)।

पुणे की एक अदालत ने तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर के हत्यारोपी वकील संजीव पुनालेकर को छह जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश (विशेष न्यायधीश) आरएम पांडे ने पिछले बृहस्तिवार को पुनालेकर को 23 जून तक सीबीआइ की हिरासत में भेज दिया था। सीबीआइ ने कहा था कि उसे संजीव के लैपटॉप से अपराध की ओर संकेत करने वाले दस्तावेज मिले हैं और उनसे इस बारे में पूछताछ की जरूरत है। सीबीआई ने रविवार को अदालत को बताया कि संजीव को और ज्यादा हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद न्यायाधीश ने संजीव को छह जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सीबीआइ ने संजीव और उसके सहायक विक्रम भावे को 25 मई को गिरफ्तार किया था। पुनालेकर पर इस मामले में शामिल हमलावरों में से एक शरद कलासकर को अपराध में इस्तेमाल किए गए हथियारों को नष्ट करने की सलाह देने का आरोप है। दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बारिश

हुबली में रविवार को बारिश के दौरान स्कूटर चलाता व्यक्ति।

शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं ने मुंबई की सड़कों से पुतले हटाए

मुंबई, 23 जून (भाषा)।

शिवसेना की महिला शाखा की कार्यकर्ताओं ने मुंबई की कुछ सड़कों और दुकानों से अवैध पुतले (मैनकिन) हटाए। दरअसल बृहन्मुंबई नगर निगम ने हाल ही में कपड़ों की दुकान चलाने वाले दुकानदारों से कहा था कि वह नगर निकाय की अनुमति के बिना अधोवस्त्र पहने पुतले नहीं लगाए। नगर निगम के इस आदेश के बाद महिला कार्यकर्ताओं ने यह कदम उठाया है।
शिवसेना की स्थानीय इकाई की कम से कम 30 महिला कार्यकर्ता विले पार्ले इलाके की कुछ सड़कों पर गईं और उन्होंने पेड़ों पर लटकाए गए और दुकाने के बाहर लगे इस प्रकार के पुतलों को हटा दिया। उन्होंने दावा किया कि अद्योवस्त्रों के इस प्रकार से प्रदर्शन से महिलाएं असहज महसूस करती हैं। विले पार्ले क्षेत्र में शिवसेना कार्यकर्ता रजनी मिस्त्री ने कहा, 'इससे सड़कों पर निकलने वाले बच्चों का भी बेवजह इन पर ध्यान जाएगा।' पार्टी की अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि दुकान के नाम से पता चल जाता है कि वहां किस प्रकार के कपड़े मिलते हैं, इसके लिए अद्योवस्त्रों का खुलेआम प्रदर्शन जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थानीय इकाई की महिला कार्यकर्ता शहर के अन्य हिस्सों में इस प्रकार की कार्रवाई करेंगी।

उप निरीक्षक ने सरकारी आवास में आत्महत्या की

झाबुआ (मप्र), 23 जून (भाषा)।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर ग्राम झकनावदा में पुलिस चौकी में पदस्थ उप निरीक्षक भागीरथ बघेल (48) ने शनिवार की रात अपने शासकीय आवास में कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे इस पुलिस चौकी के प्रभारी थे और पिछले छह माह से यहां पदस्थ थे। वे प्रदेश के खरगोन के रहने वाले थे। झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक विनीत जैन ने रविवार को बताया, 'शनिवार की रात घटना के पूर्व भागीरथ बघेल ने खाना खाया और फिर जिन जवानों की गश्त में ड्यूटी थी उन्हें गश्त के लिए भेजा। उसके बाद उन्होंने अपने आवास में रसोई गैस के सिलेंडर पर चढ़कर छत पर लगे पंखे के हुक में रस्सी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। वह इस आवास में अकेले रहते थे।' उन्होंने कहा कि रविवार सुबह जब बघेल नहीं जागे तो एक कर्मचारी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खोलने पर मोबाईल फोन पर कॉल भी किया। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर इसकी सूचना रायपुरिया थाना प्रभारी को दी गई। थाना प्रभारी के पहुंचने के बाद उनके आवास की एक खिड़की को तोड़ा गया। तब पता चला कि बघेल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जैन ने बताया की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। मामले की जांच की जा रही है।

नहरों की दुर्दशा से हजारों क्यूसेक पानी जा रहा पाकिस्तान की ओर

जयपुर, 23 जून (भाषा)।

देश में पानी को लेकर हाहाकार मचा है और दूसरी तरफ हालत यह है कि राजस्थान और पंजाब में खेतों की सिंचाई करने में काम आ सकने वाला हजारों क्यूसेक पानी सिर्फ इसलिए पाकिस्तान की तरफ बह रहा है क्योंकि हमारी नहरें अपनी पूरी क्षमता के अनुरूप पानी लेकर उसे खेतों तक नहीं पहुंचा पा रही हैं। ऐसा हर साल होता चला आ रहा है। राजस्थान सरकार ने इस बारे में स्थिति रिपोर्ट मांगी है और पंजाब सरकार से नहरों की मरम्मत करवाने की मांग की है।

किसान नेताओं के अनुसार, एक महीने से हर दिन औसतन पांच से छह हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे यहां से बिना वजह पाकिस्तान को जाने वाले पानी को भले ही पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता लेकिन नहरों की स्थिति सुधारकर इसकी कम से कम आधे से अधिक मात्रा का देश में उपयोग किया जा सकता है। पाकिस्तान जाने वाला पानी दरअसल पंजाब में व्यास और सतलज नदी पर बने हरिके बैराज की अधिशेष मात्रा से छोड़ा जाता है। यह पानी हुसैनी वाला हैड से होता हुआ पाकिस्तान चला जाता है। अधिकारियों का कहना है

किसान नेताओं के अनुसार, एक महीने से हर दिन औसतन पांच से छह हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा है

राजस्थान सरकार ने इस बारे में स्थिति रिपोर्ट मांगी है और पंजाब सरकार से नहरों की मरम्मत करवाने की मांग की

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंगनहर और भाखड़ा नहर को पानी देने वाली फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिए हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिह को पत्र लिखा है। उन्होंने इस फीडर की रिलाइनिंग का काम जल्द से जल्द करवाने की मांग की है ताकि राजस्थान में गंगनहर और भाखड़ा नहरों के किसानों को पूरा पानी मिल सके।

पंजाब में धान की रोपाई शुरू होने के बाद हालात सामान्य हैं। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता (हनुमानगढ़) विनोद मित्तल ने कहा, 'सरकार ने हमसे स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, जो हमने भेज दी। उस समय पंजाब अपने हिस्सा का पानी नहीं ले रहा था। लेकिन अब हालात सामान्य है।' पंजाब में धान की रोपाई इसी दूसरे पखवाड़े में शुरू हुई है। गंगानगर के विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा, 'पानी पाकिस्तान जा रहा है यह बात तो वहां पंजाब के सिंचाई अधिकारी भी कह रहे हैं और इस बारे में रपटें भी यहां प्रकाशित हुई हैं। हमारी नहरें क्षमता अनुसार पानी ले नहीं रही हैं। अगर बांध से पानी की निकासी नहीं होगी तो कई इलाकों में बाढ़ या ऐसी परेशानी हो सकती है। इसलिए पानी छोड़ना मजबूरी है।'

किसान संघर्ष समिति के प्रवक्ता सुभाष सहगल के अनुसार, 'पानी लगातार उधर छोड़ा जा रहा है। इसी शुक्रवार को 2065 क्यूसेक पानी हरिके बैराज से पाकिस्तान छोड़ा गया। आप मान कर चलिए कि 20 मई के बाद से लगभग एक महीने में हर दिन औसतन 5000 से 6000 क्यूसेक पानी यूं ही बर्बाद होता है जो पाकिस्तान चला जाता है।' गंगानगर किसान समिति के संयोजक रणजीत सिंह राजू ने कहा, 'पानी इसलिए यों ही छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारी नहरें, चाहे वह गंगनहर हो, या राजकैनाल (इंदिरा गांधी नहर) हो, इस हालत में है ही नहीं कि पूरा पानी ले सके। गंगनहर को पानी देने वाले फिरोजपुर फीडर की क्षमता 6000 क्यूसेक की है उसमें पानी चलता है मुश्किल से 4500 क्यूसेक। इसी तरह राजकैनाल की क्षमता 3200 क्यूसेक की है लेकिन 1800 क्यूसके पानी छोड़ते ही वह हांफने लगती है।'

फिरोजपुर फीडर को पंजाब और राजस्थान के किसानों की 'लाइफ लाइन' माना जाता है। इसकी क्षमता 11,192 क्यूसेक की है, लेकिन नहर में 7500 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि उस स्थिति में यह कहीं से भी टूट सकती है। कमोबेश यही हालत इंदिरा गांधी नहर की है। इसकी मूल क्षमता 18500 क्यूसेक थी लेकिन इसमें अब पानी मुश्किल से 11000 क्यूसेक ही चल पाता है। हालांकि इस नहर की रिलाइनिंग यानी पुननिर्माण का काम चल रहा है। इसी तरह गंगनहर की क्षमता 3000 क्यूसेक की है लेकिन यह 2400 –2500 क्यूसेक से ज्यादा पानी नहीं ले पाती।

सहगल कहते हैं, 'हमारे पास पानी है, पैसा भी है। केवल नहर सही नहीं होने के कारण किसान परेशान हैं। हमारी सिंचित घोषित 60 फीसद जमीन खाली पड़ी है।

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड वन विभाग से मांगी रिपोर्ट

कॉर्बेट में बाघों के हाथियों को खाने वाले अध्ययन पर हलचल

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

केंद्र सरकार ने कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों द्वारा किए गए एक अध्ययन को लेकर उत्तराखंड के वन विभाग से एक रिपोर्ट मांगी है। दरअसल इस अध्ययन के मुताबिक उद्यान में बाघ हाथियों को, खास तौर पर उनके बच्चों को मार कर खा रहे हैं।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन से इस विषय पर एक रिपोर्ट मांगी है।

अध्ययन के मुताबिक, 2014 से 31 मई 2019 तक प्रजनन को लेकर हुई आपस में लड़ाई के कारण कुल नौ बाघ, 21 हाथी और छह तेंदुएं मारे गए।

'वन्य जंतुओं की तीन प्रजातियों के कुल 36 मामलों में 21 मामले केवल हाथियों के थे। हालांकि, एक काफी आश्चर्यजनक पहलू यह है कि करीब 60 फीसद जंगली हाथियों की मौत (13 मामले) बाघों के हमले के कारण और खासतौर पर हाथियों के बच्चों को निशाना बनाया गया।' वरिष्ठ आईएफएस (भारतीय वन सेवा) अधिकारी और राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी संजीव चतुर्वेदी ने कहा कि बाघों द्वारा हाथियों को खाने की घटना अनूठी है। उद्यान के निदेशक चतुर्वेदी ने कहा, 'इसका एक कारण यह हो सकता है कि सांभर और चीतल जैसे जंतुओं के शिकार की तुलना में हाथी के शिकार में बाघों को कम ऊर्जा और प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। साथ ही, हाथी को मारने से उन्हें काफी मात्रा में भोजन मिल जाता है।' उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय उद्यान की पारिस्थितिकी भी अनूठी है क्योंकि यहां 225 बाघ और करीब 1,100 जंगली हाथी हैं जबकि रणथम्भौर, कान्हा और बांधवगढ़ जैसे दूसरे राष्ट्रीय उद्यानों में मुख्य रूप से बाघ ही हैं।

कार्बेट प्रशासन की ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम बंद करने की सिफारिश

देहरादून, 23 जून (भाषा)।

कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) प्रशासन ने वन्यजीवों, खासतौर पर बाघों के लिए खतरे को देखते हुए ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम सुविधा को बंद किये जाने की सिफारिश की है। पार्क के कार्यकारी निदेशक संजीव चतुर्वेदी ने वन विभाग के शीर्ष अधिकारियों को लिखे एक पत्र में यह सिफारिश की है। चतुर्वेदी ने पत्र में लिखा है कि सीटीआर देश का एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है, जो पर्यटकों और वन्यजीव प्रेमियों को कोर एरिया में रात में ठहरने की सुविधा प्रदान करता है। ढिकाला जोन रिजर्व के कोर क्षेत्र में आता है। पत्र में कहा गया है, 'कोर क्षेत्र की संवेदनशीलता और वन्यजीवों खासतौर पर बाघों की सुरक्षा को देखते हुए कार्बेट को छोड़कर देश का कोई भी टाइगर रिजर्व अपने कोर क्षेत्र में रात्रि विश्राम की सुविधा नहीं देता।'

इस पत्र के अनुसार, पर्यटकों और पार्क में आने वालों को रात्रि विश्राम की सुविधा देना वन्यजीवों के लिहाज से ठीक नहीं है क्योंकि पार्क का स्टॉफ वन्यजीवों के संरक्षण और उनके लिये आवास विकसित करने की अपनी मुख्य जिम्मेदारी की जगह उनकी आवभगत में व्यस्त हो जाता है। पत्र में सुझाव दिया गया है कि ढिकाला जोन में रात्रि विश्राम की सुविधा बंद करने से होने वाले राजस्व की भरपाई रिजर्व में दिन में चलने वाली जिप्सियों और कैंटरों की संख्या बढ़ाकर की जा सकती है।

योग भगाए रोग

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेरिको में हुए फलस्तीन योग उत्सव में शनिवार को युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

फलस्तीन योग उत्सव को लेकर युवाओं में उत्साह, बड़ी संख्या में की भागीदारी

जेरिको (वेस्ट बैंक), 23 जून (भाषा)।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेरिको में हुए फलस्तीन योग उत्सव में युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय, ने जेरिको गवर्नरेट, पयर्टन एवं पुरातत्व मंत्रालय और बेत अल-शम्स सेन्टर फॉर सेल्फ डेवेलपमेंट के साथ मिलकर शनिवार शाम पांचवे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर उत्सव का आयोजन किया।

फलस्तीन में भारत के प्रतिनिधि सुनील कुमार ने कहा कि योग दुनिया को जोड़ने वाली ताकत बन गया है।

उन्होंने कहा, 'योग के माध्यम से भारत और फलस्तीन, दोनों देशों के हजारों वर्षों के इतिहास और संस्कृति को जोड़ रहे हैं। इसीलिए हमने चांद के शहर, जेरिको में यह आयोजन किया है। इस दुनिया के सबसे पुराने आबाद शहरों में से एक है।' कुमार ने इस अवसर पर राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़ा।

वहीं दक्षिण अफ्रीका में भी हजारों की संख्या में लोगों ने सप्ताहांत पर आयोजित योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वैसे तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को था, लेकिन ज्यादातर कार्यक्रमों का आयोजन सप्ताहांत पर किया गया ताकि लोग आसानी से भाग ले सकें।

वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में हुए समारोह के दौरान महावाणिज्यदूत डॉक्टर केजे श्रीनिवास ने कहा, 'दक्षिण अफ्रीका में योग दिवस नहीं बल्कि योग माह मनाया जा रहा है। स्कूलों सहित विभिन्न संस्थान जून की शुरुआत से ही योग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं।'

वहीं टेक्सास में भयंकर गर्मी के बावजूद हजारों की संख्या में लोग शुक्रवार की शाम योग करने के लिए जमा हुए।

ह्यूस्टन में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने अन्य सहयोगी समूहों के साथ मिलकर पांचवे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मिडटाउन पार्क में यह आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारतीय-अमेरिकियों के मुकाबले अमेरिका के मूल निवासियों ने अधिक संख्या में हिस्सा लिया।

बिजली की समस्या के लिए चमगादड़ों को जिम्मेदार ठहराया

भोपाल, 23 जून (भाषा)।

मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है और बिजली कंपनियों के अधिकारी इस समस्या से इस कदर परेशान हैं कि एक समीक्षा बैठक के दौरान एक अधिकारी ने इस समस्या के लिए चमगादड़ों को दोषी ठहरा दिया। मध्य प्रदेश पॉवर सरप्लस राज्य है। ऐसे में गर्मी के मौसम में अघोषित बिजली कटौती से प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ रहा है। प्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने बिजली आपूर्ति में बाधा के लिए पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान खरीदे गए ट्रांसफार्मर की खराब गुणवत्ता को दोषी ठहराया था।

ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने इस संबंध में कहा कि 14 जून को भोपाल जिले की समीक्षा बैठक के दौरान पॉवर कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि भोपाल के बड़े तालाब से लगे इलाकों की लाइनों पर चमगादड़ों के लटकने के कारण फाल्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की बात पर उन्हें भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने उन्हें आपूर्ति लाइनों को इंसुलेशन कर दुरुस्त करने का निर्देश दिया। मंत्री ने बताया कि उन्होंने चमगादड़ों को बिजली फाल्ट के लिए जिम्मेदार ठहराने वाले अधिकारी को डांट लगाई। उन्होंने कहा कि यह फाल्ट के बहुत से कारणों में से एक हो सकता है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं हो सकता। उन्होंने ओवर लोड ट्रांसफारमर्स और लाइनों के ठीक से रखरखाव न होने को अघोषित बिजली कटौती की मुख्य वजह बताई। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति लाइनों के रख-रखाव को कई सालों से नजरअंदाज किया गया है।

अमेठी मेरा परिवार, विकास की रफ्तार बढ़ेगी : स्मृति

अमेठी, 23 जून (जनसत्ता/एजंसी)।

केंद्रीय कपड़ा मंत्री और स्थानीय सांसाद स्मृति ईरानी ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे के दूसरे दिन अधिकारियों से कहा कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पूरी ईमानदारी से पहुंचना चाहिए और इसमे किसी भी तरह की लापरवाही अक्षम्य होगी। ईरानी यहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सहित सभी जिला स्तर के विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थीं। अमेठी की सांसद ने पात्र दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की।

इस मौके पर स्मृति ने कहा 'अमेठी मेरा परिवार है, अब यहां विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ाई जाएगी।' जिले के 246 लेखपालों को लैपटाप वितरण की योजना का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा, 'लेखपालों को डिजिटल बनाना उत्तर प्रदेश सरकार का मकसद है।

'नूरजहां' के फलों का औसत वजन इस बार 2.75 किलोग्राम तक पहुंच गया है **दुर्लभ किस्म** इसके मुरीद केवल एक फल के लिए 1,200 रुपए तक चुका रहे हैं

मौसम की मेहरबानी से आमों की मलिका 'नूरजहां' का आकार बढ़ा

इंदौर, 23 जून (भाषा)।

आमों की मलिका के रूप में मशहूर किस्म 'नूरजहां' के फलों का औसत वजन इस बार मौसम की मेहरबानी से बढ़कर 2.75 किलोग्राम पर पहुंच गया है। यही वजह है कि आम की इस दुर्लभ किस्म के मुरीद इसके केवल एक फल के लिर 1,200 रुपए तक चुका रहे हैं। अफगानिस्तानी मूल की मानी जाने वाली आम प्रजाति नूरजहां के गिने-चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यह इलाका गुजरात से लगा है।

इंदौर से करीब 250 किलोमीटर दूर कट्ठीवाड़ा में इस प्रजाति की खेती के विशेषज्ञ इशाक मंसूरी ने रविवार को बताया, 'इस बार अनुकूल मौसमी हालात के चलते नूरजहां के पेड़ों पर खूब बौर (आम के फूल) आये और फसल भी अच्छी हुई।' उन्होंने बताया कि मौजूदा सत्र में नूरजहां के फलों का वजन औसतन 2.75 किलोग्राम के आसपास रहा, जबकि गुजरे तीन सालों में इनका औसत वजन तकरीबन 2.5 किलोग्राम रहा था। मंसूरी ने बताया कि पिछले साल इल्लियों के भीषण प्रकोप के कारण नूरजहां की फसल लगभग बर्बाद हो जाने से इसके मुरीदों को मायूस रहना पड़ा था। बहरहाल, इस बार अच्छी फसल के चलते जहां नूरजहां के स्वाद के शौकीन खुश हैं, वहीं इसके विक्रेताओं की भी पौ बारह हो गई है। मंसूरी ने बताया, 'इन दिनों नूरजहां का केवल एक फल 700 से 800 रुपए में बिक रहा है। ज्यादा वजन वाले फल के लिए 1,200 रुपये तक भी चुकाए जा रहे हैं।' उन्होंने बताया कि पड़ोसी गुजरात के अमदाबाद, वापी, नवसारी और बड़ौदा के कुछ शौकीनों ने नूरजहां के फलों की सीमित संख्या के कारण इनकी अग्रिम बुकिंग तब ही करा ली, जब ये फल छोटे थे और डाल पर लटककर पक रहे थे। मंसूरी ने बताया कि कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में कई लोगों को आमों के बाग में नूरजहां के भारी-भरकम फलों से लदे पेड़ के साथ फोटो और सेल्फी खींचते भी देखा जा सकता है।

नूरजहां के पेड़ों पर जनवरी से बौर आने शुरू होते हैं और इसके फल जून के आखिर तक पककर तैयार होते हैं। नूरजहां के फल तकरीबन एक फुट तक लंबे हो सकते हैं। इनकी गुठली का वजन 150 से 200 ग्राम के बीच होता है।

2.75 किलोग्राम के आसपास रहा मौजूदा सत्र में नूरजहां के फलों का वजन औसतन जबकि गुजरे तीन सालों में इनका औसत वजन तकरीबन 2.5 किलोग्राम रहा था।

3.5 से 3.75 किलोग्राम के बीच होता था किसी जमाने में नूरजहां के फल का औसत वजन।

जानकारों के मुताबिक, पिछले एक दशक के दौरान मॉनसूनी बारिश में देरी, अल्पवर्षा, अतिवर्षा और आबो-हवा के अन्य उतार-चढ़ावों के कारण नूरजहां के फलों का वजन पहले के मुकाबले घट गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण आम की इस दुर्लभ किस्म के वजूद पर संकट भी मंडरा रहा है।

नेहरू ने नहीं कराई मुखर्जी की मौत की जांच : नड्डा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं ने रविवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत के मामले में जांच का आदेश नहीं देने का आरोप लगाया। नड्डा ने जोर दिया कि पूरा देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच की मांग कर रहा था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जांच का आदेश नहीं दिया था, इतिहास इसका गवाह है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बताते चलें कि 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई थी।

नड्डा ने कहा कि 22 जून को मुखर्जी की तबीयत बिगड़ गई और 23 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में उनका देहांत हो गया। तब सारे देश में इसे लेकर आंदोलन हुआ। यह प्रश्न उठा कि जिन डॉक्टर मुखर्जी ने अच्छी सेहत

जनसंघ के संस्थापक की पुण्यतिथि पर भाजपा ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

के साथ जम्मू में प्रवेश किया था, उनका अकस्मात निधन कैसे हो गया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि सारे देश में जांच की मांग उठी। उनकी माताजी ने भी जांच की मांग की। लेकिन पंडित नेहरू ने कोई जांच नहीं कराई।

नड्डा ने कहा, 'हमें पीड़ा होती है, उस समय हम छोटी पार्टी थे लेकिन देश की आवाज थे। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की गई।'

भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह एवं कार्यकारी जेपी नड्डा ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया कि बलिदान दिवस पर याद करते हुए एक देशभक्त और गर्वित राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। एक मजबूत और एकजुट भारत के लिए उनका जुनून हमें प्रेरित करता है और हमें 130 करोड़ भारतीयों की सेवा करने की ताकत देता है।

इस अवसर पर अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए सिर्फ राष्ट्र सर्वोपरि था इसीलिए उन्होंने सत्ता का त्याग कर देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

उन्होंने कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान के विरुद्ध डॉक्टर मुखर्जी ने स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़ा था। शाह ने दावा किया कि भारत के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से डॉक्टर मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी। आज यदि हम जम्मू-कश्मीर में बिना परमिट के जा सकते हैं और पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग है तो उसके पीछे डाक्टर मुखर्जी का बलिदान है। उन्होंने कहा कि ऐसे अभिजात देशभक्त के बलिदान दिवस पर उनके चरणों में कोटि-कोटि वंदन।

धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी रिपोर्ट भारत ने की खारिज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी उस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी विदेशी संस्था या सरकार को संविधान प्रदत्त अधिकारों से संरक्षित हमारे नागरिकों को लेकर कोई घोषणा करने का अधिकार नहीं है।

अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, 'भारत को विदेशी रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं दिखती है। भारत को अपनी धर्मनिरपेक्षता पर गर्व है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी समाज वाला देश है जो लंबे समय से सहिष्णुता और समावेश के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं।' उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसका संविधान सभी की धार्मिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है और लोकतांत्रिक सरकार धार्मिक गतिविधियों को संरक्षण व बढ़ावा देती है।

विदेश मंत्रालय ने कहा : हमारे नागरिक मामलों में किसी विदेशी संस्था या सरकार को बोलने का अधिकार नहीं

रवीश कुमार ने कहा, 'हम किसी भी विदेशी संस्था या सरकार को यह अधिकार नहीं देते हैं कि संवैधानिक रूप से मिले अधिकारों से संरक्षित हमारे नागरिकों को लेकर कोई घोषणा करे।' अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से 'इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम' पर एक रिपोर्ट जारी की गई है।

इस रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के फॉगी बॉटम मुख्यालय में पिछले सप्ताह रिपोर्ट जारी करते हुए विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा था कि यह एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है, जो विभिन्न देशों पर यह नजर रखता है कि वे अपने मूलभूत मानवाधिकारों को किस तरह सम्मान देते हैं।

इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस रिपोर्ट को राजग सरकार और भाजपा के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित व झूठा करार दिया और कहा कि भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं की जड़ें बहुत गहरी हैं।

भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की संपत्ति होगी जब्त : योगी

वाराणसी, 23 जून (जनसत्ता)।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की संपत्ति जब्त होगी और उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए और आयुक्त सभागार में कानून व्यवस्था और विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अपराधों में संलिप्तता पाए जाने पर उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्हें बर्खास्त भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थानों की जिम्मेदारी ईमानदार पुलिस कर्मियों को दी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जेलों की नियमित जांच करें।

प्रश्न लीक होने की जांच ओएनजीसी ने शुरू की

शिवसागर, 23 जून (भाषा)।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) ने असम में आयोजित एक ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के कथित तौर पर लीक होने की उच्च-स्तरीय जांच शुरू की है। सरकार द्वारा संचालित कंपनी ने यह जानकारी दी।

दलित लड़की की हत्या पर कांग्रेस ने यूपी सरकार को घेरा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक दलित लड़की की दर्दनाक हत्या को लेकर सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। पार्टी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही इसी किस्म की आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को अपने एक ट्वीट में कहा कि अजय सिंह बिष्ट का राज दलित उत्पीड़न व निर्मम अपराधों का पर्याय बन गया है।

पंजाब में किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम

चंडीगढ़, 23 जून (भाषा)।

पंजाब की उच्च सुरक्षा वाली नाभा जेल में दो कैदियों द्वारा 2015 में बरगाड़ी में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की घटना के मुख्य आरोपी की कथित रूप से हत्या किए जाने के एक दिन बाद, समूचे राज्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि विभिन्न जगहों पर गाड़ियों की जांच की जा रही है जबकि फरीदकोट के कोटकपुरा शहर में राज्य पुलिस के अलावा अर्द्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। नाभा से महिंदरपाल बिट्टू का शव रविवार सुबह कोटकपुरा लाया गया।

बिट्टू डेरा सच्चा सौदा पंथ का अनुयायी था। डेरे के सदस्य कोटकपुरा में जमा हो गए और घटना की न्यायिक जांच की मांग करने लगे। डेरे के एक सदस्य ने कोटकपुरा में कहा कि हम हमले की घटना की न्यायिक जांच चाहते हैं। पुलिस ने हमला करने वाले दो व्यक्तियों की पहचान की है लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्होंने हमले की योजना बनाई उनकी भी पहचान की जाए और दंडित किया जाए। सदस्य ने कहा कि बिट्टू को अलग सेल में रखा गया था तो वह खुले में कैसे आया और उस पर हमला कैसे हुआ। जब तक ये चीजें स्पष्ट नहीं हो जाती, हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

बिट्टू पर शनिवार शाम को दो कैदियों ने कथित रूप से हमला किया था। इसके बाद उसे पटियाला के नाभा सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया था कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि फरीदकोट के रहने वाले 49 साल के बिट्टू पर गुरसेवक सिंह और मनिंदर सिह ने कथित रूप से हमला किया। ये दोनों नाभा जेल में हत्या के मामले में बंद हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन दोनों कैदियों ने बिट्टू पर सरिए से हमला किया। उन्होंने ये सरिये जेल के अंदर हो रहे निर्माण स्थल से हासिल किए थे। इस हमले में बिट्टू के सिर पर गंभीर चोट आई थी।

दोनों हमलावरों को रविवार को एक अदालत में पेश किया गया जिसने उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में रविवार को तड़के तीन डॉक्टरों के पैनल ने बिट्टू का पोस्टमार्टम किया जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। अंतिम संस्कार के लिए शव को उसके पैतृक शहर कोटकपुरा भेज दिया गया।

बिट्टू के शव को डेरा सच्चा सौदा पंथ के कोटकपुरा में 'नाम चर्चा घर' में रखा गया जहां रविवार सुबह से ही बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना जारी है। कोटकपुरा और आसपास के शहरों में डेरा अनुयायियों की काफी संख्या है।

पाकिस्तानी राजनयिकों और जायरीनों ने दरगाह पर चढ़ाई चादर

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

पाकिस्तानी उच्चायोग के राजनयिकों के साथ पाकिस्तानी जायरीनों का एक दल हजरत अमीर खुसरो की यहां स्थित दरगाह गया और अपने देश की सरकार और वहां के लोगों की ओर से पारंपरिक चादर चढ़ाई।

पाकिस्तानी उच्चायोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हजरत अमीर खुसरो के 715वें उर्स में हिस्सा लेने के लिए 100 पाकिस्तानी जायरीनों का एक दल नई दिल्ली की यात्रा पर है। उच्चायोग के राजनयिकों और पाकिस्तानी जायरीनों के दल का दरगाह पर सज्जादा नशीन दीवान सैयद ताहिर निजामी ने स्वागत किया। बयान में कहा गया कि इस मौके पर दीवान मूसा निजामी और दरगाह कमेटी के

पाकिस्तानी उच्चायोग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि हजरत अमीर खुसरो के 715वें उर्स में हिस्सा लेने के लिए 100 पाकिस्तानी जायरीनों का एक दल नई दिल्ली की यात्रा पर है।

अन्य सदस्य भी मौजूद थे।

समूह ने इसी परिसर में स्थित हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर भी जियारत की। हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हजरत अमीर खुसरो के उर्स में प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया के देशों से जायरीन आते हैं। अमीर खुसरो दक्षिण एशिया के एक जानेमाने सूफी संगीतज्ञ, शायर और विद्वान थे।

बालाकोट के साथ ही पाक पर समुद्री हमले की भी थी तैयारी

पेज 1 का बाकी

दिन में गुजरात तट और पांच दिन के भीतर मुंबई में पश्चिमी बेड़े के मुख्यालय तक पहुंच सकती थी। सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा दिख रहा था। पाकिस्तान की तरफ से पनडुब्बी के जरिए कार्रवाई की आशंका बढ़ गई थी। पीएनएस साद में एअर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक लगी है। ऐसे में नौसेना ने एक तरफ पनडुब्बी रोधी विशेष युद्धपोत और विमान लापता पाकिस्तानी पनडुब्बी की तलाश में मदद के लिए तैनात किए थे। दूसरी ओर, अपनी परमाणु चालित पनडुब्बी और युद्धपोतों को अग्रिम मोर्चे की ओर भेज दिया। नौसेना ने उन समुद्री क्षेत्रों में व्यापक तलाशी शुरू की, जहां पाकिस्तानी पनडुब्बी के चुपके से पहुंचने का खतरा था। पी-8 आइएस को महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के बाद गुजरात के तटीय क्षेत्रों में सक्रिय किया गया। नौसेना द्वारा सभी एहतियाती उपाय किए गए थे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पीएनएस साद भारतीय जल में भले ही प्रवेश कर गई हो, लेकिन उसे सतह पर आने के लिए बाध्य किया जा सके। 21 दिनों तक चले तलाशी अभियान में पता चला कि पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी को पश्चिमी हिस्से में तैनात किया है। उसके बाद भारतीय नौसेना ने अपनी योजना रोक दी।

राम कथा के दौरान पंडाल गिरा, 14 लोगों की मौत

पेज 1 का बाकी

को राहत व बचाव कार्य तथा उपचार के लिए उचित निर्देश दिए। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को पांच- पांच लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। हादसे में घायलों को भी अधिकतम दो लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।

गहलोत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ है और उनकी हरसंभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने रविवार शाम मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चाधिकारियों के साथ हुई आपात बैठक में जसोल में हुए हादसे के बाद राहत व बचाव कार्यों की समीक्षा की।

प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित अनेक नेताओं ने भी हादसे पर खेद जताया है। जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम छोड़कर दिल्ली से जोधपुर आ रहे हैं। वे सोमवार को पीड़ित परिवारों से मिलेंगे।

यात्री के हंगामे के बाद विमान की आपात लैंडिंग

भुवनेश्वर, 23 जून (भाषा)।

हैदराबाद से गुवाहाटी जा रही एक उड़ान को रविवार को एक यात्री के कथित हंगामे के बाद यहां बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आपातकालीन स्थिति में उतारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। हवाईअड्डे के अधिकारियों ने कहा कि 20 वर्षीय यात्री को यहां विमान से उतार दिया गया और हवाईअड्डा पुलिस के सुपूर्द कर दिया गया।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उड़ान के दौरान हंगामा करने तथा बीच हवा में आपातकालीन दरवाजा खोलने की कोशिश

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उड़ान के दौरान हंगामा करने तथा बीच हवा में आपातकालीन दरवाजा खोलने की कोशिश करने से अन्य यात्री भी भयभीत हो गए।

करने से अन्य यात्री भी भयभीत हो गए। उसने बार बार चेतावनी देने के बाद भी सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे विमान से उतारने के बाद यहां कैपिटल हॉस्पिटल ले जाया गया। हवाईअड्डे के एक अधिकारी ने बताया कि यात्री को उतारे जाने के बाद विमान ने गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी।

दोषी न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करें प्रधानमंत्री

पेज 1 का बाकी

इंदिरा बनर्जी, सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसके अग्निहोत्री और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश पीके जायसवाल शामिल थे।

समिति की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने प्रक्रिया के मुताबिक न्यायमूर्ति शुक्ला को सलाह दी थी कि या तो वे इस्तीफा दे दें, या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लें।

न्यायाधीश शुक्ला के ऐसा करने से मना करने पर तत्कालीन सीजेआइ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि तत्काल प्रभाव से उन्हें न्यायिक कार्य से हटा दिया जाए जिसके बाद वे कथित तौर पर लंबी छुट्टी पर चले गए।

न्यायमूर्ति शुक्ला ने 23 मार्च को न्यायमूर्ति गोगोई को पत्र लिख कर उन्हें हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य करने की अनुमति देने का आग्रह किया।

इस पत्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति गोगोई को अग्रसारित किया था।

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोगोई ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, 'न्यायमूर्ति शुक्ला के खिलाफ आंतरिक जांच समिति ने गंभीर आरोप पाए हैं जो उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं, उन्हें किसी भी हाई कोर्ट में न्यायिक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन परिस्थितियों में आपसे आग्रह है कि आगे की कार्रवाई पर विचार करें।'

बताते चलें कि प्रधान न्यायाधीश जब किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, तब राज्यसभा के सभापति प्रधान न्यायाधीश से विचार-विमर्श कर तीन सदस्यीय एक जांच समिति नियुक्त करते हैं।

राज्यसभा के सभापति द्वारा नियुक्त समिति साक्ष्यों और रिकॉर्ड की जांच करती है और इस बारे में राय देती है कि यह उन्हें हटाने के लिए ऊपरी सदन में बहस हो या नहीं, के लिए क्या कोई आधार प्रदान करती है।

न्यायमूर्ति शुक्ला हाई कोर्ट में एक खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, जब उन्होंने भारत के प्रधान न्यायाधीश की अगुआई वाले पीठ के आदेशों का कथित उल्लंघन करते हुए निजी कॉलेजों को 2017-18 के शैक्षणिक सत्र में छात्रों को नामांकन देने की अनुमति दी।

जांच समिति की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति शुक्ला ने 'न्यायिक मूल्यों का क्षरण किया, एक न्यायाधीश के मुताबिक आचरण नहीं किया', 'अपने पद की गरिमा, मर्यादा और विश्वसनीयता को' कमतर किया और पद की शपथ का उल्लंघन किया

एअर इंडिया के क्षेत्रीय निदेशक चोरी के आरोप में निलंबित

पेज 1 का बाकी

प्रस्थान से पहले एक ड्यूटी फ्री दुकान से कथित तौर पर सामान चुराने की हरकत की है। आपके खिलाफ किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और जांच पूरी होने तक आपको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।' प्रवक्ता ने कहा कि यह घटना सुबह 6:30 बजे के आसपास सिडनी में हुई थी और सिडनी-दिल्ली उड़ान के शाम करीब 7.30 बजे हवाई अड्डे पर उतरने के साथ ही कैप्टन को निलंबित करने का आदेश थमा दिया गया था। बहुत तेज और अनुकरणीय कार्रवाई की गई है। भसीन के एअर इंडया के किसी भी परिसर में परिसर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई है और उन्हें अपना पहचान पत्र जमा कराने का भी निर्देश दिया गया है

भूकम्प, बाढ़ से होने वाले नुकसान का बीमा अलग से होगा उपलब्ध

पेज 1 का बाकी

वाली पॉलिसी खरीदना अनिवार्य नहीं होगा।

वाहनों को बाढ़, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा और दंगा-फसाद में होने वाली तोड़फोड़ की घटनाओं से होने वाले स्व नुकसान (आन डैमेज यानी ओडी) के जोखिम से बचाव के लिए खरीदी जाने वाली बीमा पॉलिसी को वैकल्पिक रखा गया है।

इरडा के नए परिपत्र में कहा गया है, 'बीमा कंपनियों को एक सितंबर, 2019 से नई और पुरानी कारों एवं दोपहिया वाहनों के लिए वार्षिक स्वतः नुकसान कवर वाली पॉलिसी पेश करनी होगी। इसमें पॉलिसीधारक के कहने पर आग और चोरी के नुकसान को भी कवर किया जा सकता है।'

बीमा कंपनियों को अलग से स्वतः क्षति के कवर के साथ पूरी पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने का भी विकल्प होगा। इसमें तीसरे पक्ष की बीमा पॉलिसी के साथ ही स्वतः नुकसान का जोखिम कवर भी होगा। फिलहाल कंपनियों को स्वतः नुकसान वाली बीमा पॉलिसी लंबी अवधि के लिए जारी करने की अनुमति नहीं होगी।

नियामक ने यह भी कहा है कि पॉलिसी धारकों को सभी जोखिम एकमुश्त कवर करने वाली पालिसी में से केवल स्वतः नुकसान के हिस्से का अलग से नवीनीकरण करने का भी विकल्प उपलब्ध होगा। यह सुविधा एक सितंबर 2019 को अथवा उसके बाद उपलब्ध होगी। यह नवीनीकरण उसी बीमा कंपनी अथवा दूसरी बीमा कंपनी से भी कराया जा सकता है।

बुजुर्ग दंपति व घरेलू सहायिका की हत्या

पेज 1 का बाकी

जिला पुलिस उपायुक्त देवेंद्र आर्य ने बताया कि वसंत अपार्टमेंट के मकान नंबर 234 के प्रथम मंजिल पर विष्णु माथुर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। विष्णु माथुर सीजीएचएस से सेवानिवृत्त थे। वहीं, शशि माथुर नई दिल्ली निगम परिषद (एनडीएमसी) से रिटायर हुई थीं। सेवानिवृत्ति के बाद दोनों यहां पर रह रहे थे। उन्होंने घरेलू कामकाज के लिए खुशबू को रखा हुआ था। वही उन्हें दवाई वगैरह देने का भी काम करती थी। वह 24 घंटे उनके साथ रहती थी। करीब छह महीने पहले उसे एक एजंसी के जरिए काम पर रखा गया था। उपायुक्त ने बताया कि सुबह करीब 8:50 बजे सूचना मिली थी कि एक मकान में तीन लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। खून फर्श पर बह रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि विष्णु माथुर और शशि माथुर अपने बेडरूम में बेड पर पड़े हैं। वहीं, खुशबू हाल में फर्श पड़ी है। खास बात यह है कि वह चप्पल भी पहने हुई थी। वह पेट के बल नीचे गिरी हुई थी। पुलिस टीम तीनों को पास के अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

अपार्टमेंट के सचिव शैलेंद्र ने बताया कि सुबह करीब पौने नौ बजे घरेलू सहायिका बबली काम करने के लिए आई, तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है। उसे लगा कि हो सकता है खुशबू दुकान से कुछ सामान लेने गई होगी। पर जब वह दरवाजा खोल कर अंदर गई तो वहां का दृश्य देखकर सन्न रह गई। शोर मचाकर उसने पड़ोसियों को इसकी जानकारी पड़ोसियों की दी, जिसके बाद शैलेंद्र ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बबली माथुर दंपति के घर सुबह केवल चार घंटे के लिए काम करने आती थी।

दिमागी बुखार के मामले घटे

पेज 1 का बाकी

के अधीक्षक डॉ. सुनील कुमार शाही ने बताया कि गरमी बढ़ने पर एईएस के मामलों में वृद्धि होती है और बारिश होने के साथ ही इसमें कमी होती जाती है। कल बारिश हुई और आज इस रोग से पीड़ित कोई बच्चा इलाज के लिए उनके अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया है। इस रोग से ग्रसित पहले से भर्ती बच्चों के ठीक होने पर उन्हें लगातार अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है।

बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, प्रदेश के 40 जिलों में से करीब 20 जिलों में इस बार एईएस से करीब 600 बच्चे प्रभावित हुए जिनमें से करीब 140 की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर इस रोग से पूर्व की भांति सबसे बुरी तरह प्रभावित रहा। जिले के एसकेएमसीएच में गरमी के इस मौसम में एईएस से पीड़ित 430 बच्चे भर्ती हुए, जिनमें से करीब 109 की मौत हो गई। इस जिले के निजी केजरीवाल अस्पताल में 162 बच्चे भर्ती हुए और उनमें से 20 की मौत हो गई। बारिश शुरू होने के बाद से बीमारी का कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है।

मुजफ्फरपुर में बनेगी 'शिशु-गहन चिकित्सा इकाई'

पेज 1 का बाकी

(एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम) और जापानी बुखार (जेई) के मामलों की स्थिति पर मंत्रालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। हर्षवर्द्धन ने कहा, 'केंद्र और राज्य की टीमों ने मुजफ्फरपुर में 100 बिस्तरों वाले 'पी-आइसीयू' के स्थान और डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया है, इसे केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मदद दी जाएगी।' उन्होंने बताया कि दिमागी बुखार (एईएस) से शनिवार को एक पीड़ित की मौत हुई जबकि एक नये मरीज को भर्ती किया गया।

मंत्री ने बताया कि एसकेएमसीएच में इस रोग से पीड़ित 84 रोगी हैं, जिनमें से चार की हालत नाजुक है और उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते से मुजफ्फरपुर में एक केंद्रीय टीम डेरा डाले हुए है। उन्होंने बताया कि राज्य और जिला प्रशासन के सहयोग से सामुदायिक स्तर पर सामाजिक व व्यवहार परिवर्तन की कोशिशें की जा रही हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस रोग की शुरुआत में ही पहचान व प्रबंधन को मजबूत किया गया है। अतिरिक्त सचिव व मिशन निदेशक (एनएचएम) मनोज झलानी, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञों ने एसकेएमसीएच सहित मुजफ्फरपुर का दौरा किया और हालात का जायजा लिया।

शोपियां में सुरक्षा बलों ने चार आतंकी मार गिराए

पेज 1 का बाकी

शौकत मीर की तलाश थी। उसके खिलाफ आतंकी मामलों में कई एफआइआर दर्ज हैं। शिखार्ड में गार्ड पोस्ट पर गोलीबारी, सैन्य बलों पर ग्रेनेड हमला, बशीर अहमद डार और अल्ताफ अहमद पर गोलीबारी और पुलिसकर्मी समीर अहमद की हत्या जैसे संगीन अपराधों में वह लिप्त रहा। प्रवक्ता के मुताबिक, शौकत मीर ने ही आजाद अहमद, रफी हसन और सुहेल अहमद को आतंकी बनने के लिए उकसाया था।

इससे पहले शनिवार को बारामुला जिले के उरी सेक्टर में बारियान में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को ढेर किया था। बारामुला जिले के इस हिस्से में आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलते ही भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था।

गुजरात में मंदिर में घुसा मगरमच्छ

अमदाबाद/वडोदरा, 23 जून (भाषा)।

गुजरात के महिसागर जिले में खोदियार माता के एक मंदिर में घुस आए मगरमच्छ को वन विभाग के अधिकारियों ने रविवार को सुरक्षित निकाल लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। खोदियार माता पटेल समुदाय की अधिष्ठात्री देवी हैं।

खबर कोना

ईरान के राजनयिक ने निराशा जाहिर की

तेहरान, 23 जून (एएफपी)।

बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के एक शीर्ष राजनयिक ने ब्रिटेन के विदेश विभाग के एक मंत्री से मिलने के बाद रविवार को निराशा जाहिर की। ईरान के विदेश मंत्रालय में विदेश संबंध रणनीतिक परिषद के प्रमुख कमाल खराजी ने कहा कि मध्य पूर्व (पश्चिम एशिया) मामलों के लिए ब्रिटिश विदेश मंत्री एंड्रयू मुरिसन के पास बातचीत के लिए वही पुराने विषय थे। उन्होंने बताया कि इनमें ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत दिलाने के लिए एक यूरोपीय भुगतान तंत्र को जल्द शुरू करना जैसी बातें शामिल थी।

फैशन

पेरिस में रविवार को फैशन शो के दौरान एक मॉडल।

संरा के खाद्य व कृषि संगठन के प्रमुख चुने गए डोंग्यू

रोम, 23 जून (एएफपी)।

क्यू डोंग्यू रविवार को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के प्रमुख निर्वाचित हुए। डोंग्यू इस पद पर चुने गए पहले चीनी नागरिक हैं। उन्होंने पहले दौर के मतदान में ही जीत हासिल कर ली। क्यू ब्राजील के जोस ग्रैजियानो डॉ. सिल्वा का स्थान लेंगे। आधिकारिक परिणामों के अनुसार जीव विज्ञानी क्यू (55) को 108 वोट मिले जबकि फ्रांस की कैथरीन गिसलैन..लैनिली को 71 वोट और जॉर्जिया के डेविट किरवैलित्ज को 12 वोट मिले।

सीरियाई सेना के हमले में आठ लोगों की मौत

बेरुत, 23 जून (एएफपी)।

पश्चिमोत्तर सीरिया में सरकार विरोधी गढ़ पर सीरियाई सेना के हवाई हमले में शनिवार को तीन बच्चों सहित आठ नागरिक मारे गए। ब्रिटेन स्थित संस्था सीरियन ऑब्जरवेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि हवाई हमले में साराकीब शहर में तीन नागरिक मारे गए हैं। इन हमलों में मारेत-अल-नुमान में दो जबकि मार जिता में एक बच्चे की मौत हुई है। दो अन्य लोगों की मौत कंसाफ्रा और खान अल सुबुल गांव में हुई है।

ड्रोन गिराए जाने के बाद अमेरिका ने की कार्रवाई

ईरान पर किया साइबर हमला

वाशिंगटन, 23 जून (एएफपी)।

अमेरिका ने ईरान में अपने निगरानी ड्रोन गिराए जाने के बाद ईरान की मिसाइल नियंत्रण प्रणाली और एक जासूसी नेटवर्क पर साइबर हमले किए हैं। अमेरिकी समाचार पत्र वाशिंगटन पोस्ट ने यह खबर दी है।

समाचार पत्र ने लिखा है कि हमले से राकेट और मिसाइल प्रक्षेपण में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटरों को नुकसान पहुंचा है।

हालांकि अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने समाचार पत्र की रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है। याहू ने दो पूर्व खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा है कि अमेरिका ने सामरिक हॉर्मूज जलडमरूमध्य में जहाजों पर नजर रखने वाले एक जासूसी समूह को निशाना बनाया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने इसी जगह हाल में ही में दो बार उसके तेल टैंकरों पर हमले किए थे।

ईरान के परमाणु सौदे से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद से दोनों देशों के बीच बढ़ा हुआ है। ईरान ने बृहस्पतिवार को अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया था। ईरान का दावा है कि ड्रोन ने उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था।

ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के बात कही थी। बाद में उन्होंने हमले का विचार त्याग कर शनिवार को कहा कि अमेरिका अगले सप्ताह ईरान पर बड़े प्रतिबंध लगाएगा।

अमेरिका के विवेक को कमजोरी समझने की भूल नहीं करे ईरान : बोल्टन

यरूशलम, 23 जून (एएफपी)।

अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) जॉन बोल्टन ने ईरान को रविवार को आगाह करते हुए कहा कि वह तेहरान पर जवाबी हमले को आखिरी क्षणों में रद्द करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को कमजोरी समझने की भूल न करे।

बोल्टन ने यरूशलम में इजराइली प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू के साथ बैठक से पहले कहा, न ही ईरान को और न ही किसी अन्य शत्रु राष्ट्र को अमेरिका के विवेक को कमजोरी समझने की भूल करनी चाहिए। उन्होंने कहा, किसी ने भी उन्हें पश्चिम एशिया में हमले करने का लाइसेंस नहीं दिया है। ईरान द्वारा बृहस्पतिवार को एक

अमेरिकी ड्रोन मार गिराए जाने के जवाब में उस पर किए जाने वाले हमले को टालने के ट्रंप के निर्णय के बाद बोल्टन ने कहा, हमारी सेना में नई ऊर्जा है और वह हर परिस्थिति के लिए तैयार है।

इथोपिया में सेना प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख की गोली मार कर हत्या

अदीस अबाबा, 23 जून (एएफपी)।

इथोपिया के उत्तरी हिस्से में एक क्षेत्रीय सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश के दौरान देश के सेना प्रमुख और एक शीर्ष स्थानीय नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। यह घटना ऐसे वक्त हुई है, जब प्रधान मंत्री अबी अहमद देश में सुधारों को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं।

अबी के कार्यालय ने रविवार को बताया कि इस अफ्रीकी देश के अमहारा में शनिवार दोपहर यह हिंसा उस वक्त भड़की, जब शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक के दौरान कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया।

प्रवक्ता बिलीन सेयोउम ने संवाददाताओं को बताया कि इस हमले को अमहारा के सुरक्षा प्रमुख असामिनिउ त्सीज के नेतृत्व में अंजाम दिया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि क्षेत्र के प्रमुख अम्बाचिउ मेकोनेन और एक अन्य शीर्ष अधिकारी को गोली मार दी गई। उन्होंने बताया कि गोली लगने के बाद ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। प्रवक्ता ने बताया, इस हमले के कुछ ही घंटे बाद राजधानी अदीस अबाबा में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा बल के चीफ आफ स्टाफ सियरे मेकोनेन को उनके अंगरक्षकों ने उनके घर में ही गोली मार

● प्रधान मंत्री अबी अहमद के सुधारों पर आगे बढ़ने की कोशिशों के बीच जारी हिंसा ● शीर्ष अधिकारियों की बैठक के दौरान किया गया हमला

कर हत्या कर दी। समझा जाता है कि यह हमला सुनियोजित था। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक अन्य व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी गई जो चीफ आफ स्टाफ पर हुए हमले के समय उनके साथ था। प्रवक्ता ने बताया कि वह एक पूर्व जनरल था और उनसे मिलने गया था।

सूत्रों ने बताया कि कि अंगरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और असमिनिउ अब भी फरार है। उन्होंने बताया कि दोनों हमलावरों के बीच संपर्क के बार में अब तक पता नहीं चल सका है। शनिवार से पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है।

किम को ट्रंप का पत्र, वाइट हाउस ने पुष्टि से किया इनकार

सियोल, 23 जून (एपी)।

उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजंसी में रविवार को प्रकाशित खबर के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नेता किम जोंग उन को एक शानदार पत्र भेजा है। हालांकि वाइट हाउस ने ट्रंप की ओर से किम को पत्र भेजे जाने की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है।

गौरतलब है कि वियतनाम में फरवरी में ट्रंप और किम के बीच हुए असफल शिखर सम्मेलन के बाद दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता थम गई थी और इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप ने किम को यह चिट्ठी लिखी है।

अमेरिका की मांग है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध हटने से पहले उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों को पूरी तरह नष्ट कर दे। वहीं उत्तर कोरिया चाहता है कि दोनों पक्ष साथ-साथ कदम

● उत्तर कोरिया सरकार की ओर से जारी किम जोंग की तस्वीर

बढ़ाएं। एक ओर जहां वह अपने परमाणु हथियार नष्ट करे वहीं दूसरी ओर साथ-ही-साथ उसे प्रतिबंधों से छूट मिलती जाए। प्योंगयांग की 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजंसी' की खबर के अनुसार, किम ने बेहद संतोष के साथ कहा कि यह शनदार पत्र है। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति भवन ने कहा है कि ट्रंप और किम में बीच पत्राचार को वह वार्ता के लिहाज से सकारात्मक मानता है।

कंबोडिया में मृतकों की संख्या 17 हुई

इमारत हादसा

नोम पेन्ह, 23 जून (एएफपी)।

कंबोडिया में निर्माणाधीन इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इमारत का निर्माण चीन की कंपनी करा रही थी।

घटना दक्षिण पश्चिमी कम्बोडिया के तटवर्ती सिहानुकविले कस्बे के कसीनो-रिसॉर्ट में शनिवार को हुई थी। इस संबंध में चीनी इमारत के मालिक, निर्माण कंपनी के प्रमुख और ठेकेदार समेत चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। सात मंजिला इमारत के निर्माण का काम लगभग पूरा हो गया था।

इमारत के मलबे में अब भी दर्जनों लोगों के फंसे होने की आशंका है। एक बयान में कहा गया है कि प्रीह सिहानुक प्रांतीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दुर्घटना में 17 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग घायल हैं।

नोम पेन्ह में रविवार को घटना स्थल से मलबे को हटाने का प्रयास करते बचावकर्मी। इमारत का निर्माण चीन की कंपनी कर रही थी।

जी-20 सम्मेलन में शामिल होंगे जिनपिंग, ट्रंप से मिलेंगे

बेजिंग, 23 जून (भाषा)।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह जापान में जी-20 शिखर बैठक में शामिल होंगे। अपनी जापान यात्रा के दौरान शी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे जिससे दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापार युद्ध का हल निकाला जा सकेगा। इस बैठक का मकसद अमेरिका द्वारा चीन के 300 अरब डॉलर के और निर्यात पर शुल्क लगाने के कदम को रोकना है।

चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लु कांग ने रविवार को एक संक्षिप्त घोषणा में कहा कि शी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निमंत्रण पर 27 से 29 जून तक जापान के ओसाका में होने वाली समूह 20 (जी-20) की 14वीं बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। इस बैठक से पहले 18 जून को ट्रंप और शी के बीच 18 जून को लंबी बातचीत हुई थी जिसमें लंबे समय से चले आ रहे व्यापार विवाद को हल करने पर चर्चा हुई।

इस व्यापार युद्ध की शुरुआत पिछले साल ट्रंप की ओर से की गई थी। ट्रंप चाहते हैं कि चीन व्यापार घाटे को कम करने के लिए कदम उठाए। पिछले साल व्यापार घाटा 539 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों की बिक्री
ई-नीलामी बिक्री सूचना
तिरुपति इंक्स लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापकः लेखराज बजाज (आईपी पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00039/2016-17/10078)
ई-मेलः rplekhrajbajaj.tirupatiinksltd@gmail.com, lekhrajbajaj@rediffmail.com, फो. नं. 9810109335
नीलामी की तिथि एवं समयः बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.
अधोलिखित विवरणों के अनुसार "जैसा है जहां है आधार", "जो भी जैसा है आधार", "जो कुछ भी वहां है आधार" तथा "उपचार-रहित आधार" पर परिसमापक के कब्जे में निम्न परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये 8 जुलाई, 2019 के 5.00 बजे अप. से पूर्व एतद्द्वारा इच्छुक व्यक्तियों/भागीदारों से प्रस्ताव आमंत्रित हैं जो ई-नीलामी प्लेटफार्मः http://ncltauction.auctiontiger.net पर ऑन-लाइन जमा की जायेगीः

लॉट नं.	अचल सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी)	बोली वृद्धि मूल्य	ई-नीलामी की तिथि एवं समय (प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि
1.	लैंड नं. 4, फेज-11, प्लॉट नं. 267, एसआईडी सीओ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स, बरी ब्राह्मण, जम्मू एंड कश्मीर-181133, माप 1.5 कनाल अथवा 758.79 वर्ग मी.	4306500/- (तैंतालिस लाख छः हजार पांच सौ मात्र)	4,50,000/- (चार लाख पचास हजार मात्र)	50,000/- (पचास हजार मात्र)	10 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.	8 जुलाई, 2019 को 5 बजे अप.
2.	डी-109-112, जीएनई पीआईपी, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया, साईट-5, कासना, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201305 माप 3996.00 वर्ग मी. तथा डी-109-112, जीएनई पीआईपी, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया, साईट-5, कासना, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201305 में पड़ी प्लान्ट एवं मशीनरी	8,15,10,000/- (आठ करोड़ पन्द्रह लाख दस हजार मात्र)	82,00,000/- (बयासी लाख मात्र)	8,00,000/- (आठ लाख मात्र)	10 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप.	8 जुलाई, 2019 को 5 बजे अप.

1. इच्छुक बोलीदाताओं को तिरुपति इंक्स लिमिटेड- परिसमापन में, खाता नं.: 49480200000133, बैंक ऑफ बड़ौदा, रानी बाग, दिल्ली- 110034, आईएफएससी कोड- BARBORANDEL की खाता में देय किसी अनुसूचित बैंक के दिल्ली में भुगतान योग्य डीडी/ एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा धरोहर राशि (ईएमडी) का भुगतान करना होगा।
2. विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये देखें: http://ncltauction.auctiontiger.net/bidders अथवा सम्पर्क करें: परिसमापक, लेखराज बजाज से 9810109335, 011-41451023 पर अथवा lekhrajbajaj@rediffmail.com अथवा rplekhrajbajaj.tirupatiinksltd@gmail.com पर ईमेल करें।

हस्ता./-
लेखराज बजाज
तिरुपति इंक्स लिमिटेड (परिसमापन में) के परिसमापक
IBBI पंजी.सं. IBBI/IPA-002/IP-N00039/2016-17/10078
पताः 107, अग्रवाल प्रेस्टिज मॉल, समीप एम2के के पीतमपुरा, दिल्ली-110034
ई-मेलः rplekhrajbajaj.tirupatiinksltd@gmail.com, lekhrajbajaj@rediffmail.com
तिथिः 24.6.2019
स्थानः दिल्ली

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भोरगढ़ शाखा, नई दिल्ली-110040
ए-34, कैलाश [illegible] दिल्ली-110048
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये) परिशिष्ट-IV [देखें नियम 8(1)]
जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भोरगढ़ शाखा, नई दिल्ली-110040 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना 17.11.2018 को जारी कर ऋणधारक(कों) नाम श्री संदीप कुमार तथा श्रीमती गुड़िया, निवासी फ्लैट नं. 231, पॉकेट-9, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली-110040 को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 5,92,082.02 (रुपए पांच लाख बानवे हजार बयासी तथा पैसे दो मात्र) के साथ उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक(कों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक(कों) तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 20 जून, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय लागतों तथा उपरोक्त रूप में ब्याज के साथ रु. 5,92,08.02 (रुपये पांच लाख बानवे हजार बयासी एवं पैसे दो मात्र) के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।
अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. 231, पॉकेट-9, बी-4, नरेला, दिल्ली-110040 का ईएम
तिथिः 20.06.2019 (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः नई दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सिरिसेना ने की 19वें संशोधन को निरस्त करने की मांग

कोलंबो, 23 जून (भाषा)।

श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने संविधान के 19वें संशोधन को देश में राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे निरस्त किए जाने की रविवार को अपील की।

सिरिसेना ने 19ए को अपने चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाया था जब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को 2015 में विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर चुनौती दी थी। राजपक्षे ने 2010 में 18ए पेश किया था जिसने उन्हें असीमित समय तक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की इजाजत दी। इससे पहले नियम था कि कोई भी व्यक्ति दो बार के कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति रह सकता है।

सिरिसेना 2015 में 19ए लेकर आए जिसने राष्ट्रपति कार्यकाल को घटा कर पांच साल कर दिया था और संसद भंग करने के उनके संपूर्ण अधिकार को भी वापस ले लिया था। इसके अलावा 19ए दो बार राष्ट्रपति रह चुके व्यक्ति को तीसरी बार इस पद का चुनाव लड़ने से रोकता है। हालांकि राष्ट्रपति ने रविवार को यहां जनसभा में 19वें संशोधन को देश में राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने रविवार को यहां कहा, हमारी सरकार बने हुए चार साल हो गए। अब पोस्टमार्टम करने का समय आ गया है जहां अगले चुनाव में बस चार माह का वक्त रह गया है। सिरिसेना ने कहा, इस सरकार की सबसे बड़ी गलती 19वां संशोधन थी। इसने अस्थिरता पैदा की। उन्होंने कहा, लोग हम पर एक अस्थिर सरकार चलाने का आरोप लगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं और प्रधानमंत्री (रानिल विक्रमसिंघे) अलग-अलग दिशा में जा रहे हैं...इसका कारण 19 ए है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
परिशिष्ट-IVA [नियम 8 (6)/9(1) का प्रावधान देखें]
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6)/9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री की लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर(रों) से प्रतिभूत क्रेडीटर को देय अनुबंधित दर पर ब्याज तथा लागतों, आदि के साथ बकाये राशि की वसूली के लिये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जे में ली गई प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी रखी गई/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति की 'जैसा है जहाँ है,' "जो भी वहाँ है" तथा "जो भी जैसा है" आधार पर बिक्री की जायेगी। नीलामी का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	प्रतिभूत क्रेडीटर का नाम एवं पता / प्राधिकृत अधिकारी का विवरण	ऋणधारक(कों)/ गारन्टर(रों) का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	बकाया देयता (रु. में)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी 10%	ई-नीलामी की तिथि / बोली जमा करने की अंतिम तिथि
1.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नूह शाखा, फोन नं.: 01267-274709,334 ईमेलः nuh@unionbankofindia.com	मै. जैद कोल्ड ड्रिंक्स, प्रॉप्राईटर-मो. साजिद, पुत्र शाहबुद्दीन एवं श्रीमती हंसिरा, पत्नी-मो. साजिद	श्रीमती हंसिरा के नाम में मुस्तकिल नं. 22, किल्ला नं. 10, 11, 1/2, खसरा 26, मौजा एवं तहसील नूह, जूही का तालाब के निकट, वार्ड नं. 12, जिला मेवात में शामिल आवासीय प्लॉट, माप 300 वर्ग यार्ड्स।	रु. 962489.80 पैसे तथा ब्याज एवं लागत	रु. 1200000/-	26.7.2019 (शुक्रवार)
	श्री अशोक कुमार 9783801355				रु. 120000/-	25.7.2019 (वीरवार) 5.00 बजे अप. तक
2.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसएसआई वजीरपुर शाखा, फोन नं.: 011-2737637/2737623, ईमेलः ssiwazirpur@unionbankofindia.com	मै. जेएमके ज्वैल्स प्रा. लि. (द्वारा उसके निदेशकों) तथा मंजू सिंगला	मंजू सिंगला के नाम में खसरा नं. 239, खतौनी नं. 602, ब्लाक एल, बैंक स्ट्रीट, प्यारेलाल रोड, नाईवाला, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में शामिल XVI/2645 में सम्पूर्ण तीसरे तल की व्यावसायिक सम्पत्ति, माप लगभग 3053 वर्ग फीट	रु. 70665484.84 पैसे तथा ब्याज एवं लागत	रु. 5,08,00,000/-	26.7.2019 (शुक्रवार)
	श्री अशोक कुमार 9783801355				रु. 50,80,000/-	25.7.2019 (वीरवार) 5.00 बजे अप. तक
3.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शालीमार बाग शाखा, फोन नं.: 011-27115362/ 27463217, ईमेलः shalimarbags@unionbankofindia.com	नरेश कुमार	20-ए, भू तल, पॉकेट-2, सेक्टर-6, द्वारका, दिल्ली-110075 में स्थित आवासीय सम्पत्ति, माप 48 वर्ग मी.	रु. 6787915.80 पैसे तथा ब्याज एवं लागत	रु. 60,00,000/-	26.7.2019 (शुक्रवार)
	श्री पी.एल. मीना 9604455925				रु. 6,00,000/-	25.7.2019 (वीरवार) 5.00 बजे अप. तक
4.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शालीमार बाग शाखा, फोन नं.: 011-27115362/ 27463217, ईमेलः shalimarbags@unionbankofindia.com	मै. शाइन इम्पेक्स, श्री संजय कुमार बंसल एवं श्रीमती मंजू बंसल	ए-1/278, प्रथम तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में स्थित आवासीय भवन, माप 1184 वर्ग फीट	रु. 39318509.00 पैसे तथा ब्याज एवं लागत	रु. 10600000/-	10.7.2019 (बुधवार)
	श्री पी.एल. मीना 9604455925				रु. 10,60,000/-	9.7.2019 (गुरुवार) 5.00 बजे अप. तक
5.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शालीमार बाग शाखा, फोन नं.: 011-27115362/ 27463217, ईमेलः shalimarbags@unionbankofindia.com	मै. सनराइज सैल्स लिमिटेड, श्री राकेश सिंघवानी, श्रीमती अंजू सिंघवानी एवं अन्य	हिसार बाई पास चौक के निकट, सैनिक कॉलोनी, एमसी लिमिटड के भीतर, रोहतक में स्थित मिन जुमला किल्ला नं. 20/3 -8-12-13-16-23 में शामिल दो मंजिला औद्योगिक व्यावसायिक सम्पत्ति, कुल भूमि माप 2610 वर्ग यार्ड्स।	रु. 164713118.32 पैसे तथा ब्याज एवं लागत	रु. 4,53,00000/-	10.7.2019 (बुधवार)
	श्री पी.एल. मीना 9604455925				रु. 45,30,000/-	9.7.2019 (गुरुवार) 5.00 बजे अप. तक
	प्रतिभूति क्रेडीटर की जानकारी में सम्पत्ति पर अधिभारों का विवरणः कुछ भी नहीं					

ऑन लाइन ई-नीलामी वेबसाईट www.bankeauctions.com के माध्यम से आयोजित की जायेगी। सम्पर्क व्यक्ति- विनोद, मोबाईल नं. +91-9813887931, हेल्प लाइन सम्पर्क नं.+ 91-1244302020-24; ई-मेल आईडीः support@bankeauctions.com
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया www.unionbankofindia.co.in में दी गई लिंक देखें।
प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6)/नियम 9(1) के अंतर्गत 30 दिनों की सांविधिक बिक्री सूचना
इसे प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6)/नियम 9(1) के अंतर्गत उपरोक्त तिथि को ई-नीलामी बिक्री के आयोजन के विषय में उक्त ऋण के ऋणधारक(कों) तथा गारन्टर (रों) के लिये सूचना मानी जाये।
प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केनित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : 2/121, आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110005
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)
जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आनंद पर्वत, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **11/04/2019** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स मिलिन्द गैस सर्विस, मालिक- श्री बिमल बाबू करूणाकर,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.47,29,577/- (सैंतालिस लाख उनत्तीस हजार पाँच सौ सतहत्तर रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 18.06.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.47,29,577/- (सैंतालिस लाख उनत्तीस हजार पाँच सौ सतहत्तर रूपये मात्र) एवं ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आनंद पर्वत, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
निम्नलिखित स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः
सम्पत्ति का विवरणः विकासपुरी आवासीय योजना, नई दिल्ली के लेआउट प्लान में स्थित डीडीए बिल्ट-अप आवासीय फ्रीहोल्ड एम. आई.जी. फ्लैट नं. 531, भूतल, पॉकेट केजी-1, **सम्पत्ति का स्वामित्वः श्री बिमल बाबू करूणाकर.**
स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 18/06/2019 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

SASKEN

Sasken Technologies Limited

Registered Office: 139/25, Ring Road, Domlur, Bengaluru - 560 071.
Tel: + 91 80 6694 3000; **Fax:** + 91 80 2535 1133; **E-mail:** investor@sasken.com; **Website:** www.sasken.com
Corporate Identity Number (CIN): L72100KA1989PLC014226
Contact Person: Mr. S. Prasad, Associate Vice President & Company Secretary

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF SASKEN TECHNOLOGIES LIMITED ("COMPANY") FOR THE BUY-BACK OF EQUITY SHARES THROUGH THE TENDER OFFER ROUTE AS PRESCRIBED UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018.

This Public Announcement (the **"Public Announcement"**) is being made in accordance with the provisions of Regulation 7(i) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 (**"Buy-back Regulations"**) and contains the disclosures as specified in Schedule II to the Buy-back Regulations read with Schedule I to the Buy-back Regulations.

CASH OFFER FOR BUY-BACK OF UP TO 20,59,243 (TWENTY LAKHS FIFTY NINE THOUSAND TWO HUNDRED FORTY THREE) FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF THE COMPANY OF FACE VALUE OF ₹ 10/- (RUPEES TEN ONLY) EACH AT A PRICE OF ₹ 825/- (RUPEES EIGHT HUNDRED TWENTY FIVE ONLY) PER EQUITY SHARE ON A PROPORTIONATE BASIS THROUGH THE "TENDER OFFER" ROUTE AS PRESCRIBED UNDER THE BUY-BACK REGULATIONS USING STOCK EXCHANGE MECHANISM.

1. DETAILS OF THE BUY-BACK OFFER AND OFFER PRICE

1.1 The Board of Directors (hereinafter referred to as the **"Board"** which term shall be deemed to include any committee constituted by Board to exercise its powers) of Sasken Technologies Limited (the **"Company"**) at its meeting held on April 23, 2019 (the **"Board Meeting"**), had subject to the approval of shareholders by way of special resolution through postal ballot and e-voting, approved the Buy-back of up to 19,98,678 (Nineteen Lakhs Ninety Eight Thousand Six Hundred Seventy Eight) fully paid up Equity Shares of the Company having face value of ₹10 each (**"Equity Share(s)"**) (representing 11.68% of total number of Equity Shares of the Company) at a price not exceeding ₹ 850.00 (Rupees Eight Hundred and Fifty) per Equity Share (the **"Maximum Buy-back Price"**) payable in cash for a total consideration not exceeding ₹ 16,988.76 Lakhs (Rupees Sixteen Thousand Nine Hundred Eighty Eight Lakhs and Seventy Six Thousand only) excluding transaction costs viz. fees, brokerage, applicable taxes such as securities transaction tax, goods and service tax, stamp duty, etc. (**"Transaction Costs"**) (hereinafter referred to as **"Maximum Buy-back Size"**), which represents 24.96% and 25.00% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone and consolidated financial statements respectively of the Company as on March 31, 2019, through the **"Tender Offer"** route as prescribed under the Buy-Back Regulations (the process being referred hereinafter as **"Buy-back"**), on a proportionate basis, from the equity shareholders / beneficial owners of the Equity Shares of the Company as on the record date, in accordance with article 172 of the Articles of Association of the Company and provisions of Sections 68, 69, 70 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 as amended (the **"Act"**), and applicable rules made thereunder, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"Listing Regulations"**) and the Buy-back Regulations read with Securities and Exchange Board of India circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 as amended by way of SEBI circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016 (the **"SEBI Circulars"**) and subject to such other approvals, permissions and sanctions as may be necessary and further subject to such conditions and modifications, if any, as may be prescribed or imposed by the appropriate authorities while granting such approvals, permissions and sanctions, which may be agreed by the Board. In terms of Section 68(2)(b) of the Act and Regulation 5(i)(b) of the Buy-back Regulations, the Board had sought approval of the shareholders of the Company for the Buy-back, by way of a special resolution as the Maximum Buy-back Size is more than 10% (Ten percent) of the total fully paid-up equity share capital and free reserves of the Company. The shareholders approved the Buy-back, by way of special resolution, through postal ballot / e-voting, which was sought vide postal ballot notice dated April 23, 2019 (the **"Notice"**), the results of which were announced on June 20, 2019. The shareholders have authorized the Board or the Buy-back Committee to determine the total amount to be deployed in the Buy-back, final Buy-back price, number of equity shares to be bought back within the aforesaid limits and such other terms of Buy-back. The Buy-back is subject to receipt of approvals, permissions and sanctions of statutory, regulatory or governmental authorities as may be required under applicable laws, including the Securities and Exchange Board of India (**"SEBI"**), and the stock exchanges on which the Equity Shares of the Company are currently listed, namely, the BSE Limited (**"BSE"**) and National Stock Exchange of India Limited (**"NSE"**) (hereinafter BSE and NSE are referred to as the **"Stock Exchanges"**).

Pursuant to the shareholders' approval, the Buy-back Committee at its meeting held on June 20, 2019 have determined the final Buy-back Price of ₹ 825 (Rupees Eight Hundred Twenty Five) per Equity Share (the **"Buy-back Price"**) and the total amount for Buy-back is ₹16,988.76 Lakhs (Rupees Sixteen Thousand Nine Hundred Eighty Eight Lakhs and Seventy Six Thousand only) (the **"Buy-back Size"**) excluding the Transaction Costs which represents 24.96% and 25.00% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone and consolidated financial statements respectively of the Company as on March 31, 2019. With the Buy-back price of ₹825 and Buy-back Size of ₹16,988.76 Lakhs, the total number of equity shares to be bought back in the Buy-back shall be 20,59,243 Equity Shares (the **"Maximum Buy-back Shares"**), representing 12.04% of the total number of Equity Shares of the Company.

1.2 For the purpose of this Buy-back, it is being understood that the **"Promoter"**, **"Promoter Group"** and **"Persons Acting in Concert"** will be such persons/entities as have been disclosed under the shareholding pattern filings made by the Company from time to time under Listing Regulations and Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended.

1.3 The Buy-back shall be undertaken on a proportionate basis from the Eligible Shareholders as on the Record Date being Friday, July 5, 2019, through the Tender Offer route prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buy-back Regulations, provided that 15% (Fifteen percent) of the number of Equity Shares which the Company proposes to Buy-back or number of Equity Shares entitled as per the shareholding of Small Shareholders as on the Record Date, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders, as prescribed under the proviso to Regulation 6 of the Buy-Back Regulations and in accordance with *"Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchanges"* as prescribed in SEBI Circulars.

1.4 The aggregate of paid-up share capital and free reserves (including securities premium account) of the Company as on March 31, 2019 based on audited standalone and consolidated financial statements is ₹68,062.52 Lakhs and ₹67,955.08 Lakhs, respectively. In accordance with section 68(2)(c) of the Act, the funds deployed for the Buy-back shall not exceed 25% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) of the Company under shareholder approval route. Accordingly, the Company has proposed to utilise an aggregate amount not exceeding ₹16,988.76 Lakhs excluding Transaction Costs for the Buy-back which is within the aforesaid limit and represents 24.96% and 25.00% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2019, respectively.

1.5 Further, under the Act, the number of Equity Shares that can be bought back during the financial year shall not exceed 25.00% of the total number of paid-up Equity Shares of the Company. Accordingly, the number of Equity Shares that can be bought back during the financial year cannot exceed 42,77,528 Equity Shares being 25.00% of the total number of paid up Equity Shares of the Company, viz. 1,71,10,114 Equity Shares as on March 31, 2019. Since the Company proposes to Buy-back up to 20,59,243 Equity Shares, the same is within the aforesaid limit.

1.6 In terms of Buy-back Regulations, under the Tender Offer route, Promoters, Promoter Group and Persons Acting in Concert have an option to participate in the Buy-back. In this regard, the details of the Promoters, Promoter Group and Persons Acting in Concert, who have expressed their intention to participate and details of their intended participation in the Buy-back have been given in para 8.1 hereinafter.

1.7 Pursuant to the Buy-back and depending upon the response to the Buy-back, the voting rights and percentage shareholding of the Promoters, Promoter group and Persons Acting in Concert in the Company may increase or decrease from the existing voting rights and percentage shareholding. The Promoters, Promoter group and Persons Acting in Concert are already having control over the affairs of the Company and therefore any further increase/decrease in their voting rights, if any consequent to Buy-back of Equity Shares, will not result in any change in control over the affairs of the Company and shall be in compliance with the provisions of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations, 2011.

1.8 Post Buy-back, the level of holding of public shareholders in the Company shall not fall below the minimum level of public shareholding required to be maintained in terms of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957 (**"SCRR"**) and under the Listing Regulations. Due to any reason, if the public shareholding in the Company post Buy-back falls below the minimum level of public shareholding prescribed under SCRR, the Company undertakes to bring the public shareholding to the minimum prescribed level within the time and in the manner prescribed under SCRR and the Listing Regulations.

1.9 The Buy-back of Equity Shares may be subject to taxation in India and / or in the country of residence of the Eligible Shareholder(s) (as defined hereinafter). In due course, Eligible Shareholder(s) will receive a Letter of Offer, which will contain a more detailed note on taxation. However, in view of the particularized nature of tax consequences, Eligible Shareholder(s) are requested to consult their tax advisors for the applicable tax implications, provisions including the treatment that may be given by their respective tax officers in their case and the appropriate course of action that they should take.

1.10 A copy of this Public Announcement will be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in) as well as on Company's website (www.sasken.com) and on the website of Stock Exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com.

2. NECESSITY FOR THE BUY-BACK

2.1 The Buy-back is a more efficient form of distributing surplus cash to the equity shareholders compared to other alternatives including interim dividend, inter-alia, for the following reasons:

i. The Buy-back gives an option to the equity shareholders to either participate in the Buy-back and receive cash in lieu of Equity Shares accepted under the Buy-back or not participate in the Buy-back and enjoy a resultant increase in their percentage of shareholding in the Company post the Buy-back;

ii. The Buy-back would help in improving certain key financial ratios of the Company;

iii. The Buy-back which is being implemented through the Tender Offer route as prescribed under the Buy-back Regulations, would involve a reservation for small shareholders as defined in the Buy-back Regulations.

iv. As defined in the Buy-back Regulations, a small shareholder is a shareholder who holds Equity Shares having market value, on the basis of closing price on the recognized stock exchange in which highest trading volume in respect of such Equity Shares, as on the Record Date, of not more than Rs.2,00,000 (Rupees Two Lakhs).

3. MAXIMUM AMOUNT REQUIRED UNDER THE BUY-BACK AND ITS PERCENTAGE OF THE TOTAL PAID UP CAPITAL AND FREE RESERVES

The maximum amount required under the Buy-back shall not exceed ₹ 16,988.76 Lakhs (Rupees Sixteen Thousand Nine Hundred Eighty Eight Lakhs and Seventy Six Thousand) excluding the Transaction Costs which is within the limit of 25.00% of the total paid-up equity share capital and free reserves (including securities premium account) as per the audited standalone and consolidated financial statements of the Company as on March 31, 2019, respectively.

4. BUY-BACK PRICE AT WHICH EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE BOUGHT BACK AND THE BASIS OF ARRIVING AT THE BUY-BACK PRICE

4.1 The Equity Shares are proposed to be bought back at a price of ₹ 825 (Rupees Eight Hundred Twenty Five only) per Equity Share. The Buy-back Price of ₹ 825 per Equity Share has been arrived at after considering various factors, including but not limited to, the volume weighted average market price of the Equity Shares of the Company traded on BSE and NSE during 3 (three) months and 2 (two) weeks preceding the date of intimation to Stock Exchanges for Board Meeting to consider the proposal of the Buy-back and closing market price on the date of intimation to Stock Exchanges for Board Meeting to consider the proposal of the Buy-back.

4.2 The Buy-back Price of ₹ 825 per Equity Share represents

(i) premium of 30.27% on BSE and 29.09% on NSE over the volume weighted average price of the equity shares on BSE and NSE respectively for 3 months preceding the date of intimation to the BSE and NSE for the Board Meeting to consider the proposal of the Buy-back;

(ii) premium of 27.30% on BSE and 27.32% on NSE over the volume weighted average price of the equity shares on BSE and NSE respectively for 2 weeks preceding the date of intimation to the BSE and NSE for the Board Meeting to consider the proposal of the Buy-back;

(iii) premium of 25.57% on BSE and 25.31% on NSE over the closing market price of the equity shares on BSE and NSE as on the date of the intimation to BSE and NSE for the Board Meeting to consider the proposal of the Buy-back.

5. MAXIMUM NUMBER OF EQUITY SHARES THAT THE COMPANY PROPOSES TO BUY-BACK

The Company proposes to Buy-back up to 20,59,243 (Twenty Lakhs Fifty Nine Thousand Two Hundred Forty Three) fully paid-up Equity Shares, representing 12.04% of total number of Equity Shares of the Company.

6. METHOD TO BE ADOPTED FOR THE BUY-BACK

6.1 The Buy-back shall be on a proportionate basis from the equity shareholders / beneficial owner of Equity Shares of the Company as on the Record Date (**"Eligible Shareholders"**) through the tender offer route prescribed under Regulation 4(iv)(a) of the Buy-back Regulations. Additionally, the Buy-back shall be, subject to applicable laws, implemented by tendering of Equity Shares by Eligible Shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism as specified by SEBI Circulars in terms of Regulation 9(vii) of the Buy-back Regulations.

6.2 As required under the Buy-back Regulations, Equity Shares to be bought back under Tender Offer are divided into two categories: (i) Reserved category for Small Shareholders (as defined hereinafter); and (ii) General category for all other shareholders. For further details, please refer to para 12 of this Public Announcement.

7. DETAILS OF SHAREHOLDING OF (i) PROMOTERS AND PROMOTER GROUP OF THE COMPANY, (ii) PERSONS ACTING IN CONCERT, (iii) DIRECTORS OF PROMOTER GROUP COMPANIES AND (iv) KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF THE COMPANY

7.1 The aggregate shareholding of the (i) Promoters and Promoter group of the Company, (ii) Persons Acting in Concert, (iii) the directors of the Promoter Group Companies holding Equity Shares in the Company and (iv) Key Managerial Personnel of the Company as on the date of the Postal Ballot Notice i.e. April 23, 2019 is given below:

(i) Aggregate shareholding of the Promoter and Promoter Group:

Sl. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares	% Shareholding
(A)	**Promoter**		
1.	Rajiv C. Mody	15,56,570	9.10
2.	Jyotindra B. Mody	7,36,612	4.31
3.	Pranabh Dinesh Mody	3,18,506	1.86
4.	Mahendrakumar Jayantilal Jhaveri	21,353	0.12
(B)	**Promoter Group**		
1.	Dhirumati Jhaverchand Jhaveri	8,00,000	4.68
2.	Sejal Pranabh Mody	3,72,231	2.18
3.	Bharati S. Mody	1,44,154	0.84
4.	Purvi Uday Asher	60,077	0.35
5.	Uday M. Asher	11,595	0.07
6.	Deepali Shirish Mody	10,662	0.06
7.	Dinesh B. Mody	7,802	0.05
8.	Hiralaxmi H. Desai	6,958	0.04
9.	Dipak Harkisan Desai	6,443	0.04
10.	Jinali Pranabh Mody	6,236	0.04
11.	Rupa M. Udani	5,500	0.03
12.	Dhimant Harkisan Desai	5,143	0.03
13.	Dhruv Mahendra Jhaveri	5,000	0.03
14.	Malti Mahendra Jhaveri	5,000	0.03
15.	Asha Dipak Desai	2,350	0.01
16.	Dinesh Bhagwanlal Mody	2,452	0.01
17.	Shirish B. Mody	1,500	0.01
18.	Bharat P. Mehta	1,250	0.01
19.	Nisha Divyesh Shah	600	0.00
20.	Dilip S. Mehta	400	0.00
21.	Kumud D. Mody	25	0.00
22.	Lekar Pharma Limited	7,22,552	4.22
23.	Dinesh Mody Ventures LLP	1,34,284	0.78
24.	Kumud Mody Ventures LLP	1,34,284	0.78
25.	Shirish Mody Enterprises LLP	1,34,284	0.78
26.	Bharati Mody Ventures LLP	1,31,017	0.77
27.	Ifiunik Pharmaceuticals Ltd.	1,16,000	0.68
28.	Unique Pharmaceuticals Labs Ltd.	71,000	0.41
29.	Synit Drugs Pvt. Ltd.	52,500	0.31
30.	J. B. Mody Enterprises LLP	14,835	0.09
31.	Namplas Chemicals Pvt. Ltd.	65	0.00
32.	Naman R. Mody	9,38,302	5.48
33.	Sakhee R. Mody	3,97,223	2.32
34.	Arti R. Mody	2,49,469	1.46
35.	Nilima Rajesh Doshi	71,161	0.42
	Total	**72,55,395**	**42.40**

(ii) Aggregate shareholding of the Persons Acting in Concert:

Sl. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares	% Shareholding
1.	Nirav Shirish Mody	3,30,015	1.93
2.	Neeta S. Revankar*	1,29,742	0.76
3.	Priti R. Shah	10,000	0.06
4.	Nirav Shirish Mody (Held For Priti Family Trust)	1,566	0.01
	Total	**4,71,323**	**2.75**

**Shareholding of Whole Time Director & CFO of the Company who is not a Promoter or a member of Promoter Group. The same is being included in the aggregate holding of the Person Acting in Concert as a matter of abundant caution.*

(iii) Shareholding of Directors of the Promoter Group Companies (Other than Promoters and Promoter Group): Nil

(iv) Aggregate Shareholding of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company (Other than those not covered under above (i), (ii) and (iii) categories):

Sl. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares	% Shareholding
(A)	**Directors**		
1.	Venkatesh G	2,33,628	1.37
2.	Bharat V. Patel	10,000	0.06
3.	Sanjay M. Shah	5,901	0.03
(B)	**Key Managerial Personnel**		
1.	S. Prasad	4,729	0.03
	Total (A) + (B)	**2,54,258**	**1.49**

7.2 The aggregate number of Equity Shares purchased or sold by persons mentioned in Clause 7.1 above from a period of six months preceding the date of the Board Meeting at which the Buy-back was approved and date of the Postal Ballot Notice, both being April 23, 2019 is given below:

Name	Aggregate No. of Equity Shares purchased / sold	Nature of Transaction	Maximum Price and Date of Maximum Price	Minimum Price and Date of Minimum Price
Rajiv C. Mody as Karta of HUF	5,40,079	Off-market inter se transfer of shares amongst the members of Promoter Group	**Maximum Price:** Nil	**Minimum Price:** Nil
Naman R. Mody			**Date of Maximum Price:** October 25, 2018	**Date of Minimum Price:** October 25, 2018
Nisha Divyesh Shah	400	Transmission of shares from Late Kantaben Vinaychandra Gosalia	**Maximum Price:** Nil	**Minimum Price:** Nil
			Date of Maximum Price: December 28, 2018	**Date of Minimum Price:** December 28, 2018
Khyati Dhruv Jhaveri	2,000	Market Sale	**Maximum Price:** ₹ 629.08	**Minimum Price:** ₹ 629.08
			Date of Maximum Price: January 30, 2019	**Date of Minimum Price:** January 30, 2019

Except as disclosed above, the Promoters, Promoter group, the directors of the Promoter Group Companies holding Equity Shares in the Company, Persons Acting in Concert and Key Managerial Personnel of the Company have not purchased or sold any Equity Shares of the Company and there has been no change in their shareholdings for last six months prior to the date of the Board Meeting at which the Buy-back was approved and the date of Postal Ballot Notice.

8. INTENTION OF THE PROMOTERS, PROMOTER GROUP, THE DIRECTORS OF THE PROMOTER GROUP COMPANIES HOLDING EQUITY SHARES IN THE COMPANY, PERSONS ACTING IN CONCERT AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL OF THE COMPANY TO TENDER EQUITY SHARES FOR BUY-BACK

8.1 In terms of the Buy-back Regulations, under the Tender Offer route, Promoters, Promoter Group, the directors of the Promoter Group Companies holding Equity Shares in the Company, Persons Acting in Concert and Key Managerial Personnel have an option to participate in the Buy-back. In this regard, the Promoters, Promoter Group, the directors of the Promoter Group Companies holding Equity Shares in the Company, Persons Acting in Concert and Key Managerial Personnel as listed herein below have expressed their intention to tender up to following number of Equity Shares in the Buy-back:

Sl. No.	Name of Shareholder	No. of Equity Shares held on April 23, 2019	Maximum No. of equity shares which may be tendered
(A)	**Promoter**		
1.	Jyotindra B. Mody	7,36,612	1,47,000
2.	Pranabh Dinesh Mody	3,18,506	63,000
3.	Mahendrakumar Jayantilal Jhaveri	21,353	21,353
	Total Promoters (A)	**10,76,471**	**2,31,353**
(B)	**Promoter Group**		
1.	Late Dhirumati Jhaverchand Jhaveri (through Legal heirs)	8,00,000	1,50,000
2.	Sejal Pranabh Mody	3,72,231	74,000
3.	Bharati S. Mody	1,44,154	28,000
4.	Purvi Uday Asher	60,077	12,000
5.	Uday M. Asher	11,595	2,000
6.	Deepali Shirish Mody	10,662	2,000
7.	Dinesh B. Mody	7,802	1,500
8.	Jinali Pranabh Mody	6,236	1,000
9.	Dhruv Mahendra Jhaveri	5,000	5,000
10.	Malti Mahendra Jhaveri	5,000	5,000
11.	Dinesh Bhagwanlal Mody (held for Kumud Mody Family Foundation)	2,452	400
12.	Shirish B. Mody	1,500	300
13.	Bharat P. Mehta	1,250	250
14.	Nisha Divyesh Shah	600	120
15.	Dilip S. Mehta	400	80
16.	Kumud D. Mody	25	5
17.	Lekar Pharma Limited	7,22,552	1,44,000
18.	Dinesh Mody Ventures LLP	1,34,284	26,000
19.	Kumud Mody Ventures LLP	1,34,284	26,000
20.	Shirish Mody Enterprises LLP	1,34,284	26,000
21.	Bharati Mody Ventures LLP	1,31,017	26,000
22.	Ifiunik Pharmaceuticals Limited	1,16,000	23,000
23.	Unique Pharmaceuticals Labs Limited	71,000	14,000
24.	Synit Drugs Private Limited	52,500	10,000
25.	J. B. Mody Enterprises LLP	14,835	2,900
26.	Namplas Chemicals Private Limited	65	10
	Total Promoter Group (B)	**29,39,805**	**5,79,565**
(C)	**Persons Acting in Concert**		
1.	Nirav Shirish Mody	3,30,015	66,000
2.	Neeta S. Revankar	1,29,742	1,29,742
3.	Priti R. Shah	10,000	2,000
4.	Nirav Shirish Mody (Held for Priti Family Trust)	1,566	300
	Total Persons Acting in Concert (C)	**4,71,323**	**1,98,042**
	Total Promoters, Promoter Group and Persons Acting in Concert (A+B+C)	**44,87,599**	**10,08,960**
(D)	**KMP (other than those included above)**		
1.	S. Prasad	4,729	4,500
	Total KMP (D)	**4,729**	**4,500**
	Total (A+B+C+D)	**44,92,328**	**10,13,460**

8.2 Details of date and price of acquisition(s) of Equity Shares that the Promoters, Promoter Group, Persons Acting in Concert and Key Managerial Personnel intend to tender are as under:

A. Promoters

Sl. No.	Date of Acquisition	No. of Equity Shares	Issue / Acquisition Price per Share (₹)	Nature of Transaction
1. Jyotindra B. Mody				
1	August 12, 1991	43,250	10.00	Preferential Allotment
2	March 26, 1996	45,750	0.00	Bonus Issue
3	February 20, 1997	45,750	0.00	Bonus Issue
4	September 30, 1997	12,250	0.00	Bonus Issue
	Total	**1,47,000**		
2. Pranabh Dinesh Mody				
1	August 12, 1991	45,750	10.00	Preferential Allotment
2	March 26, 1996	17,250	0.00	Bonus Issue
	Total	**63,000**		
3. Mahendrakumar Jayantilal Jhaveri				
1	March 22, 2018	21,353	0.00	Transmission of Shares
	Total	**21,353**		

B. Promoter Group

Sl. No.	Date of Acquisition	No. of Equity Shares	Issue / Acquisition Price per Share (₹)	Nature of Transaction
1. Late Dhirumati Jhaverchand Jhaveri (through Legal heirs)				
1	January 24, 2014 *Transaction happened during the said week*	1,50,000	0.00	Received by way of gift
	Total	**1,50,000**		
2. Sejal Pranabh Mody				
1	August 12, 1991	45,750	10.00	Preferential Allotment
2	March 26, 1996	28,250	0.00	Bonus Issue
	Total	**74,000**		
3. Bharati S. Mody				
1	September 30, 1997	28,000	0.00	Bonus Issue
	Total	**28,000**		
4. Purvi Uday Asher				
1	March 26, 1996	4,250	0.00	Bonus Issue
2	February 20, 1997	7,750	0.00	Bonus Issue
	Total	**12,000**		
5. Uday M. Asher				
1	October 8, 1999	600	300.00	Preferential Allotment
2	April 11, 2003	670	60.00	Preferential Allotment
3	May 9, 2005	730	190.00	Purchase
	Total	**2,000**		
6. Deepali Shirish Mody				
1	October 8, 1999	2,000	300.00	Preferential Allotment
	Total	**2,000**		
7. Dinesh B. Mody				
1	April 16, 2003	1,500	60.00	Rights Issue
	Total	**1,500**		
8. Jinali Pranabh Mody				
1	October 8, 1999	900	300.00	Preferential Allotment
2	April 11, 2003	100	60.00	Preferential Allotment
	Total	**1,000**		
9. Dhruv Mahendra Jhaveri				
1	March 18, 2016	5,000	415.70	Purchase
	Total	**5,000**		
10. Malti Mahendra Jhaveri				
1	March 18, 2016	5,000	419.28	Purchase
	Total	**5,000**		
11. Dinesh Bhagwanlal Mody (held for Kumud Mody Family Foundation)				
1	October 8, 1999	400	300.00	Preferential Allotment
	Total	**400**		
12. Shirish B. Mody				
1	October 8, 1999	300	300.00	Preferential Allotment
	Total	**300**		
13. Bharat P. Mehta				
1	October 8, 1999	250	300.00	Preferential Allotment
	Total	**250**		
14. Nisha Divyesh Shah				
1	April 1, 2001	120	300.00	Preferential Allotment
	Total	**120**		
15. Dilip S. Mehta				
1	April 16, 2003	80	10.00	Rights Issue
	Total	**80**		
16. Kumud D. Mody				
1	August 31, 2005	5	260.00	Allotment during IPO
	Total	**5**		
17. Lekar Pharma Limited				
1	July 22, 2004	1,44,000	60.00	Purchase
	Total	**1,44,000**		
18. Dinesh Mody Ventures LLP				
1	August 12, 1991	16,700	10.00	Preferential Allotment
2	March 26, 1996	9,300	0.00	Bonus issue
	Total	**26,000**		
19. Kumud Mody Ventures LLP				
1	August 12, 1991	16,700	10.00	Preferential Allotment
2	March 26, 1996	9,300	0.00	Bonus issue
	Total	**26,000**		
20. Shirish Mody Enterprises LLP				
1	August 12, 1991	16,700	10.00	Preferential Allotment
2	March 26, 1996	9,300	0.00	Bonus issue
	Total	**26,000**		
21. Bharati Mody Ventures LLP				
1	August 12, 1991	13,600	10.00	Preferential Allotment
2	March 26, 1996	12,400	0.00	Bonus issue
	Total	**26,000**		
22. Ifiunik Pharmaceuticals Ltd.				
1	November 16, 2004	23,000	190.00	Purchase
	Total	**23,000**		
23. Unique Pharmaceuticals Labs Ltd.				
1	March 12, 2003	1,000	71.32	Purchase
2	February 19, 2005	13,000	190.00	Purchase
	Total	**14,000**		
24. Synit Drugs Pvt Ltd.				
1	March 12, 2003	10,000	71.32	Purchase
	Total	**10,000**		
25. J. B. Mody Enterprises LLP				
1	February 9, 1998	2,900	10.00	Preferential Allotment
	Total	**2,900**		
26. Namplas Chemicals Pvt Ltd.				
1	August 31, 2005	10	260.00	Allotted during IPO
	Total	**10**		

C. Persons Acting in Concert

Sl. No.	Date of Acquisition	No. of Equity Shares	Issue / Acquisition Price per Share (₹)	Nature of Transaction
1. Nirav Shirish Mody				
1	August 12, 1991	17,000	10.00	Preferential Allotment
2	February 20, 1997	46,000	0.00	Bonus Issue
3	September 30, 1997	3,000	0.00	Bonus Issue
	Total	**66,000**		
2. Neeta S. Revankar				
1	February 1, 2011	25,000	83.52	Exercise of Stock Options
2	May 26, 2011	11,500	81.66	Exercise of Stock Options
3	August 3, 2011	4,500	69.00	Exercise of Stock Options
4	March 31, 2012	14,500	70.85	Exercise of Stock Options
5	June 27, 2013	74,242	70.54	Exercise of Stock Options
	Total	**1,29,742**		
3. Priti R. Shah				
1	September 13, 2017	2,000	0.00	Received as gift
	Total	**2,000**		
4. Nirav Shirish Mody (Held for Priti Family Trust)				
1	April 26, 2013	300	0.00	Received as gift
	Total	**300**		

D. Key Managerial Personnel (KMP)

Sl. No.	Date of Acquisition	No. of Equity Shares	Issue / Acquisition Price per Share (₹)	Nature of Transaction
1. S. Prasad				
1	July 11, 2011	900	75.79	Exercise of Stock Options
2	October 14, 2011	400	69.00	Exercise of Stock Options
3	January 18, 2012	500	66.52	Exercise of Stock Options
4	May 7, 2013	900	77.65	Exercise of Stock Options
5	June 12, 2013	500	71.47	Exercise of Stock Options
6	August 26, 2013	800	69.61	Exercise of Stock Options
7	October 23, 2013	500	75.48	Exercise of Stock Options
	Total	**4,500**		

9. NO DEFAULTS:

The Company confirms that there are no defaults made or subsisting in the repayment of deposits or interest payment thereon, redemption of debentures or preference shares, payment of dividend to any shareholder or repayment of term loans or interest payable thereon to any financial institution or Banks.

10. CONFIRMATION FROM THE BOARD

The Board of Directors have made full enquiry into the affairs and prospects of the Company and formed the opinion:

a) That immediately following the date of this Board Meeting and the date on which the results of the Postal Ballot is declared, there will be no grounds on which the Company can be found unable to pay its debts;

b) That as regards the Company's prospects for the year immediately following the date of this Board Meeting as well as the year immediately following the date on which the results of the Postal Ballot approving the Buy-back is declared, and having regard to the Board's intentions with respect to the management of the Company's business during that year and to the amount and character of the financial resources, which will, in the Board's view, be available to the Company during that year, the Company will be able to meet its liabilities as and when they fall due and will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of this Board Meeting or as the case may be, within a period of one year from the date on which the results of the Postal Ballot is declared;

c) In forming its opinion aforesaid, the Board has taken into account the liabilities as if the Company were being wound up under the provisions of the Companies Act, 2013 or the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (including prospective and contingent liabilities);

d) That the debt equity ratio of the Company after the Buy-back will be within the limit of 2:1 as prescribed under the Act.

11. REPORT ADDRESSED TO THE BOARD OF DIRECTORS BY THE COMPANY AUDITOR

The text of the report dated April 23, 2019 received from B S R & Associates LLP, the Statutory Auditors of the Company on permissible capital payment addressed to the Board of Directors of the Company and the Statement of determination of permissible capital payment towards Buy-back of Equity Shares is reproduced below:

QUOTE

The Board of Directors
Sasken Technologies Limited
139/25, Ring Road, Domlur, Bengaluru – 560 071

Dear Sirs,

Statutory Auditors' Report in respect of proposed buy back of equity shares by Sasken Technologies Limited ("the Company") in terms of clause (xi) of Schedule I of Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018, as amended (the "SEBI Buyback Regulations").

1. This report is issued in accordance with the terms of our engagement letter dated 17 April 2019 and the addendum thereto dated 23 April, 2019. The Board of Directors of Sasken Technologies Limited have approved a proposed buyback of equity shares by the Company at its meeting held on 23 April 2019, in pursuance of the provisions of Section 68, 69 and 70 of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the SEBI Buyback Regulations.

2. The accompanying Statement of permissible capital payment ('Annexure A') as at 31 March 2019 (hereinafter referred together as the "Statement") is prepared by the Management, which we have initialed for identification purposes only.

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE STATEMENT

3. The preparation of the Statement in accordance with Section 68(2)(c) of the Companies Act, 2013 and the compliance with the SEBI Buyback Regulations, is the responsibility of the Management of the Company, including the computation of the amount of the permissible capital payment, the preparation and maintenance of all accounting and other relevant supporting records and documents. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Statement and applying an appropriate basis of preparation; and making estimates that are reasonable in the circumstances.

AUDITORS' RESPONSIBILITY

4. Pursuant to the requirements of the SEBI Buyback Regulations, it is our responsibility to provide reasonable assurance:

Contd...

Sasken Technologies Limited

Registered Office:
139/25, Ring Road, Domlur, Bengaluru - 560 071.
Tel: + 91 80 6694 3000; **Fax:** + 91 80 2535 1133;
E-mail: investor@sasken.com; **Website:** www.sasken.com
Corporate Identity Number (CIN): L72100KA1989PLC014226
Contact Person: Mr. S. Prasad,
Associate Vice President & Company Secretary

Contd...

i. Whether we have inquired into the state of affairs of the Company in relation to the audited standalone financial statements for the year ended 31 March 2019;

ii. if the amount of permissible capital payment as stated in Annexure A, has been properly determined considering the audited standalone financial statements in accordance with Section 68(2)(c) of the Act; and

iii. if the Board of Directors in their meeting dated 23 April 2019, have formed the opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company will not, having regard to its state of affairs, be rendered insolvent within a period of one year from that date.

5. The standalone financial statements referred to in paragraph 4 above, which we have considered for the purpose of this report, have been audited by us, on which we have issued an unmodified audit opinion vide our report dated 23 April 2019.

6. We conducted our examination of the Statement in accordance with the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes, issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Guidance Note requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

7. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

OPINION

8. Based on inquiries conducted and our examination as above, we report that:

a. We have inquired into the state of affairs of the Company in relation to its audited standalone financial statements as at and for the year ended 31 March 2019;

b. The amount of permissible capital payment (including premium) towards the proposed buy back of equity shares as computed in the Statement attached herewith is, in our view properly determined in accordance with Section 68(2) (c) of the Act. The amounts of share capital and free reserves have been extracted from the audited standalone financial statements of the Company as at and for the year ended 31 March 2019; and

c. The Board of Directors of the Company, in their meeting held on 23 April 2019 have formed their opinion as specified in clause (x) of Schedule I to the SEBI Buyback Regulations, on reasonable grounds and that the Company, having regard to its state of affairs, will not be rendered insolvent within a period of one year from the date of passing the Board meeting resolution dated 23 April 2019 and one year from the date on which the results of the postal ballot will be declared.

RESTRICTION ON USE

9. This report has been issued at the request of the Company solely for use of the Company (i) in connection with the proposed buy-back of equity shares of the Company in pursuance to the provisions of Section 68 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI Buyback Regulations, (ii) to enable the Board of Directors of the Company to include in the public announcement, draft letter of offer, letter of offer and other documents pertaining to buy-back to be sent to the shareholders of the Company or filed with (a) the Registrar of Companies, Securities and Exchange Board of India, stock exchanges, public shareholders and any other regulatory authority as per applicable law and (b) the Central Depository Services (India) Limited, National Securities Depository Limited and (iii) for providing to the investment bankers (Vivro Financial Services Private Limited), each for the purpose-of extinguishment of equity shares and may not be suitable for any other purpose.

For **B S R & Associates LLP**
Chartered Accountants
Firm's Registration Number: 116231W/W-100024

Rushank Muthreja
Partner
Membership No: 211386
UDIN : 19211386AAAAAL1832

Bengaluru
23 April 2019

ANNEXURE A:

Statement of permissible capital payment in accordance with Section 68 of the Companies Act, 2013.

Particulars	Amount Rs. In lakhs) Standalone
Paid up share capital (as on 31 March 2019) (17,110,114 equity shares of Rs. 10 each fully paid up)	1,711.01
Free reserves (as on 31 March 2019)	
- General reserve	1,056.29
- Retained earnings	65,295.22
- Securities premium	-
Total of paid up share capital and free reserves	**68,062.52**
Maximum amount permissible for buy-back under Section 68 of the Companies Act, 2013 (25% of the total paid up capital and free reserves)	17,015.63
Amount proposed by Board Resolution dated 23 April 2019 approving the Buyback, subject to shareholders approval by special resolution, based on the audited accounts for the year ended 31 March 2019.	16,988.76

Calculation in respect to the Buy-back is done on the basis of standalone audited financial statements of the Company as of and for the year ended 31 March 2019.

For Sasken Technologies Limited
S Prasad
Associate Vice President & Company Secretary

UNQUOTE

12. RECORD DATE AND SHAREHOLDERS' ENTITLEMENT

12.1 The Board has fixed Friday, July 5, 2019, as the Record Date for the purpose of determining the entitlement and the names of the equity shareholders who are eligible to participate in the Buy-back (**"Eligible Shareholders"**).

12.2 In due course, Eligible Shareholders will receive a Letter of Offer along with a Tender/ Offer Form indicating their entitlement for participating in the Buy-back. Even if Eligible Shareholder does not receive the Letter of Offer along with a Tender/Offer Form, the Eligible Shareholder may participate and tender Equity Shares in the Buy-back.

12.3 The Equity Shares to be bought back as part of the Buy-back are divided in two categories:

a. Reserved category for Small Shareholders (defined hereinafter); and

b. General category for all other Eligible Shareholders.

12.4 As defined in the Buy-back Regulations, a **"Small Shareholder"** is a shareholder who holds shares whose market value, on the basis of closing price of shares on the recognized stock exchange, in which highest trading volume in respect of such shares is recorded on the record date, is not more than ₹ 2,00,000 (Rupees Two Lakhs).

12.5 In accordance with Regulation 6 of the Buy-back Regulations, 15% of the number of Equity Shares which the Company proposes to Buy-back or number of Equity Shares entitled as per the shareholding of Small Shareholders, whichever is higher, shall be reserved for the Small Shareholders as part of this Buy-back.

12.6 On the basis of the shareholding as on the Record Date, the Company will determine the entitlement of Eligible Shareholders, including Small Shareholders, to tender their Equity Shares in the Buy-back. This entitlement for each shareholder will be calculated based on the number of Equity Shares held by the respective shareholder on the Record Date and the ratio of the Buy-back applicable in the category to which such shareholder belongs. The final number of Equity Shares that the Company will Buy-back from each Eligible Shareholder will be based on the total number of Equity Shares tendered. Accordingly, the Company may not buy-back all of the Equity Shares tendered by Eligible Shareholders.

12.7 After accepting the Equity Shares tendered on the basis of entitlement, the Equity Shares left to be bought back, if any, in one category shall first be accepted, in proportion to the Equity Shares tendered over and above their entitlement in the Buy-back by shareholders in that category, and thereafter from shareholders who have tendered over and above their entitlement in other category.

12.8 The participation of the Eligible Shareholders in the Buy-back is voluntary. Eligible Shareholders may also tender a part of their entitlement. Eligible Shareholders also have the option of tendering additional Equity Shares (over and above their entitlement) and participate in the shortfall created due to non-participation by some other Eligible Shareholders, if any. If the Buy-back entitlement for any shareholder is not a round number, then the fractional entitlement shall be ignored for computation of Buy-back entitlement to tender Equity Shares in the Buy-back.

12.9 The maximum number of Equity Shares that can be tendered under the Buy-back by any Eligible Shareholder cannot exceed the number of Equity Shares held by the Eligible Shareholder as on the Record Date. The Equity Shares tendered as per the entitlement by Eligible Shareholders holding Equity Shares of the Company as well as additional Equity Shares tendered, if any, will be accepted as per the procedure laid down in Buy-back Regulations. The settlement of the tenders under the Buy-back will be done using the **"Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange"** notified by SEBI Circulars, as may be amended from time to time and other relevant rules and regulations.

12.10 The Buy-back from non-resident members, Overseas Corporate Bodies (OCBs) and Foreign Institutional Investors (FIIs), Foreign Portfolio Investors (**"FPIs"**) and members of foreign nationality, if any, etc. shall be subject to such approvals as are required including approvals from the Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules, regulations framed there under, if any and such approvals shall be required to be taken by such non-resident shareholders.

12.11 Detailed instructions for participation in the Buy-back as well as the relevant schedule of activities will be included in the Letter of Offer which will be sent in due course to the Eligible Shareholders.

13. PROCESS AND METHODOLOGY FOR THE BUY-BACK

13.1 The Buy-back shall be open to all Eligible Shareholders, holding Equity Shares in demat form as on the Record Date. Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form are required to get their Equity Shares dematerialized before tendering their Equity Shares in the Buy-back.

13.2 The Buy-back will be implemented using the **"Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange"** devised pursuant to SEBI Circulars and following the procedure prescribed in the Act and the Buy-back Regulations and as may be determined by the Board (including any person authorized by the Board to complete the formalities of the Buy-back) and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time.

13.3 For implementation of the Buy-back, the Company has appointed **Pravin Ratilal Share and Stock Brokers Limited** as the registered broker to the Company (the **"Company's Broker"**) who will facilitate the process of tendering Equity Shares through Stock Exchange Mechanism for the Buy-back and through whom the purchases and settlement on account of the Buy-back would be made by the Company. The contact details of the Company's Broker are as follows:

Name: Pravin Ratilal Share and Stock Brokers Limited
Address: Sakar – 1, 5th Floor, East Wing,
Opp. Gandhigram Railway Station, Navrangpura, Ahmedabad – 380 009.
Contact Person: Ms. Kunjan Mistry
Tel.: +91-79-6630 2792, +91-79-2655 3792
Email: cs@prssb.com; Website: www.prssb.com
SEBI Registration Number: INB010758937 **(BSE)** and INB230758933 **(NSE)**
Corporate Identity Number: U67120GJ1994PLC022117

13.4 For the purpose of this Buy-back, BSE will be the Designated Stock Exchange. The Company will request BSE to provide the facility of acquisition window to facilitate placing of sell orders by Eligible Shareholders who wish to tender their Equity Shares in the Buy-back. The details of the platform will be as specified by BSE from time to time. In case Eligible Shareholder's broker is not registered with BSE or if the Eligible Shareholders do not have any stock broker then that Eligible Shareholders can approach any stock broker registered with the BSE (with whom they do not have an account) and can make a bid by using quick unique client code (**"UCC"**) facility through that stock broker registered with the BSE after submitting the details as may be required by the stock broker to be in compliance with the Buy-back Regulations or Eligible Shareholder may approach Company's Broker to place its bid.

13.5 During the tendering period, the order for selling the Equity Shares will be placed in the Acquisition Window by Eligible Shareholders through their respective stock brokers (**"Seller Member"**) during normal trading hours of the secondary market. The Seller Member(s) can enter orders for demat Equity Shares. In the tendering process, the Company's Broker may also process the orders received from the Eligible Shareholders.

13.6 **Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialised form:**

13.6.1 Eligible Shareholders who desire to tender their Equity Shares held by them in the dematerialised form under Buy-back would have to do so through their respective Seller Member by giving the details of Equity Shares they intend to tender under the Buy-back.

13.6.2 The Seller Member would be required to transfer the tendered Equity Shares to a special account of the Indian Clearing Corporation Limited (**"Clearing Corporation"**) specifically created for the purpose of Buy-back Offer (**"Special Account"**) by using settlement number through the early pay in mechanism of Depositories and the same shall be validated at the time of order entry. The details of settlement number and the Special Account shall be informed in the issue opening circular that will be issued by BSE or Clearing Corporation prior to placing bid by the Seller Member.

13.6.3 For custodian participant orders for demat Equity Shares, early pay-in is mandatory prior to confirmation of order by custodian. The custodian shall either confirm or reject the orders not later than the closing of trading hours on the last day of the tendering period. Thereafter, all unconfirmed orders shall be deemed to be rejected. For all confirmed custodian participant orders, order modification shall revoke the custodian confirmation and the revised order shall be sent to the custodian again for confirmation.

13.6.4 Upon placing the order, the Seller Member shall provide Transaction Registration Slip (**"TRS"**) generated by the exchange bidding system to the Eligible Shareholder on whose behalf the order has been placed. TRS will contain details of order submitted like Bid ID No., DP ID, Client ID, no. of Equity Shares tendered, etc.

13.6.5 Modification/ cancellation of orders will be allowed during the tendering period of the Buy-back. Multiple bids made by a single Eligible Shareholder for selling the Equity Shares shall be clubbed and considered as **"one bid"** for the purposes of acceptance.

13.6.6 The cumulative quantity tendered shall be made available on the website of BSE i.e., www.bseindia.com throughout the trading session and will be updated at specific intervals during the tendering period.

13.7 **Procedure to be followed by Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form:**

13.7.1 As per the proviso to regulation 40(1) of the Listing Regulations, as amended from time to time, read with press release dated March 27, 2019 issued by SEBI, post April 1, 2019, requests for effecting transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in the dematerialised form with a depository.

THEREFORE, ELIGIBLE SHAREHOLDERS HOLDING EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM ARE REQUIRED TO GET THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED BEFORE TENDERING THEIR EQUITY SHARES IN THE BUY-BACK.

14. METHOD OF SETTLEMENT

14.1 Upon finalization of the basis of acceptance as per the Buy-back Regulations, the settlement of trades shall be carried out in the manner similar to settlement of trades in the secondary market and as intimated by the Clearing Corporation from time to time.

14.2 The Company will transfer the consideration pertaining to the Buy-back to the Clearing Corporation's bank account through the Company's Broker as per the secondary market mechanism, as per the prescribed schedule. For demat Equity Shares accepted under the Buy-back, the Clearing Corporation will make direct funds pay-out to the respective Eligible Shareholders. If bank account details of any Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form are not available or if the fund transfer instruction is rejected by the Reserve Bank of India or relevant Bank, due to any reasons, then the amount payable to the Eligible Shareholders will be transferred to the concerned Seller Member for onward transfer to the such Eligible Shareholder holding Equity Shares in dematerialized form.

14.3 In case of certain client types viz. NRI, foreign clients etc. (where there are specific RBI and other regulatory requirements pertaining to funds pay-out) who do not opt to settle through custodians, the funds pay-out would be given to their respective Selling Member's settlement accounts for releasing the same to the respective Eligible Shareholder's account. For this purpose, the client type details would be collected from the Depositories, whereas funds payout pertaining to the bids settled through custodians will be transferred to the settlement bank account of the custodian, each in accordance with the applicable mechanism prescribed by the Designated Stock Exchange and the Clearing Corporation from time to time.

14.4 The Equity Shares bought back in the dematerialized form would be transferred directly to the escrow demat account of the Company (**"Company Demat Escrow Account"**) provided it is indicated by the Company's Broker or it will be transferred by the Company's Broker to the Company Demat Escrow Account on receipt of the Equity Shares from the clearing and settlement mechanism of the Designated Stock Exchange.

14.5 Excess Equity Shares or unaccepted Equity Shares, in dematerialised form, if any, tendered by the Eligible Shareholders would be transferred by the Clearing Corporation directly to the respective Eligible Shareholder's DP account. If the securities transfer instruction is rejected in the Depository system, due to any issue then such securities will be transferred to the Seller Member's depository pool account for onward transfer to the respective Eligible Shareholder. The shareholders of the demat Equity Shares will have to ensure that they keep the DP account active and unblocked to receive credit in case of return of demat Equity Shares, due to rejection or due to non-acceptance in the Buy-back.

14.6 The Seller Member would issue contract note for the Equity Shares accepted under the Buy-back. The Company's Broker would also issue a contract note to the Company for the Equity Shares accepted under the Buy-back.

14.7 Equity Shareholders who intend to participate in the Buy-back should consult their respective Seller Member for payment to them of any cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) that may be levied by the Seller Member for tendering Equity Shares in the Buy-back (secondary market transaction). Therefore, the Buy-back consideration received by the Eligible Shareholders, in respect of accepted Equity Shares, could be net of such costs, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage). The Manager to the Buy-back and the Company accept no responsibility to bear or pay any additional cost, applicable taxes, charges and expenses (including brokerage) levied by the Seller Member, and such costs will be borne solely by the Eligible Shareholders.

15. COMPLIANCE OFFICER

Investors may contact the Compliance Officer of the Company for any clarifications or to address their grievances, if any, during office hours i.e. 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

Mr. S. Prasad,
Associate Vice President & Company Secretary
Sasken Technologies Limited
139/25, Ring Road, Domlur, Bengaluru – 560 071
Tel: +91 80 6694 3000; **Fax:** +91 80 2535 1133
E-mail: investor@sasken.com;
Website: www.sasken.com

16. REGISTRAR TO THE BUY-BACK / INVESTOR SERVICE CENTRE

In case of any queries, the Eligible Shareholders / Beneficial Owner of Equity Shares may contact the Registrar to the Buy-back during office hours i.e. 10.00 a.m. to 5.00 p.m. on all working days except Saturday, Sunday and public holidays, at the following address:

KARVY FINTECH

Karvy Fintech Private Limited
Karvy Selenium, Tower B, Plot Nos. 31&32, Financial District,
Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032.
Tel: +91 40 6716 2222; **Fax:** +91 40 2343 1551
Email: sasken.buyback2019@karvy.com;
Investor Grievance Email: einward.ris@karvy.com
Website: www.karvyfintech.com
Contact Person: Mr. M Murali Krishna
SEBI Registration Number: INR000000221 | **Validity:** Permanent |
CIN: U72400TG2017PTC117649

17. MANAGER TO THE BUY-BACK

VIVRO

Vivro Financial Services Private Limited
607, 608 Marathon Icon, Opp. Peninsula Corporate Park,
Off Ganpatrao Kadam Marg, Veer Santaji Lane, Lower Parel, Mumbai – 400 013.
Tel: +91 22 6666 8040/41/42; **Fax:** +91 22 6666 8047
E-mail: investors@vivro.net; **Website:** www.vivro.net
Contact Person: Mr. Harish Patel / Ms. Mili Khamar
SEBI Registration Number: INM000010122 | **Validity:** Permanent |
CIN: U67120GJ1996PTC029182

18. DIRECTORS' RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buy-back Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Public Announcement and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.

For and on behalf of the Board of Directors of Sasken Technologies Limited

Sd/-	Sd/-	Sd/-
Rajiv C. Mody	Neeta S. Revankar	S. Prasad
Chairman & Managing Director	Whole time Director & CFO	Associate Vice President &
(DIN: 00092037)	(DIN: 00145580)	Company Secretary

Date: June 21, 2019
Place: Bengaluru

पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड

(पीएफसी लि. के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनी)
कॉर्पोरेट कार्यालयः नौवां तल, ए विंग, स्टेट्समैन हाउस, कनाट प्लेस,
नई दिल्ली–110001, फोनः 011–23443900

निविदा आमंत्रण सूचना

झारखण्ड राज्य में जिला देवघर में 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए (1) साइट व्यवहार्यता अध्ययन के लिए तकनीकी सलाहकार सेवाओं, विभिन्न तकनीकी अध्ययनों का आयोजन और एमओईएफएंडसीसी / एसपीसीबी क्लीयरेंस आदि प्राप्त करने तथा (2) भूमि अधिग्रहण एवं वन क्लीयरेंस में पीएफसीसीएल को सहायता प्रदान करने के लिए 'एरिया कोड 3' के अंतर्गत पीएफसीसीएल के साथ सूचीबद्ध सलाहकार संगठनों से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा प्रारंभ तिथिः 24 जून, 2019, निविदा बंद तिथिः 22 जुलाई, 2019

विस्तृत विवरणों के लिए हमारी वेबसाइट **www.pfcclindia.com** पर शीर्षक **'टेंडर्स'** एवं **http://www.mstcecommerce.com/eprochome/pfccl/buyer_login.jsp** को देखें।

MANEKSHAW CENTRE

MANEKSHAW CENTRE PARADE ROAD, DELHI CANTT-10
NOTICE INVITING TENDER

1. ADG Adm & Coord invites sealed tender from vendors for repair and renovation of Buliding No- P8 **&** P9 at **Manekshaw Centre, Parade Road, Delhi Cantt-10** for a work to be completed in 150 days as per terms and conditions.

2. The RFP may be collected from the office of GSO-1 (Coord), **Manekshaw Centre, Parade Road, Delhi Cantt-10.** Tele. **8800031804** between 1000 hrs to 1700 hrs wef **25 Jun 2019 to 20 July 2019** on any working day. Documents fee of **Rs. 500/-** in the form of **Bankers Cheque / DD** in favour of **'Manekshaw Centre Main Acct'.**

3. Sealed Tender documents as per RFP will be dropped in tender box Placed at the **front gate of Manekshaw Centre** by **1100 hrs on 22 Jul 2019.**

(THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA.)

wow cine pulse

CITY PULSE MULTIPLEX LIMITED

CIN: U92199GJ2000PLC037606

Our Company was incorporated as "City Pulse Multiplex Private Limited" at Ahmedabad, Gujarat as a Private company under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation dated March 22, 2000 bearing Registration no. 04-37606 of 1999-2000 issued by Registrar of Companies, Gujarat, Dadra & Nagar Haveli. Consequent upon the conversion of our Company to public limited company and as approved by the shareholders of our company pursuant to a special resolution dated May 19, 2018, the name of our Company was changed to "City Pulse Multiplex Limited." and fresh certificate of incorporation dated May 28, 2018 was issued by the Registrar of Companies, Ahmedabad, Gujarat. The Corporate Identification Number of our Company is U92199GJ2000PLC037606. For details of change in name and address of our Registered Office, see "History and Certain Corporate Matters" on page 105 of the Prospectus.

Registered Office: 401, 4th Floor, Sachet 1, Swastik Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat, India. **Contact Person:** Ms. Divya Jitendrakumar Agrawal, Company Secretary and Compliance Officer **Tel No.**: 079 40070706 / 708; **Email:** cs@wowcinepulse.com; **Website:** www.wowcinepulse.com,

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 13,28,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS.10 EACH OF CITY PULSE MULTIPLEX LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF RS. 30 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF RS. 20 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO RS. 398.40 LAKHS ("THE ISSUE"), OF WHICH 72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF RS. 30 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 20 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 21.60 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 12,56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 10 EACH AT A PRICE OF RS. 30 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. 376.80 IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 40.02 % AND 37.85 % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS RS 10 AND THE ISSUE PRICE IS 3 TIMES OF THE FACE VALUE

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF REGULATION 229 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED FROM TIME TO TIME. AS AMENDED, THIS ISSUE IS FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BEMADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS, 2018

For further details, please see "Issue Related Information" beginning on page no. 191 of the Prospectus.

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 4000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 4000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

ISSUE	OPENS ON THURSDAY, JUNE 27, 2019 CLOSES ON WEDNESDAY, JULY 03, 2019

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same. For details, check section on ASBA below.	Mandatory in Public Issues from January 01, 2016 No cheque will be accepted.

UPI **Now available in ASBA for Retail Individual Investors**

*ASBA is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account.

For further details check section on ASBA below.

*ASBA has to be availed by all the investors. UPI may be availed by Retail Individual Investors.

For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 194 of the Prospectus. The process is also available on the website of AIBI and Exchanges in the General Information Document."

ASBA application forms can be downloaded from the website of BSE Limited and can be obtained from the list of banks that is displayed on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in.

Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID are correctly filled in the Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Application Form should match with the DP ID and Client ID available in the Depository database, otherwise, the Application Form is liable to be rejected. Applicant should ensure that the beneficiary account provided in the Application Form is active. Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID and Client ID as provided in the Application Form, the Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for any correspondence(s) related to the Issue. Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Applicants' sole risk.

PROMOTERS OF THE COMPANY : MR. ARPIT KUMAR MEHTA AND MRS. RAJAL ARPIT KUMAR MEHTA

LISTING: The Equity Shares issued through the Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE"). Our Company has received an In-principle approval letter dated June 20, 2019 from BSE for using its name in the Offer Document and for listing of our shares on the SME Platform of BSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the BSE Limited.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: The Issue is being made in terms of Regulation 229 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018, the Draft Offer Document was filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not Offer any observation on the Offer Document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page no. 175 of the Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited ("BSE") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Prospectus or the price at which the equity shares are offered has cleared, solicited or approved by BSE nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Prospectus. The investors are advised to refer to the Prospectus on page no. 180 for the full text of the Disclaimer Clause of BSE.

GENERAL RISK: Investment in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue, including the risks involved. The Equity Shares in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this Prospectus. Specific attention of the investors is invited to "Risk Factors" beginning on page no. 16 of the Prospectus.

RISK IN RELATION TO THE FIRST ISSUE: This being the first public Issue of Equity Shares of our Company, there has been no formal market for the Equity Shares. The face value of the Equity Shares is ₹10/- each. The Issue Price as stated in "Basis for Issue Price" on page 65 of this Prospectus should not be taken to be indicative of the market price of the Equity Shares after the Equity Shares are listed on the BSE SME Platform. No assurance can be given regarding an active and/or sustained trading in the Equity Shares nor regarding the price at which the Equity Shares will be traded after listing

ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED UNDER SECTION 30 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Main Objects of the Company as per MoA: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 105 of the Prospectus and Clause III of the Memorandum of Association of our Company. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page no. 247 of the Prospectus.

Liability of Members as per MoA: The Liability of the members of the Company is Limited.

Capital Structure: Authorised Share Capital Rs. 350.00 Lakhs consisting of 35,00,000 Equity Shares of Rs. 10 each. Pre Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital is Rs. 199.00 Lakhs consisting of 19,90,033 Equity Shares of Rs. 10 each. Post Issue Capital: Issued, Subscribed and Paid-up Capital is Rs. 331.80 Lakhs consisting of 33,18,033 Equity Shares of Rs. 10 each. For details of the Capital Structure, please refer to the chapter titled "Capital Structure" beginning on page no. 44 of the Prospectus.

Names of the signatories to the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: (1) Ashok B. Purohit : 10 equity shares of Rs. 10 each (2) .Lalit B. Purohit: 10 equity shares of Rs. 10 each and (3) Veena A. Purohit : 10 equity shares of Rs 10 each. For details of the main objects of the Company as contained in the Memorandum of Association, see "History and Certain Corporate Matters" on page no. 105 of the Prospectus. For details of the share capital and capital structure of the Company see "Capital Structure" on page no. 44 of the Prospectus.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
CAPITALSQUARE™ Teaming together to create value **CAPITALSQUARE ADVISORS PRIVATE LIMITED** 208, 2nd Floor, AARPEE Center, MIDC Road No 11, CTS 70, Andheri (E),Mumbai- 400093 Maharashtra, India **Tel:** +91-22-66849999; **Fax:** +91-22-66849998 **Website:** www.capitalsquare.in **Email / Investor Grievance Id:** mbd@capitalsquare.in **Contact Person:** Mr. Tanmoy Banerjee/Mr. Saket Jain **SEBI Registration No:** INM000012219	LINK Intime **LINK INTIME INDIA PRIVATE LIMITED** Address : C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bhadur, Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai -400 083 **Tel No:** 022 - 4918 6200; **Fax No:** +91 022 - 4918 6195 **Website:** www. linkintime.co.in **Email Id:** cpml.ipo@linkintimne.co.in **Contact Person:** Ms. Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration No**: INR000004058	wow cine pulse **CITY PULSE MULTIPLEX LIMITED** **Ms. Divya Jitendrakumar Agrawal** 401, 4th Floor, Sachet 1, Swastik Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat, India. **Telephone**: 0 79 40 070 706/708 **Fax:** N.A **Email id:** cs@wowcinepulse.com **Website:** www.wowcinepulse.com Applicants can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any Pre- Issue or Post- Issue related problems, such as non-receipt of Allotment Advice or credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account or unblocking of funds, etc.

AVAILABILITY OF PROSPECTUS: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Prospectus is available on the websites of the Company, the Lead Manager, the SEBI and the Stock Exchange at www.wowcinepulse.com, www.capitalsquare.in, www.sebi.gov.in and www.bseindia.com respectively.

AVAILABILITY OF APPLICATION FORMS: Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company and Office of the Lead Manager, CapitalSsquare Advisors Private Limited. Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBs available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): Investors have to compulsorily apply through the ASBA process. ASBA has to be availed of by all investors. Further as per SEBI Circular SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2018/138 dated November 1, 2018, all Retail Individual Investors can also apply through Unified Payments Interface ("UPI"). The investor is required to fill the Application form and submit the same to the relevant SCSB or the Registered Brokers at Broker Center or the RTA or the CDP. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in Application form and undertake other tasks as per the specified procedure. On Allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for Allotment of Equity Shares. Hence, there will be no need for refunds. For more details on the ASBA process, please refer to the section, "Issue Procedure" beginning on page no. 194 of the Prospectus.

BANKER TO THE ISSUE & SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus dated June 21, 2019

For City Pulse Multiplex Limited
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Whole Time Director

Place: Ahemedabad, Gujarat
Date: June 22, 2019

City Pulse Multiplex Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make a Public Issue of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Ahmedabad. The Prospectus shall be available on the websites of the Company, the BSE and the LM at, www.wowcinepulse.com, www.bseindia.com and www.capitalsquare.in respectively. Applicants should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see the Prospectus, including, the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 16 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be offered and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur.

The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Sunjeet Comm.

जेट एअरवेज के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

कर्ज के बोझ से दबी निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी जेट एअरवेज के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जेट एअरवेज का परिचालन 17 अप्रैल से बंद है। ऋणदाताओं ने इससे पहले इसी महीने एअरलाइन के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए मतदान किया था।

● कंपनी ने किया शेयर बाजार को सूचित

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई, पीठ ने 20 जून को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा 26 ऋणदाताओं की ओर से दायरा दिवाला याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में जेट एअरवेज ने कहा, एनसीएलटी की मुंबई पीठ के 20 जून के आदेश के अनुसार जेट एअरवेज के खिलाफ दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत कॉरपोरेट दिवाला निपटान प्रक्रिया (सीआइआरपी) शुरू हो गई है। इसमें आगे कहा गया है कि सीआइआरपी शुरू होने के बाद कंपनी के निदेशक मंडल के सभी अधिकार निलंबित हो गए हैं और अब अंतरिम निपटान पेशेवर द्वारा इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जेट एअरवेज पर बैंकों का 8,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इसके अलावा एअरलाइन पर वेंडरों, पट्टे पर विमान देने वालों और कर्मचारियों का भी हजारों करोड़ रुपए का बकाया है।

वेतन संहिता विधेयक

अगले सप्ताह मिल सकती है मंत्रिमंडल की हरी झंडी

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

श्रम सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम मंत्रालय अगले सप्ताह वेतन संहिता विधेयक के मसविदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख सकता है। एक सूत्र ने कहा कि मंत्रालय संसद के मौजूदा सत्र में इस विधेयक को पारित कराना चाहता है।

पिछले महीने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह विधेयक निरस्त हो गया था। मंत्रालय को अब विधेयक को संसद के किसी भी सदन में नए सिरे से पेश करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुमति की जरूरत होगी।

सूत्र ने कहा, मंत्रिमंडल वेतन संहिता विधेयक पर अगले महीने मंजूरी दे सकता है। श्रम मंत्रालय इस विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में ही पारित कराना चाहता है। इससे पहले विधेयक को 10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसे 21 अगस्त, 2017 को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 18 दिसंबर, 2018 को सौंपी थी।

वेतन संहिता विधेयक सरकार की ओर से परिकल्पित चार संहिताओं में से एक है। ये चार संहिताएं पुराने 44 श्रम कानूनों की जगह लेंगी। यह निवेशकों की सहूलियत और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निवेश को आकर्षित करने में मदद करेंगी। ये चार संहिताएं हैं– वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा एवं कल्याण और औद्योगिक संबंध हैं।

वेतन संहिता विधेयक, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948, बोनस भुगतान कानून 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की जगह लेगा। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार रेलवे और खनन समेत कुछ क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करेगी जबकि राज्य अन्य श्रेणी के रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। विधेयक के मसविदे में कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी में हर पांच साल में संशोधन किया जाएगा।

इस महीने की शुरुआत में, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई अंतर–मंत्रालयी बैठक के बाद श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा था कि उनका मंत्रालय संसद के चालू सत्र में इस विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगा। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा वाणिज्य और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे।

वैश्विक रुख से तय होगी बाजार की चाल

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

शेयर समीक्षा

घरेलू संकेतकों की कमी के बीच इस सप्ताह वैश्विक शेयर बाजारों की दिशा वैश्विक रुख से तय होगी।

निवेशक अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और वैश्विक व्यापार परिदृश्य पर करीब से नजर रखेंगे। विश्लेषकों ने यह बात कही।

अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने और दो तेल टैंकरों पर हमले के बाद पश्चिम एशिया में भू–राजनीतिक तनाव बढ़ने से पिछले सप्ताह शेयर बाजार प्रभावित हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर हमले के आदेश और बाद में इसे वापस लेने की खबरें आने के बाद शुक्रवार को कच्चे तेल के दाम में तेजी रही। सैमको सिक्योरिटीज और स्टॉकनोट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिमीत मोदी ने कहा, इस हफ्ते बाजार में बजट नीतियों के नतीजों पर अटकलें शुरू हो जाएंगी। वैश्विक कारक घरेलू शेयर बाजारों को प्रभावित कर सकते हैं और पश्चिमी एशिया में किसी भी तरह की टकराव की स्थिति शेयर बाजारों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। विशेषज्ञों ने कहा कि निवेशकों की नजर रुपए की चाल और कच्चे तेल के उतार–चढ़ाव पर रहेगी। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के खुदरा वितरण के अध्यक्ष जयंत मांगलिक ने कहा, व्यापार युद्ध और भू–राजनीतिक तनाव को देखकर निवेशक अपना रुख तय करेंगे। इन कारकों के जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। पिछले सप्ताह बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 257.58 अंक यानी 0.65 फीसद गिरा। सेंसेक्स शुक्रवार को 407.14 अंक यानी 1.03 फीसद गिरकर 39,194.49 अंक पर बंद हुआ।

शीर्ष छह कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 53,459 करोड़ रुपए घटा

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

सेंसेक्स की शीर्ष दस कंपनियों में छह के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में पिछले सप्ताह कुल मिलाकर 53,458.8 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सर्वाधिक नुकसान रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआइएल) को हुआ है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल), एचडीएफसी और आईटीसी के बाजार पूंजीकरण में भी गिरावट आई। वहीं इस दौरान इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आइसीआइसीआइ बैंक के एमकैप में बढ़त दर्ज की गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 23,929.9 करोड़ रुपए गिरकर 8,10,889.80 करोड़ रुपए रह गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का बाजार मूल्यांकन 12,177 करोड़ रुपए घटकर 3,82,888.36 करोड़ रुपए पर आ गया। एचडीएफसी का बाजार पूंजीकरण 7,148.88 करोड़ गिरकर 3,68,796.02 करोड़ रुपए और एचडीएफसी बैंक का पूंजीकरण 4,785.48 करोड़ रुपए घटकर 6,60,069.81 करोड़ रुपए रह गया। आइटीसी की बाजार हैसियत 4,535.7 करोड़ रुपए घटकर 3,36,192.97 करोड़ रुपए और टीसीएस की 881.81 करोड़ रुपए घटकर 8,44,267.80 करोड़ रुपए रह गई। वहीं, दूसरी ओर, आइसीआइसीआइ बैंक का बाजार पूंजीकरण 8,363.86 करोड़ रुपए बढ़कर 2,77,957.03 करोड़ रुपए पहुंच गया।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान रैंकिंग में फिसला

नई दिल्ली, 23 (जून)।

वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिष्ठित भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आइआइएफटी) मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय की 2019 की प्रबंधन श्रेणी के उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में आठ स्थान फिसलकर 31वें स्थान पर आ गया है।

वर्ष 2018 में आइआइएफटी इस सूची में 23वें, 2017 में 30वें और 2016 में 81वें स्थान पर था। प्रबंधन संस्थानों की रैंकिंग का चौथा संस्करण अप्रैल में घोषित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचे (एनआइआरएफ), 2019 पर आधारित है। आइआइएफटी के निदेशक मनोज पंत ने कहा कि पिछले साल की एनआइआरएफ रैंकिंग की तुलना में संस्थान ने शोध एवं पेशेवर व्यवहार और धारणा' के मानक पर छोड़कर अन्य में अपने अंक कायम रखे हैं।

विदेशी निवेशकों ने जून में अब तक पूंजी बाजार में 10,312 करोड़ रुपए डाले

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

विदेशी निवेशकों ने जून महीने में अब तक भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध रूप से 10,312 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें ज्यादातर निवेश बांड बाजार में किया गया है।

विशेषज्ञों ने कहा कि पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ने और भारत–अमेरिका के बीच व्यापार को टकराव के चलते शेयर बाजारों में निवेश में सुस्ती आई है। डिपॉजिटरी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) ने 3 से 21 जून के दौरान, शेयर बाजार में शुद्ध रूप से 552.07 करोड़ रुपए का निवेश किया, जबकि बांड बाजार में 9,760.59 करोड़ रुपए डाले। इस तरह भारतीय पूंजी बाजार में उनका शुद्ध निवेश 10,312.66 करोड़ रहा। इससे पहले, विदेशी निवेशक लगातार चार महीनों से शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। वैश्विक निवेशकों ने शेयर और बांड बाजार दोनों में मई में शुद्ध रूप से 9,031.15 करोड़ रुपए, अप्रैल में 16,093 करोड़ रुपए की पूंजी डाली थी। वहीं मार्च में 45,981 करोड़ रुपए तथा फरवरी में 11,182 करोड़ रुपए का निवेश किया था।

मॉर्निंगस्टार के वरिष्ठ विश्लेषक प्रबंधक (शोध) हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा, कच्चे तेल के दाम में तेजी और अमेरिका–ईरान के बीच गतिरोध से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से इस हफ्ते पूंजी बाजार में धारण कमजोर रही। व्यापार युद्ध को लेकर भी निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का ध्यान पांच जुलाई को पेश होने वाले आम बजट पर भी है। इसमें सरकार राजकोषीय मजूबती, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा पेश करेगी।

बीते हफ्ते तिलहन की कीमतों में रही मामूली घट–बढ़

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

साधारण कारोबार के बीच दिल्ली थोक तेल तिलहन बाजार में बीते सप्ताह तेल तिलहन कीमतों में मामूली घट बढ़ देखी गई।

बाजार सूत्रों के अनुसार साधारण मांग के चलते सरसों तिलहन की कीमत जहां 10 रुपए बढ़कर 4015–4045 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुई, वहीं लिवाली की कमी से सरसों दादरी के भाव पिछले सप्ताहांत के मुकाबले 50 रुपए की हानि के साथ 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुईं। दूसरी ओर सरसों पक्की घानी और सरसों कच्ची घानी के भाव अपरिवर्तित बने रहे। विदेशों में तेजी और पर्याप्त स्थानीय मांग से मूंगफली दाना और मूंगफली मिल डिलिवरी गुजरात की कीमतें क्रम से 100 रुपए और 500 रुपए की तेजी के साथ क्रम से 4,640–4,800 रुपए और 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बंद हुईं।

ओएनजीसी को मिली एचपीसीएल के प्रवर्तक के रूप में मान्यता

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पिछले करीब 15 माह से ओएनजीसी को अपने प्रवर्तक के रूप में मान्यता देने से बेशक कतरा रही है, लेकिन अब सरकार ने व्यावहारिक उद्देश्य से अपने इस रुख में बदलाव किया है। सरकार के लिए अधिकारियों का चयन करने वाले लोक उपक्रम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने 17 जून को एचपीसीएल के नए निदेशक (वित्त) के चयन में सहायता के लिए ओएनजीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शशि शंकर को भी बुलाया था। मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यह एक प्रकार से ओएनजीसी को एचपीसीएल का प्रवर्तक के रूप में मान्यता देना है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)
आईसीएआई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली–110 002

निविदा आमंत्रण सूचना (प्रेस)

आईसीएआई सीलबंद निविदाओं को दो बोली प्रणाली में आमंत्रित करता है (दो अलग–अलग आवरणों में तकनीकी–वाणिज्यिक और वित्तीय बोलियाँ) निम्नलिखित के लिए:
1. आईसीएआई के दिल्ली और नोएडा कार्यालयों के लिए टैक्सी सेवा प्रदाताओं के मनोनयन के लिए निविदा।
2. आईसीएआई के नोएडा कार्यालयों के लिए सुरक्षा / सतर्कता सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा।
3. कूरियर सेवा एजेंसी की नियुक्ति के लिए निविदा।
निविदा प्रपत्रों को आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org से डाउनलोड किया जा सकता है। सीलबंद निविदाओं को जमा करने की अंतिम तिथि 15.07.2019 दोपहर 3:00 बजे या उससे पहले है।
कार्यवाहक सचिव, आईसीएआई

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
CIN: L74899DL1970GOI005276 GST No.: 07AAACH0632A1ZF
पंजीकृत कार्यालय : हडको भवन, कोर – 7ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, दूरभाष : (ईपीएबीएक्स) 011–24649610, 24648160
फैक्स नं. : +91–(011) 24615343, 24625308, वैबसाइट : www.hudco.org

ई–टेंडर "ट्रैवल एजेंटों की सूचीबद्धता"

हडको ट्रेवल एजेंसियों को सूचीबद्ध करना चाहता है।
विवरण हेतु, कृपया हमारी वेबसाइट www.hudco.org को देखें।
सरकारी ई–पोर्टल: https://eprocure.gov.in/epublish/app
यू आर एल : https://www.tenderwizard.com/HUDCO

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्र.का. भविष्य निधि विभाग
आश्रम चौक, सिद्धार्थ एन्कलेव, नई दिल्ली–110014
दूरभाष: 011–26346638–40

निविदा सूचना

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के कर्मचारियों हेतु ग्रुप मीयादी जीवन बीमा योजना के नवीकरण हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित हैं। इससे संबंधित विवरण हेतु आर.एफ.पी. को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उपरोक्त निविदा से संबंधित अन्य परिवर्तन केवल बैंक की वेबसाइट पर ही प्रकाशित होंगे।
मुख्य प्रबंधक (पी.एफ.)

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

आवासीय एवं गैर आवासीय भूखण्डों हेतु निविदा नीलामी सूचना

मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में विभिन्न आकार के शैक्षिक, व्यवसायिक, औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग, हैल्थसेन्टर/ नर्सिंग होम, काम्युनिटी हॉल, होटल, कान्विनियन्ट शॉप्स श्रेणी के भूखण्ड व दुकान उपलब्ध है तथा मेरठ विकास क्षेत्र में स्थित गार्डेनिया एस्टेट, नूर नगर, तलपट मानचित्र सं0 12/2007 (ऐरा ग्रुप द्वारा विकसित) के निविदा–नीलाम किये जाने वाले आवासीय भूखण्डों की संख्या, क्षेत्रफल, आरक्षित दर, कीमत व धरोहर राशि सहित विवरण पुस्तिकायें प्राधिकरण की वैब साईट www.mdameerut.in पर विज्ञापन के प्रकाशन के दिनांक से उपलब्ध रहेगी।
शैक्षिक भूखण्डों की तकनीकी व वाणिज्यक निविदायें दिनांक 26–06–2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजें से अपराह्न 2.00 बजे तक विकास प्राधिकरण के सभागार में आमंत्रित है। सफल तकनीकी आवेदनकर्ताओ की सूची का प्राधिकरण के नोटिस बोर्ड पर दिनांक 29–06–2019 को प्रकाशन उपरान्त सफल तकनीकी आवेदनकर्ता के मध्य दिनांक 02–07–2019 को प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में समय पूर्वान्हन 11.30 बजें से नीलामी की जायेगी।
उपरोक्त गैर आवासीय भूखण्डों की निविदायें दिनांक 04–07–2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजें से अपराह्न 2.00 बजें तक विकास प्राधिकरण के सभागार में आमन्त्रित है तथा नीलामी अपराह्न 3.00 बजें से की जायेगी।
सचिव (ADVT No. 06/MDA/2019) उपाध्यक्ष

भारत सरकार
लोक उद्यम चयन बोर्ड
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
में
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है।
लोक उद्यम चयन बोर्ड में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि
23 अगस्त, 2019(15.00 बजे तक) है।
जानकारी के लिए वेबसाइट
http://www.pesb.gov.in
में लॉगइन करें।

डीसीबी/एसएफएन/टीएल/जून–2019/15 **DCB BANK**
तिथि: 19.06.2019
सेवा में

मै. कलका होम डेवलपर्स प्रा. लि. ऋणधारक जिसका पंजीकृत कार्यालयः आरजेड–17 बी, गली नं. 16, तुगलकाबाद एक्स्टें., नई दिल्ली–110019	**मै. कलका होम डेवलपर्स प्रा. लि.** कालका द पर्ल खसरा नं. 387, ग्राम कालका, तहसील तिजारा, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान–301019
मै. कलका होम डेवलपर्स प्रा. लि. कॉर्पोरेट कार्यालयः 505/506, II मॉल, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गाँव, हरियाणा–122001 प्रतिनिधित्व द्वारा उसके पदनामित निदेशकों तथा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं: श्री केशव कुमार, श्री योगेश कुमार, श्री योगेश अग्रवाल तथा श्री दीपक मंगला	
श्री केशव कुमार गारन्टर आरजेड–17 बी, गली नं. 16, तुगलकाबाद एक्स्टें., नई दिल्ली–110019	श्री केशव कुमार खसरा नं. 387, ग्राम कालका, तहसील तिजारा, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान–301019
श्री केशव कुमार 505/506, II मॉल, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गाँव, हरियाणा–122001	श्री केशव कुमार बी–4058, ग्रीन फिल्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा–121003
श्री योगेश कुमार गारन्टर आरजेड–17 बी, गली नं. 16, तुगलकाबाद एक्स्टें., नई दिल्ली–110019	श्री योगेश कुमार खसरा नं. 387, ग्राम कालका, तहसील तिजारा, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान–301019
श्री योगेश कुमार 505/506, II मॉल, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गाँव, हरियाणा–122001	श्री योगेश कुमार एच. नं. 613, सेक्टर–37, फरीदाबाद, हरियाणा–121003
श्री योगेश अग्रवाल गारन्टर आरजेड–17 बी, गली नं. 16, तुगलकाबाद एक्स्टें., नई दिल्ली–110019	श्री योगेश अग्रवाल खसरा नं. 387, ग्राम कालका, तहसील तिजारा, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान–301019
श्री योगेश अग्रवाल 505/506, II मॉल, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गाँव, हरियाणा–122001	श्री योगेश अग्रवाल ए–1546, ग्रीन फिल्ड कॉलोनी, फरीदाबाद, हरियाणा–121003
श्री दीपक मंगला गारन्टर आरजेड–17 बी, गली नं. 16, तुगलकाबाद एक्स्टें., नई दिल्ली–110019	श्री दीपक मंगला खसरा नं. 387, ग्राम कालका, तहसील तिजारा, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान–301019
श्री दीपक मंगला 505/506, II मॉल, सोहना रोड, सेक्टर 49, गुड़गाँव, हरियाणा–122001	श्री दीपक मंगला एच. नं. 770, सेक्टर 2 एए, फरीदाबाद, हरियाणा–121003

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

प्रिय महोदय/महोदया

हम, डीसीबी बैंक लिमिटेड, जिसका एक कार्यालय 7/56, 3रा तल, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली–110005 में है, ने आपके अनुरोध पर आपके लिये सावधि ऋण सुविधाएं स्वीकृत की थी। प्राप्त की गई सुविधाओं का विवरण नीचे तालिका के अनुसार हैः

ऋण खाता सं.	विवरण राशि	ऋण खाता खोलने की तिथि
11955100000028	14,00,00,000	28.02.2015
11955100000019	1,00,00,000	28.02.2015
11955100000125	5,00,00,000	24.02.2017
कुल	20,00,00,000	

आप ने किस्तों/ब्याज के भुगतान में चूक की है तथा ब्याज के साथ ऋण राशि के लिये बैंक का आप पर इस तिथि को रु. 10,10,33,792.71 (रुपये दस करोड़ दस लाख तैंतीस हजार सात सौ बानवे पैसे इकहत्तर मात्र) की राशि अभी भी बकाया है। उसका ब्रेक अप इस प्रकार हैः

ऋण खाता सं.	11955100000028	11955100000019	11955100000125
वर्तमान बकाया/सीमा	54913563.00	2483146.00	40813340.00
उपचयित ब्याज/ लम्बित ब्याज*	1528426.02	68953.73	1226363.96
कुल	56441989.02	2552099.73	42039703.96
कुल योग			10,10,33,792.71

चूंकि, आपने उक्त ऋण के अंतर्गत वित्तीय अनुशासन का अनुपालन करने में बार–बार चूक की है, आपकी खाता को समय–समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार 30.04.2019 को गैर प्रचालन परिसम्पत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित तथा वर्गीकृत कर दिया गया है।
उक्त ऋण सुविधाएँ प्राप्त करने के लिये प्रतिभूतियाँ इस प्रकार हैः
1. उपरोक्त "कालका द पर्ल" प्रॉजेक्ट की अनसोल्ड यूनिट्स तथा विद्यमान सोल्ड/बुक्ड/एलाइनेटेड यूनिट्स की ऋणधारक की सम्पूर्ण वर्तमान एवं भविष्य की बिक्री राशि/रिसीवेबल पर हाइपोथेकेशन द्वारा एकाकी प्रभार।
2. खसरा नं. 387, ग्राम कालका, तहसील तिजारा, भिवाडी, जिला अलवर, राजस्थान में स्थित ऋणधारक की अचल सम्पत्ति (फ्लैटों/उस पर निर्मित/निर्मित होने वाली यूनिट्स सहित) पर इक्विटैबल मार्टगैज द्वारा प्रथम् एवं एकाकी प्रभार।
हम, एतद्द्वारा आपको निर्देश देते हैं कि इस सूचना के जारी करने की तिथि से 60 (साठ) दिनों की अवधि के भीतर अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा, हम ऊपर वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "प्रतिभूतिकरण अधिनियम" वर्णित) की धारा 13 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हमें उपलब्ध शक्तियों में अन्य बातों के अलावे शामिल हैः i) प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की उगाही के लिये पट्टा, एसाइन्मेन्ट द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने की शक्ति, ii) पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के अधिकार सहित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के प्रबंधन का अधिग्रहण तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की उगाही करना तथा हमारे द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्ति का कोई भी अंतरण अंतरिती में अंतरित की गई प्रतिभूत परिसम्पत्ति का अथवा उससे संबंधित सभी अधिकारों को इस प्रकार से निहित करेगा जैसे कि वह अंतरण आपके द्वारा ही किया गया हो।
उपरोक्त शक्तियों के प्रयोग से उगाही की गई राशि का प्रथम उपयोग ऐसे सभी लागतों (विधिक लागतों तथा वकीलों के शुल्कों तथा खर्चे सहित), चार्जेज तथा खर्चे के भुगतान में किया जायेगा जो हमारी अभिमत में हमारे द्वारा उचित रूप से वहन किये गये हैं अथवा उसके अनुषांगिक जो भी खर्चे हैं तथा द्वितीयतः उसका उपयोग इस सूचना की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक अनुबंधित ब्याज के साथ ऊपर वर्णित हमारी बकाये के निष्पादन में किया जाएगा तथा शेषधन, यदि कोई हो, का भुगतान आपको किया जायेगा।
कृपया ध्यान रहे कि इस सूचना के जारी होने की तिथि के बाद आप हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्ति अथवा उसके किसी भाग का बिक्री, पट्टा अथवा अन्य रूप से अंतरण अथवा कब्जे का परित्याग नहीं करेंगे।
हम, आपको यह भी सूचित करते हैं कि यदि उक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री राशि से हमारे प्रति आपकी देयता पूरी तरह से निष्पादित नहीं होती है तो हमें, आपसे शेष राशि की वसूली के लिये किसी उपयुक्त न्यायालय के समक्ष आपके (संयुक्त तथा पृथक रूप से) विरुद्ध जाने का अधिकार सुरक्षित है।
कृपया ध्यान रहे कि आप पर इस तिथि को रु. 10,10,33,792.71 (रुपये दस करोड़ दस लाख तैंतीस हजार सात सौ बानवे एवं पैसे इकहत्तर मात्र) की राशि बकाया है तथा हम सम्पूर्ण तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक अनुबंधित शर्तों (मासिक रेस्ट्स के साथ) के अनुसार ब्याज तथा लागतों के साथ आप (संयुक्त तथा पृथक रूप से) से उसकी वसूली करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
धन्यवाद के साथ
आपका विश्वासभाजन
डीसीबी बैंक लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी
(श्रीराम ऐयर)

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
(भारत सरकार का नवरत्न उपक्रम)
(A Navratna Undertaking of Govt. of India)
C-3 Mathura Road, Opposite Apollo Hospital, New Delhi – 110 076.
कॉनकॉर CONCOR

बोलियों के लिये आमंत्रण (आईएफबी)

निविदा सं.– सीओएन/ टी/ डीसीओएनटी–11/ 60020 एफटी/ ईओ एंड एसए/ 2019
बोली दस्तावेज के खंड–V में दिये गये तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार स्टील ड्राई फ्रेट कंटेनरों के 11,600 नग (टाइप– I का 1600 नग + टाइप–II का 1500 नग+ III का 8500 नग) की आपूर्ति के लिये प्रख्यात एवं स्थापित निर्माताओं से दो पैकेट निविदा प्रणाली में ऑन लाइन खुली/ सार्वभौमिक ई–निविदा आमंत्रित है। निविदाकर्ताओं के किसी एक टाइप के अथवा किसी दो टाइपों अथवा सभी तीनों टाइप के कंटेनरों के लिये कोट करने की अनुमति है। निविदा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

अनुमानित लागत	रु. 306.5 करोड़
निविदा दस्तावेज मूल्य	रु. 1000.00 अथवा यूएस डॉलर 15 जिसमें जीएसटी शामिल है, कॉनकॉर के ऑन लाइन भुगतान गेट वे के माध्यम से
बोली प्रतिभूति (धरोहर राशि)	रु. 20,00,000/– (आईएनआर) अथवा यूएस डॉलर 28,900
ई निविदा डाउनलोड की अवधि (निविदा बिक्री की अवधि)	24.06.2019 के 11.00 बजे से 2.8.2019 के 17.00 बजे
बोली पूर्व बैठक	15.7.2019 के 11.00 बजे– भारतीय मानक समय
बोली जमा करने की तिथि एवं समय	3.8.2019 के 17.00 बजे– भारतीय मानक समय
तकनीकी बोली खुलने की तिथि एवं समय	5.8.2019 के 11.30 बजे (आईएसटी) में

विस्तृत निविदा सूचना वेबसाईट **www.concorindia.co.in** तथा केन्द्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल की वेबसाईट (**http://eprocure.gov.in**) पर उपलब्ध है। सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज निविदा बिक्री अवधि के दौरान वेबसाइट(**www.tenderwizard.com/ CCIL**) से देखी तथा डाउनलोड की जा सकती है।
कार्यकारी निदेशक (तकनीकी)

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग,
परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

पुनः निविदा आमंत्रण सूचना

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसन्धान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, नई दिल्ली द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधोलिखित कार्य हेतु बंद निविदा आंमत्रित की जाती है।

क्रम सं.	निविदा संख्या	कार्य का विवरण	निविदा की लागत	निविदा बिक्री की अवधि/ जमा करने की अंतिम तिथि
1	निविदा संख्या - AMD/NR/Hir.Veh/2019-20 दिनांक 14.06.2019 निविदा तारीखः 08.07.2019 को (सांय 15:30 बजे) खोली जाएगी।	पखनि उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के क्षेत्रीय मुख्यालय मे कार्य के लिए एक वाहन ((SUV/MUV) छः + एक सीटर) को किराये पर लेने हेतु। अनुबंध की समय अवधि आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए। (उद्धृत दरों में समस्त कर GST आदि सम्मिलित होगा)	Rs 500/- नकद (पांच सौ रूपए) अप्रतिदेय उप वेतन अधिकारी, प.ख.नि.,उ.क्षेत्र	सभी कार्य दिवस 24.06.2019 से 05.07.2019 (11:00 hrs से 16:00 तक) निविदा जमा करने की अंतिम तारीखः 08.07.2019 (15:30 बजे तक)

निविदा दिनांक 08.07.2019 को15:30 बजे खोला जाएगा निविदा को वेबसाइट www.amd.gov.in पर देखा जा सकता है। क्षेत्रीय निदेशक बिना किसी कारण बताए निविदा को रद्द करने/वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखते है।' वाहन दो वर्ष से कम पुराना होना चाहिए।
पता :– पश्चमी खण्ड–7 रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली– 110066
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र
011–26101450/26101913, फैक्स : 011– 26107358

"प्रपत्र सं. आईएनसी–26"
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये समाचार पत्र में प्रकाशन के लिये विज्ञापन

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, नई दिल्ली उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
अनंदिता माइक्रो क्रेडिट सर्विसेस फाउण्डेशन जिसका पंजीकृत कार्यालय 7802, 3 रा तल, कत्रा जमालुद्दीन अरकशान रोड, पहारगंज, नई दिल्ली–110055 में है, के मामले में
.... आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उड़ीसा राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए बुधवार, 19 जून, 2019 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक के पतेः बी–2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
अनंदिता माइक्रो क्रेडिट सर्विसेस फाउण्डेशन
पंजी. कार्या. का पताः 7802, 3 रा तल, कत्रा जमालुद्दीन अरकशान रोड, पहारगंज, नई दिल्ली–110055
आवेदक के लिये तथा उसकी ओर से
हस्ता./–
आशीश कुमार दाश
स्थानः नई दिल्ली निदेशक
तिथि: 22.6.2019 **DIN: 07565098**
एच. न. जी–2, दूसरा तल, ग्रीन कुड सिटी साउथ सिटी साउथ सिटी–1, चकरपुर, गुड़गांव, हरियाणा–122002

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय : 2/121, आनंद पर्वत औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110005
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति और सम्पत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आनंद पर्वत, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना, दिनांक **24/12/2018** जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदारः मैसर्स लारा एक्सक्लुसिव, मालिक– श्री वरिन्दर सिंह,** को सूचना में उल्लिखित राशि **रु.1,20,04,615/– (एक करोड़ बीस लाख चार हजार छः सौ पन्द्रह रूपये मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। **कर्जदार** के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित **सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 18.06.2019** को ले लिया है। **कर्जदार** को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन–देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **रु.1,20,04,615/– (एक करोड़ बीस लाख चार हजार छः सौ पन्द्रह रूपये मात्र) एवं ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आनंद पर्वत, नई दिल्ली शाखा** के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा।
ऋणियों का ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप–अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।
अचल सम्पत्ति का विवरण
निम्नलिखित स्थित सम्पत्ति के सभी भाग एवं हिस्सेः
सम्पत्ति का विवरणः न्यू राजिन्दर नगर, नई दिल्ली–110060 में स्थित बिल्ट–अप सम्पूर्ण अपर ग्राउंड फ्लोर (बिना टैरेस/छत अधिकार), फ्रीहोल्ड निचली भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्से के साथ, सम्पत्ति सं. एफ–267 का भाग, परिमाप लगभग 125 वर्ग यार्ड। **सम्पत्ति का स्वामित्वः श्रीमती प्रीति बत्रा पत्नी श्री वरिन्दर सिंह जो घिरी है:**
उत्तरः सर्विस लेन **दक्षिणः** रोड
पूर्वः सम्पत्ति सं. एफ–266 **पश्चिमः** सम्पत्ति सं. एफ–268
स्थानः नई दिल्ली **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 18/06/2019 **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया**

रेजेन्सी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
CIN: L67120PB1993PLC013169
पंजी. कार्यालयः शॉप नं. 6, गणेश कॉम्प्लैक्स, जिरकपुर, पंजाब
Website: www.regencyinvestments.co.in
Email: regencyinvestmentsltd@gmail.com
Tel: 01724732618

कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज लिमिटेड से स्वैच्छिक असूचीकरण के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियमन, 2009, यथा संशोधित (असूचीयन विनियमन) के विनियमन 7 के साथ पठित विनियमन 6 (ए) के अनुपालन में 19 मार्च, 2019 को आयोजित उसकी बैठक में रेजेन्सी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड (कम्पनी) के निदेशक मंडल ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचैंज लिमिटेड (सीएसई) से कम्पनी की इक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक असूचीकरण को मंजूरी दी है।
तदनुसार सूचीयन विनियमन के विनियमन 6 (ए) तथा 7 के अनुसार कम्पनी सीएसई से अपनी इक्विटी शेयरों के असूचीकरण के लिए सीएसई में एक आवेदन करेगी। साथ ही, यह भी ध्यान रहे कि असूचीयन विनियमनों के विनियमन 6 (ए) के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों को निकास का अवसर दिए जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीएसई लिमिटेड (बीएसई), जो एक राष्ट्र–व्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल्स है, पर कम्पनी की इक्विटी शेयरों का सूचीयन जारी रहेगा। कम्पनी के शेयरधारक बीएसई पर सूचीयन के लाभों को प्राप्त करते रहेंगे।
रेजेन्सी इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
गौरव कुमार
स्थानः कोलकाता प्रबंध निदेशक
तिथि: 24.6.2019 **DIN: 06717452**

पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बेलिया में रविवार को प्राचीन धर्मराज मंदिर तक दंडवत होकर जाती बुजुर्ग महिला।

सरकारी बीमा कंपनियों का हो सकता है विलय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के एकीकरण के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। सरकार की योजना सभी सरकारी साधारण बीमा कंपनियों का न्यू इंडिया इंश्योरेंस में विलय करने की है। इसका मकसद एक अधिक मूल्य की परिसंपत्ति वाली कंपनी बनाना है।

सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाला निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी बेचने का विकल्प भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार सरकार का विचार यह है कि सरकारी साधारण बीमा कंपनियों में सार्वजनिक हिस्सेदारी को तेजी से बेचा जाए। यह पिछले दो साल से लंबित है।

इसके अलावा अन्य विकल्पों पर भी विचार विमर्श चल रहा है। इसमें ऐसे नए शेयर जारी करना जिन्हें न्यू इंडिया इंश्योरेंस खरीदे या उसे सीधे शेयरों की बिक्री करने के विकल्प भी शामिल हैं। एक अन्य विकल्प चारों कंपनियों का विलय कर भारतीय जीवन बीमा निगम की तरह एक बड़ी कंपनी बनाने का भी है। एक बार विलय हो जाने के बाद सरकार इसमें हिस्सेदारी की बिक्री करे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए ईएंडवाई को सलाहकार नियुक्त किया है।

सरकारी साधारण बीमा कंपनियों का एकीकरण करना सरकार की विनिवेश रणनीति का हिस्सा है। 2017 में सरकार ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराया था और इस बिक्री से सरकारी खजाने में धन आया था। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य तय किया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में यह 85,045 करोड़ रुपए था।

तेजाबी हमले में लड़की की मौत की गुत्थी अब भी अनसुलझी

भागलपुर 23 जून (जनसत्ता)।

तेजाबी हमले के 37 दिनों के बाद दम तोड़ चुकी काजल की मौत पुलिस के लिए अनबुझ पहेली बन गई है। जानकार बताते हैं कि पुलिस अब इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रही। इसी का नतीजा है कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी हुई मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने की वैसी हड़बड़ी किसी ने नहीं दिखाई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहां से एसएसपी आशीष भारती ने अपने मातहत अधिकारी को भेज मंगवाई है। रिपोर्ट मिल जाने की बात भी शनिवार को एसएसपी ने स्वीकार की है।

रिपोर्ट में काजल का शरीर आग से जला बताया गया है। 37 रोज तक मौत से जंग लड़ती उसके साहस ने 27 मई को दम तोड़ दिया था। उसे बनारस से एक रोज पहले एअर एंबुलेंस से ले जाकर बेहतर इलाज के वास्ते भती कराया गया था। इंटर की छात्रा काजल पर तेजाबी हमला 19 अप्रैल की शाम को हुआ था।

इलाज के दौरान डॉक्टरों ने शरीर झुलसने की वजह तेजाबी हमला बताया था। तीन दिन पहले राज्य के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से इस बाबत सवाल पूछने पर इस मामले को पेचीदा बताया था।

पुलिस चौकी में गोलीबारी
पूर्णिया, 23 जून : बिहार के पूर्णिया जिला के बायसी थाना अंतर्गत दालकोला जांच चौकी पर रविवार को अपराधियों ने गोलियां चलाई जिसमें होमगार्ड का एक जवान घायल हो गया। **(भाषा)**

मध्य प्रदेश में जेल से चार कैदी फरार

नीमच (मध्य प्रदेश), 23 जून (भाषा)।

मध्य प्रदेश के नीमच जिला मुख्यालय से करीब पांच किलोमीटर दूर कनावटी उपजेल से चार कैदी जेल तोड़कर रविवार को फरार हो गए। फरार हुए इन कैदियों में दो राजस्थान के खूंखार सजायाफ्ता मादक पदार्थ तस्कर शामिल हैं।

कनावटी उपजेल के जेलर आरपी वसुनिया ने बताया, 'रविवार अल सुबह तीन से चार बजे के बीच जेल के चार कैदी नाहर सिंह (20), पंकज मोंगिया (21), लेख राम (29) एवं दुबे लाल (19) ने अपने बैरक की सलाखें काटकर रस्सी के सहारे जेल की 22 फुट ऊंची दीवार को लांघकर भाग गए।' जेल प्रशासन को अंदेशा है की यह रस्सी कैदियों के मददगारों ने बाहर से फेंकी थी। उन्होंने कहा कि नाहर एवं पंकज राजस्थान के क्रमशः उदयपुर एवं चित्तौड़ के रहने वाले थे और मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सजायाफ्ता कैदी थे, जबकि बाकी दोनों मध्यप्रदेश के निवासी थे।

फरार हुए इन कैदियों में दो राजस्थान के खूंखार सजायाफ्ता मादक पदार्थ तस्कर शामिल हैं

वसुनिया ने बताया कि लेख राम मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का रहने वाला है और वह लूट एवं हत्या के मामले में आरोपी है, जबकि दुबे लाल मध्य प्रदेश के मंडला जिले का निवासी हैं और वह भादंवि की धारा 376 (बलात्कार) के मामले में 10 वर्ष की सजा कटा रहा था। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर अजय गंगवार, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सगर सहित आला प्रशासनिक और पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे।

इस बीच, पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान से लगी तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया है। साथ ही टोल एवं बैरियर्स के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है फरार कैदी जल्द पकड़े जाएंगे।

मध्य प्रदेश पुलिस निदेशक जेल डीजी संजय चौधरी ने इन फरार हुए कैदियों पर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया है।

देश को जल्द मिलेगी नई शिक्षा नीति : निशंक

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून 23 जून।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जल्दी ही देश को नई शिक्षा नीति मिलेगी। नई शिक्षा नीति का प्रारूप क्या हो, इस बारे में जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने वाली होगी। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शिक्षा मिल सके। वे रविवार को ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति को संबोधित कर रहे थे।

निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति ज्ञान-विज्ञान के अलावा रोजगारोन्मुख होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों एनआइटी, आइआइएम, सीबीएससी बोर्ड, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, एनएफटी जैसे संस्थानों के कामकाज की गहन समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में एनआइटी के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

निशंक ने कहा कि उत्तराखंड सरकार को राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए प्रधानमंत्री का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से बेहद लगाव है।

निशंक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने पांचों लोकसभा सीटें भाजपा को फिर से जीताकर ऐतिहासिक कार्य किया है और उत्तराखंड में इस बार भाजपा को लोकसभा चुनाव में 61 फीसद मत मिले हैं। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा 27 जुलाई से विशेष सदस्यता अभियान चलाएगी।

'पूरी दुनिया हमारा परिवार है'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

हम 'वसुधैव कुटुम्बकम' की बात करते हैं। हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। इतना बड़ा, उदार मन और चरित्र सिर्फ हिंदुस्तान का ही हो सकता है और कहीं का नहीं हो सकता है। ये बातें मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने जन कल्याण समिति की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में आयोजित 'संकल्प' गुरु सम्मान कार्यक्रम में रविवार को कहीं।

TTL ENTERPRISES LIMITED
(Formerly known as Trupti Twisters Limited)
Registered Office: 304, 3rd Floor, Shoppers Plaza-5, Opp. Municipal Market, C.G.Raod, Navrangpura, Ahmedabad –380009, Gujarat, India.
Tel.: +919408271797 | Email ID: truptitwister@gmail.com | Website: www.truptitwister.com
CIN: L17119GJ1988PLC096379

CORRIGENDUM TO THE LETTER OF OFFER

This Corrigendum to the Letter of Offer (this **'Corrigendum'**) is being issued by Kunvarji Finstock Private Limited **('Manager to the Offer')** on behalf of Ardent Ventures LLP **('Acquirer')** in pursuant to Letter of Offer dispatched on June 17, 2019 to the Equity Shareholders of TTL Enterprises Ltd (Formerly Known as Trupti Twisters Limited) **('Target Company')**.

Shareholders of the Target Company are requested to note that Tendering period will be closed on 10th Working Day i.e. July 08, 2019, Monday instead of July 10, 2019, Wednesday as per Regulation 18(8) of SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Corrigendum to the Letter of Offer should be read in Continuation of, and in conjunction with, the LoF, unless specified otherwise. All other Schedule of Activities, Terms and Conditions remain Unchanged as disclosed in LoF.

PRE-OFFER ADVERTISEMENT AND CORRIGENDUM TO THE DETAILED PUBLIC STATEMENT UNDER REGULATION 18 (7) IN TERMS OF SEBI (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011

This Advertisement and Corrigendum to the Detailed Public Statement is being issued by Kunvarji Finstock Private Limited **('Manager to the Offer')**, on behalf of Ardent Ventures LLP **('Acquirer')** pursuant to Regulation 18(7) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 in respect of the Open Offer to acquire Shares of TTL Enterprises Ltd (Formerly Known as Trupti Twisters Ltd **('Target company' or 'TC')**.The Detailed Public Statement **('DPS')** with respect to the aforementioned Open Offer was made on April 24, 2019, Wednesday in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Financial Express (Gujarati) (Ahmedabad Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) (Mumbai Edition).

This Pre-Offer Advertisement is being issued in all the newspapers in which the DPS was published.

1. **Offer Price:** The Offer is being made at a price of Rs. 1/- (Rupee One Only) per Equity Share, payable in cash and there has been no revision in the Offer Price.
2. **Recommendations of the Committee of Independent Directors:** A Committee of Independent Directors of the TC (the "IDC") published its recommendation on the Offer on June 21, 2019 in Financial Express (English) (All Editions), Jansatta (Hindi) (All Editions), Financial Express (Gujarati) (Ahmedabad Edition) and Mumbai Lakshadeep (Marathi) (Mumbai Edition). The IDC is of the opinion that the Offer Price to the Public Shareholders of the Target Company is fair and reasonable and is in line with SEBI (SAST) Regulations, 2011. The Public Shareholders may, therefore, independently evaluate the Offer and take an informed decision.
3. This Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI Takeover Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.
4. The Letter of Offer was dispatched on June 17, 2019, Monday to all the Eligible Shareholders of the TC, whose names appear in its Register of Members on June 11, 2019, the Identified Date.
5. Please note that a copy of the LOF is also available on SEBI's website (http://www.sebi.gov.in/).
6. Instructions for Public Shareholders:
   A. In Case of Equity Shares held in Physical Form: a) As per the provisions of Regulation 40(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and SEBI PR 51/2018 dated December 3, 2018, requests for transfer of securities shall not be processed unless the securities are held in dematerialized form with a depository w.e.f. April 1, 2019. **b) ACCORDINGLY, THE PUBLIC SHAREHOLDERS WHO ARE HOLDING EQUITYSHARES IN PHYSICAL FORM AND ARE DESIROUS OF TENDERING THEIR EQUITY SHARES IN THE OFFER CAN DO SO ONLY AFTER THE EQUITY SHARES ARE DEMATERIALIZED. SUCH PUBLIC SHAREHOLDERS ARE ADVISED TO APPROACH ANY DEPOSITORY PARTICIPANT TO HAVE THEIR EQUITY SHARES DEMATERIALIZED.**
   B. In case of Equity Shares held in dematerialized form: An Eligible person may participate in the Open Offer by approaching their broker/selling member and tender shares in the open offer as per the procedure as mentioned in the LoF along with details.
   THE PUBLIC SHAREHOLDERS HOLDING SHARES IN DEMAT MODE (INCLUDING THOSE PHYSICAL SHAREHOLDERS WHO DEMAT THEIR PHYSICAL SHARES FOR THE PURPOSE OF TENDERING IT IN THE OPEN OFFER) ARE NOT REQUIRED TO FILL ANY FORM OF ACCEPTANCE.
7. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on May 02, 2019. All observations, received from SEBI by way of their letter no. SEBI/HO/CFD/DCR2/OW/06782/2019 dated June 06, 2019 in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations, have been duly incorporated in the LoF.
8. There have been no other material changes in relation to the Offer, since the date of the Public Announcement on April 15, 2019, save as otherwise disclosed in the DPS and the Letter of Offer.
9. As on date, to the best of the knowledge of Acquirer, no Statutory Approvals are required for the offer except as mentioned in the Letter of Offer.
10. Revised Schedule of Activities:
    Consequent upon the change of expiry of Tendering Period, the revised schedule is as under:

ACTIVITY	DATE AND DAY (ORIGINAL)	DATE AND DAY (REVISED)
Public Announcement (PA) Date	April 15, 2019, Monday	April 15, 2019, Monday
Detailed Public Statement (DPS) Date	April 24, 2019, Wednesday	April 24, 2019, Wednesday
Last date for a competing offer	May 16, 2019, Thursday	May 16, 2019, Thursday
Identified Date	May 27, 2019, Monday	June 11, 2019, Tuesday
Date by which LoF will be dispatched to the shareholders	June 03, 2019, Monday	June 17, 2019, Monday
Issue Opening PA Date	June 10, 2019, Monday	June 24, 2019, Monday
Last date by which Board of TC shall give its recommendations	June 07, 2019, Friday	June 21, 2019, Friday
Date of commencement of tendering period (Offer opening Date)	June 11, 2019, Tuesday	June 25, 2019, Tuesday
Date of expiry of tendering period (Offer closing Date)	June 25, 2019, Tuesday	July 08, 2019, Monday
Date by which all requirements including payment of consideration would be completed	July 10, 2019, Wednesday	July 22, 2019, Monday

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Advertisement and also for the obligations of the Acquirer as laid down in SEBI (SAST) Regulations. This Advertisement will also be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in.

Issued by the Manager to the Offer on behalf of the Acquirer

MANAGER TO THE OFFER
KUNVARJI
Driven By Knowledge

KUNVARJI FINSTOCK PRIVATE LIMITED
Block B, First Floor, Siddhi Vinayak Towers, Off S. G. Highway Road, Mouje Makarba, Ahmedabad, Gujarat - 380051
SEBI Reg. No.: MB/INM000012564
Email Id: trusha.thakkar@kunvarji.com; Website:www.kunvarji.com
Contact Person: Ms. Trusha Thakkar; Tel. No.: 079- 66669000

For and on behalf of Acquirer (Ardent Ventures LLP)
Sd/-
Mr. Keyoor Bakshi
Designated Partner

Date: June 24, 2019
Place: Ahmedabad

ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स
(भारत सरकार का उपक्रम)
शाखा : मेन बाजार, बिलारी (मुरादाबाद)

कब्जा सूचना

जहाँ कि, अधोहस्ताक्षरी ने, जोकि प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुर्नगठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन ओरियन्टल बैंक ऑफ कामर्स का प्राधिकृत अधिकारी है तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम-3 के साथ पठित धारा-13 (12) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणकर्ता/गारन्टर को एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें कि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि, ब्याज सहित चुकाने की मांग की गई थी। चूँकि ऋणकर्ता राशि को चुकाने में असमर्थ रहा है, एतद्द्वारा ऋणकर्ता एवं आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित संपत्ति पर इस दिन (नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार) कब्जा कर लिया है। एतद्द्वारा ऋणकर्ता को विशेषतः और जनता को साधारणतः सूचित किया जाता है कि इस संपत्ति से कोई सरोकार न रखें तथा इस संपत्ति से संबंध रखने पर ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स को निम्न अनुसार उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज का भुगतान करने को बाध्य होगा। सुरक्षित सम्पत्ति के एवज में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

क्र.सं.	ऋणकर्ता/ बंधककर्ता का नाम	बन्धीकृत सम्पत्ति का ब्यौरा/सम्पत्ति के स्वामी का नाम	डिमाण्ड/कब्जा नोटिस की तिथि	बकाया राशि 31.05.2019 को (रुपयों में)
1.	ऋणी : अरशद हुसैन पुत्र श्री नजाकत हुसैन, मोहल्ला अब्दुल्ला दखिरी, वार्ड नं. 11, टाउन बिलारी व जिला मुरादाबाद-244411 गारंटर : चाँद मोहम्मद पुत्र श्री आबिद हुसैन, मोहल्ला अंसारियान, निकट हुसैनी झंडा, टाउन बिलारी व जिला मुरादाबाद-244411	साम्यिक बंधक सम्पत्ति स्थित मोहल्ला अब्दुल्ला वार्ड नं. 11, टाउन बिलारी, तहसील व शहर बिलारी जिला मुरादाबाद। क्षेत्रफल 82.81 वर्गमी. जोकि श्री अरशद हुसैन पुत्र श्री नजाकत हुसैन के नाम है। विक्रय पत्र के अनुसार सीमायें :- पू.-नासिरा का प्लाट, प.-नजाकत का प्लाट, उ.-आम रास्ता 16 फिट चौड़ा, द.-नाला।	27.03.2019 व 21.06.2019	6,02,379/- + ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक : 24.06.2019 स्थान : मुरादाबाद प्राधिकृत अधिकारी, ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स

pnb Housing Finance Limited
पंजी. कार्यालयः 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोनः 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः www.pnbhousing.com

शाखा का पताः डी-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र.-201301, फोनः 0120-6511224-26, ई-मेलः customarcare@pnbhousing.com
शाखा का पताः 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001, फोनः 011-23357170/74, ईमेलः customarcare@pnbhousing.com
शाखा का पताः एच. नं. 36, ब्लॉकः बी-1, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, फोनः 011-25546073/74/7570/74, ईमेलः customarcare@pnbhousing.com
शाखा का पताः एस-8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लैक्स, ग्रीन पार्क, नई दिल्ली-110016, टेलीः 011-26512911, ईमेलः customarcare@pnbhousing.com
शाखा का पताः यूजी-1, एसजी बीटा टावर, प्लॉट नं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201011, फोनः 0120-2699117, ईमेलः customarcare@pnbhousing.com

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, यथा-संशोधित के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. (यहां के बाद "पीएनबीएचएफएल") ने डी-2, सेक्टर-3, नोएडा, उ.प्र.-201301 में स्थित हमारी नोएडा शाखा कार्यालय एवं साथ ही 8वाँ तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में स्थित हमारी दिल्ली शाखा कार्यालय एवं साथ ही एच. नं. 36, ब्लॉकः बी-1, भूतल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 में स्थित हमारी जनकपुरी शाखा कार्यालय एवं साथ ही एस-8, उपहार सिनेमा कॉम्प्लैक्स, ग्रीन पार्क एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110016 में स्थित हमारी ग्रीन पार्क शाखा कार्यालय एवं साथ ही यूजी-1, एसजी बीटा टावर, प्लॉट नं. 10, सेक्टर-3, वसुन्धरा, गाजियाबाद (उ.प्र.)-201011 में स्थित हमारी गाजियाबाद शाखा कार्यालय द्वारा वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के चैप्टर III की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना जारी किया था। उक्त मांग सूचना नीचे वर्णित आप सभी ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों को हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से जारी की गई थी क्योंकि किस्तों/ब्याज का भुगतान नहीं करने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-प्रचालन परिसम्पत्तियों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। उसका विषय-वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। बकाया राशि नीचे वर्णित है। पुनः कारणों के आधार पर हमारा मानना है कि आप मांग सूचना की अनदेखी कर रहे हैं, अतः उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार इस मांग सूचना का प्रकाशन अपरिहार्य हो गया है। एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन ब्याज एवं चार्जेज के साथ उक्त राशि का मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को भुगतान करें, अन्यथा पीएनबीएचएफएल ऋणधारकों तथा गारन्टरों की प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कब्जा करने सहित किसी एक या अधिक प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अंतर्गत किसी एक अथवा सभी जरूरी कार्रवाई शुरू करेगा।

आपका ध्यान वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन की तिथि तक पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान कर सकते हैं। कृपया ध्यान रहे कि यदि सार्वजनिक नीलामी द्वारा, जनता से कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर अथवा निजी संधि द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये सूचना के प्रकाशन से पूर्व पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ बकाया देयता की सम्पूर्ण राशि का भुगतान नहीं करते हैं तो उसके बाद आप प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) को विमोचित करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

पुनः उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत उपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य रूप से अंतरित करने से आप प्रतिबंधित हैं।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक एवं सह-ऋणधारक का नाम/पता	गारन्टर का नाम/ पता	गिरवी रखी गई सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि
1.	NHL/GRP/ 0715/234395 बी.ओ.: ग्रीन पार्क	विपिन कामरा, राशि कामरा, एच. नं. एन-48, मेफिल्ड गार्डन, सेक-51, गुड़गाँव, हरियाणा-122002		शॉप नं. एफएफ/19, पारस टिएरा, प्लॉट नं. जीएच-01, सेक्टर-137, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201310	03/06/2019	रु. 25,68,511.60 03/06/2019 को
2.	HOU/GRP/ 0915/241341 बी.ओ.: ग्रीन पार्क	प्रतीक सक्सेना, पल्लवी सक्सेना सी 6बी/78, प्रथम् तल, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058	एन.ए.	1606, 16, टावर ए, सर्किट हाइट्स (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-04, सेक्टर-25, जयपी स्पोर्ट्स इन्टरनेशनल, यमुना एक्सप्रैसवे, गौतमबुध नगर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201312	03/06/2019	रु. 17,33,425.92 03/06/2019 को
3.	HOU/GRP/ 0215/213017 बी.ओ.: ग्रीन पार्क	इन्दरजीत शर्मा, मंजू शर्मा वाई-183ए, सेक्टर-12, सब्जी मंडी, उ.प्र., नोएडा, गौतमबुध नगर, उत्तर प्रदेश-201301	एन.ए.	2107, 21, टावर सीए 7, कैपिटल एथेना, प्लॉट नं. जीएच-12ए-2, सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा, ईको विलेज-1 (प्रॉजेक्ट), नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	10-06-2019	रु. 37,96,529.93 10-06-2019 को
4.	HOU/GRP/ 1116/332529 बी.ओ.: ग्रीन पार्क	रितिका सोनी, शशि चोपड़ा, एच. नं.-49, 1ल तल, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015	एन.ए.	1701, 17, टावर ए, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-15ए, सेक्टर-1, नोएडा एक्स्टें., एनए, निकट सुपरटेक ईको विलेज-1, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	17-06-2019	रु. 49,60,791.79 17-06-2019 को
5.	HOU/GRP/ 0117/347108 बी.ओ.: ग्रीन पार्क	पूजा ए कुमार, अमित कुमार, 1001, ब्लॉक-बी 2ए, पॉकिट-2, गोल्फ लिंक रेजीडेन्सी, सेक्टर-18बी, द्वारका, दिल्ली-110078	एन.ए.	1705, 17, टावर जी, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-15ए, सेक्टर-1, नोएडा एक्स्टें., एनए, निकट सुपरटेक ईको विलेज-1, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	17-06-2019	रु. 47,51,740.60 17-06-2019 को
6.	HOU/GRP/ 0317/359235 बी.ओ.: ग्रीन पार्क	अभिशेक वर्मा, नरेन्दर कुमार वर्मा, एच. नं. 59/11, 3रा ता, गली नं. 5, रशीद मार्केट, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051	एन.ए.	1806, 18, टावर जी, अंतरिक्ष गोल्फ लिंक (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-15ए, सेक्टर-1, नोएडा एक्स्टें., एनए, निकट सुपरटेक ईको विलेज-1, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	17-06-2019	रु. 46,89,507.60 17-06-2019 को
7.	HOU/GRP/ 0317/367871 बी ओः ग्रीन पार्क	सिद्धार्थ शर्मा, अंकिता 7525, नवी करीम, पहारगंज तेल मिल मार्ग, नई दिल्ली-110055	एन. ए.	1706, 17,टावर जी, अंतरिक्ष लिंक (होल्ड), प्लॉट नं. जीएच-15ए, सेक्टर-9, नोएडा एक्स्टें., एन ए, निकट सुपरटेक ईको विलेज-1, एन ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	17.06.2019	रु. 41,45,734.89 17.06.2019 को
8.	NHL/GHA/ 0518/534583 बी ओः ग्रीन पार्क	अमित गुप्ता, तृप्ति गुप्ता, एमसी कॉय इन्फोसर्व, 11/206, सेक्टर-3, राजेन्दर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201005		सम्पत्ति सं.-36, प्रथम तल, सेक्टर-5, मैन जीटी रोड, राजिन्दर नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009	17.06.2019	रु. 32,01,131.03 17.06.2019 को
9.	HOU/GRP/ 0216/264883 बी ओः गाजियाबाद	श्री प्रदीप कुमार शर्मा, श्रीमती शारदा शर्मा मकान सं. जे-626, गली नं. 5, करतार नगर, भजन पुरा, उत्तर पूर्व दिल्ली-110053		फ्लैट नं. 2102, 21 वां तल, टावर-सी-7, कैपिटल एथेना, प्लॉट नं. जीएच-12ए-2, सेक्टर-01, ईको विलेज-1, के निकट (प्रॉजेक्ट), ग्रेटर नोएडा-201301 (उ.प्र.)	13.06.2019	रु. 34,14,746.09 13.06.2019 को
10.	0001 6660008264 बीओः दिल्ली	श्री अमित दत्ता, श्रीमती राधिका माथुर 1077/डी-1, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 पताः मकान सं. 1289, सेक्टर-ए, पॉकेट बी एवं सी, वसंत कंज, नई दिल्ली-110070		फ्लैट नं. टी 11-803, 8वां तल, पार्श्वनाथ प्रेस्टॉन, सोनीपत, हरियाणा	03.06.2019	रु. 27,38,301.99 03.06.2019 को
11.	0001 6660011359 बीओः दिल्ली	श्री राकेश कुमार गौर, श्रीमती पार्वती गौर, एफ-1, प्लॉट नं. 86, सेक्टर 2 बी, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010, पताः फ्लैट नं. 404, प्लॉट नं. 62, सेक.-2ए, कोपरखिने, नवी- मुम्बई-400709		यूनिट नं. डी-101, प्रथम तल, टावर-डी, रेसीजोन रेजीडेन्सी, मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून, उत्तरांचल-248001	03.06.2019	रु. 60,79,728.88 03.06.2019 को
12.	"0001 6660005076 बीओः दिल्ली	श्री आनंद पाल मलिक, पुत्र अमित सिंह मलिक, फ्लैट नं. जी-2, ब्लॉक- बी, भू तल, प्लॉट नं.-188, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-II, गाजियाबाद-201005, उ.प्र.	श्रीमती पूनम सुरीठा, पताः ब्लॉक 101/ 15, पुष्प विहार, दिल्ली-110017 श्री एन.के. राजपूत पताः 2बी/276, वसुन्धरा, इन्दिरापुरम गाजियाबाद, उ.प्र.-201014	फ्लैट नं. जी-2, प्लॉट नं. 188, ब्लॉक-बी, भू तल, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-II, साहिबाबाद, परगना लोनी, जिला गाजियाबाद-201005, उ.प्र.	11.06.2019	रु. 29,26,285.77 11.06.2019 को
13.	HOU/ NOI/ 0718/ 556822 बी.ओ.: नोएडा	श्री अजय कुमार तिवारी, श्रीमती शशि, 320/ 10 के, गली नं.- 15, करतार नगर, गौतम विहार चौक के निकट, गढ़ी मांडु, उत्तर पूर्व दिल्ली, नई दिल्ली-110053		4/40, भू तल, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010	03.06.2019	रु. 58,00,456.66 03.06.2019 को
14.	0016 6660002838 बी.ओ.: नोएडा	श्रीमती निर्मल मखीजा, श्री सचिन मखीजा, श्री विनय मखीजा, सी-154, 2रा तल, ब्लॉक-सी, मजलिस पार्क, नई दिल्ली- 110033	अवतार सिंह, ई-2/26, ब्लॉक ई-2, शास्त्री नगर, नई दिल्ली-110052	प्लॉट नं.- 365, 2रा तल , शक्ति खंड-4, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014	03.06.2019	रु. 25,95,650.28 03.06.2019 को
15.	HOU/ NOI/ 1216/ 341572 बी.ओ.: नोएडा	श्री राहुल पंवार, श्रीमती नीति, ए-28, गली नं. 2, गौकुलपुर विलेज, कुआं चौक के निकट, दिल्ली- 110094	एन.ए.	फ्लैट नं.- 3105, 31, टावर एसजी-8, सूर्या गोल्ड एवैन्यू, प्लॉट नं. 10 (10/1), वैभव खंड, इन्दिरापुरम, शिप्रा मॉल के निकट, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014	03.06.2019	रु. 45,54,666.13 03.06.2019 को
16.	0016 6660003255 बी.ओ.: नोएडा	श्री अभिलाश शुक्ला, श्रीमती शिवाली शुक्ला, ए-265, सेक्टर-31, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	एन.ए.	फ्लैट नं. बी-1502, 15वां तल, जयपुरिया अपार्टमेन्ट, क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201016	03.06.2019	रु. 21,68,638.02 03.06.2019 को
17.	0016 666000266 बी.ओ.: नोएडा	श्रीमती शिखा सहनी, श्री गगन सहनी, मकान सं.- 408, 1ला तल, शक्ति खंड-4, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012	श्री के.के.एस. बोरा बी-6, एफ-2, अल्यम अपार्टमेन्ट, रापुरी, सूर्यानगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011	फ्लैट नं. ए-804, 8वां तल, ब्लॉक-ए, गार्डेनिया ग्रीन अपार्टमेन्ट, प्लॉट नं. सी-10, सेक्टर-18, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012	03.06.2019	रु. 10,86,373.34 03.06.2019 को
18.	NHL/ JAN/ 0616/ 298258 & HOU/JAN/ 0716/305220 बी.ओ.: जनकपुरी	श्री मानविन्दर सिंह सॉहनी, श्रीमती जीवा साहनी तथा श्रीमती मोहिन्दर कौर, साहनी, डी-366, बेस्मेन्ट तथा भू तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024	एन.ए.	बेस्मेन्ट तथा भू तल, डी-366, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024	03.06.2019	रु. 4,99,13,672.54 03.06.2019 को
19.	HOU/ JAN/ 1215/ 257180 बी.ओ.: जनकपुरी	श्री हिमांशु राय दत्ता, श्रीमती पूनम दत्ता, एफ-96, सेक्टर- 56, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301	एन.ए.	302, तीसरा तल, टावर बी-4, मोर्फेयस प्रतीक्षा, प्लॉट नं.: जीएच-16 ए, सेक्टर-01, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश- 201301	03.06.2019	रु. 14,47181.85 03.06.2019 को

स्थानः नोएडा/ दिल्ली/ जनकपुरी/ गाजियाबाद/ ग्रीन पार्क, तिथिः 22.06.2019 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

दिलचस्प आंकड़े

रन	13010	सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर
विकेट	385	
छक्के	241	उच्चतम स्कोर डेविड वार्नर
अर्धशतक	71	

शमी ने हैट्रिक पर कहा, माही भाई ने बोला था यॉर्कर डालो

साउथम्पटन, 23 जून (भाषा)।

भारतीय टीम के लिए एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी की सलाह तुरुप का इक्का साबित हुई। अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने अंतिम ओवर में मोहम्मद शमी को यॉर्कर डालने के लिए कहा था। इनकी यह रणनीति कामयाब भी रही। शमी चेतन शर्मा के बाद विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। 1987 में शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था। 50 ओवरों के विश्व कप इतिहास में यह 10वीं हैट्रिक है।

शमी ने कहा कि रणनीति सरल थी और वो यार्कर डालने की थी। यहां तक कि माही भाई ने भी इसी का सुझाव दिया। उन्होंने कहा था कि अब कुछ भी मत बदलो क्योंकि तुम्हारे पास हैट्रिक हासिल करने का शानदार मौका है। उन्होंने कहा कि हैट्रिक एक शानदार उपलब्धि है और तुम्हें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने वही किया जो मुझे बताया गया था।

भुवनेश्वर कुमार की हैमस्ट्रिंग जकड़न के कारण शमी को इस मैच में खेलने का मौका मिला और बंगाल के इस तेज गेंदबाज ने स्वीकार किया कि वह भाग्यशाली रहे कि उन्हें अंतिम एकादश में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि अंतिम एकादश इलेवन में शामिल होने का मौका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं जानता था जब भी मुझे मौका मिलेगा तो इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। जहां तक हैट्रिक की बात है तो विश्व कप में कम से कम यह दुर्लभ ही है। मैं इससे खुश हूं। शमी ने कहा कि अंतिम ओवर में सोचने का समय नहीं था और लक्ष्य यही था कि रणनीति के हिसाब से खेला जाए। उन्होंने कहा कि सोचने का समय नहीं था। आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप वैरिएशन आजमाते भी हैं, तो रन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। मैं बल्लेबाज का दिमाग पढ़ने की कोशिश करने के बजाए अपनी रणनीति का कार्यान्वयन करना चाहता था।

विश्व कप में हैट्रिक

चेतन शर्मा	1987	न्यूजीलैंड	केमार रोच	2011	नीदरलैंड
सकलैन मुश्ताक	1999	जिंबाब्वे	लसिथ मलिंगा	2011	केन्या
चामिंडा वास	2003	बांग्लादेश	स्टीवन फिन	2015	आस्ट्रेलिया
ब्रेट ली	2003	केन्या	जेपी डुमनी	2015	श्रीलंका
लसिथ मलिंगा	2007	द. अफ्रीका	मोहम्मद शमी	2019	अफगानिस्तान

धोनी-जाधव की बल्लेबाजी से खुश नहीं तेंदुलकर

साउथम्पटन, 23 जून (भाषा)।

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की धीमी बल्लेबाजी पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी और केदार जाधव सहित मध्यक्रम में सकारात्मक बल्लेबाजी की कमी दिखी है। अफगानिस्तान के स्पिनरों के सामने भारतीय मध्यक्रम रन बनाने के लिए संघर्ष करता दिखा। तेंदुलकर ने एक टीवी चैनल से कहा कि मुझे थोड़ा निराशा हुई, यह बेहतर हो सकता था। मुझे केदार और धोनी की साझेदारी से भी निराशा हुई जो काफी धीमी थी। हमने स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ 34 ओवर बल्लेबाजी की और 119 रन बनाए। यह एक ऐसा पहलू है जहां हम बिल्कुल भी सहज नहीं दिखे।

अत्यधिक अपील के लिए कोहली पर जुर्माना

साउथम्पटन, 23 जून (भाषा)।

भारतीय कप्तान विराट कोहली पर अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच के दौरान आक्रामक तरीके से अपील करने के लिए उनकी मैच फीस का 25 फीसद जुर्माना लगाया गया। आइसीसी विज्ञप्ति के अनुसार, 'कोहली को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की आइसीसी की आचार संहिता की धारा 2.1 के उल्लंघन का दोषी पाया गया जो एक अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अत्यधिक अपील से संबंधित है।'

शनिवार को मैच के दौरान यह घटना अफगानिस्तान की पारी के 29वें ओवर में घटी जब कोहली अंपायर अलीम डार की ओर बढ़े। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंद पर रहमत शाह के पगबाधा आउट करने की अपील की गई थी। यह आइसीसी आचार संहिता के लेवल एक का उल्लंघन है जिसमें न्यूनतम सजा अधिकारी की फटकार होती है जबकि अधिकतम सजा खिलाड़ी की मैच फीस से 50 फीसद कटौती, एक या दो डिमैरिट अंक होते हैं।

कोहली ने अपराध स्वीकार कर इस जुर्माने को स्वीकार लिया है जो मैच रैफरियों के एमिरेट्स आइसीसी एलीट पैनल के मैच रैफरी क्रिस ब्रॉड द्वारा लगाया गया था। इसलिए अधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा कोहली के अनुशासनात्मक रेकार्ड में एक डिमैरिट अंक जुड़ गया है जो सितंबर 2016 में संशोधित संहिता के आने के बाद उनका दूसरा अपराध है।

कोहली के अब दो डिमैरिट अंक हैं। उन्हें 15 जनवरी 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रिटोरिया टैस्ट के दौरान एक डिमैरिट अंक मिला था। जब एक खिलाड़ी 24 महीने के अंदर चार या इससे ज्यादा अंक पर पहुंच जाता है तो इन्हें निलंबन अंक में बदल दिया जाता है और खिलाड़ी प्रतिबंधित हो जाता है।

दक्षिण अफ्रीका सेमी फाइनल की दौड़ से हुआ बाहर

जीत से पाकिस्तान की उम्मीदें कायम

लंदन, 23 जून (भाषा)।

हारिस सोहेल की तूफानी अर्धशतकीय पारी तथा गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से पाकिस्तान ने रविवार को यहां दक्षिण अफ्रीका को 49 रन से हराकर विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा। पाकिस्तान ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 308 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम नौ विकेट पर 259 रन ही बना पाई। यह दक्षिण अफ्रीका की पांचवीं हार है और सात मैचों में केवल तीन अंक होने के कारण वह सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गया है। पाकिस्तान के छह मैचों में पांच अंक हो गए हैं।

हारिस सोहेल की आकर्षक तूफानी पारी से पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप मैच में रविवार को सात विकेट पर 308 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। सोहेल ने अंतिम एकादश में जगह मिलने के मौके का फायदा उठाते हुए 59 गेंदों पर 89 रन बनाए। बाबर आजम (69 रन) ने पारी संवारी जबकि फखर जमां (44) और इमाम उल हक (44) ने पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़कर पाकिस्तान को ठोस शुरुआत दी।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान शॉट लगाते पाकिस्तान के फखर जमां।

सोहेल ने बाबर के साथ चौथे विकेट के लिए 81 और इमाद वसीम (23) के साथ पांचवें विकेट के लिए 71 रन की दो उपयोगी साझेदारियां कीं। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से लेग स्पिनर इमरान ताहिर (41 रन देकर दो) और लुंगी एनगिडी (64 रन देकर तीन) सबसे सफल गेंदबाज रहे। इन दोनों टीमों के लिए यह मैच करो या मरो जैसा था। ऐसे में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छी शुरुआत की। फखर जमां और इमाम ने शुरू में सहजता से बल्लेबाजी की और इस बीच रन गति भी बनाए रखी। यह दोनों जब दक्षिण अफ्रीका लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे थे तब ताहिर ने उसे वापसी दिलाई।

फखर जमां आउट होने वाले पहले बल्लेबाज थे। उन्होंने ताहिर की गेंद पर हाशिम अमला को कैच थमाने से पहले अपनी 50 गेंद की पारी में छह चौके और एक छक्का लगाया।

महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जर्मनी और नार्वे

पेरिस, 23 जून (एएफपी)।

जर्मनी ने शनिवार को फुटबॉल महिला विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जबकि नार्वे ने आस्ट्रेलिया का सपना चकनाचूर करते हुए पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से जीत हासिल की। नाइस में अंतिम 16 में नार्वे और आस्ट्रेलिया के बीच निर्धारित समय में स्कोर 1-1 से बराबर रहा जिसके बाद शूटआउट कराया गया। इससे 1995 में खिताब जीतने वाली टीम ने अंतिम आठ में प्रवेश किया जिसमें उसका सामना इंग्लैंड और कैमरून के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा।

न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को पांच रन से हराया

मैनचेस्टर, 23 जून (भाषा)।

कप्तान केन विलियमसन की करिअर की सर्वश्रेष्ठ 148 रन की पारी से न्यूजीलैंड ने विश्व कप के रोमांचक ग्रुप मैच में वेस्ट इंडीज पर पांच रन की करीबी जीत दर्ज की। वेस्ट इंडीज की टीम कार्लोस ब्रैथवेट के वनडे में पहले शतक के बावजूद जीत दर्ज नहीं कर सकी। इस हार से वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड टीम की यह पांचवीं जीत है जिससे वह छह मैचों में 11 अंक से तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है।

बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद विलियमसन ने न्यूजीलैंड को संकट से निकालते हुए लगातार दूसरे शतक से आठ विकेट पर 291 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाने में मदद की। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए क्रिस गेल (87) और शिमरोन हेटमेयर (54) ने अर्धशतकीय पारी खेली लेकिन वेस्ट इंडीज ने 27वें ओवर में 164 रन पर सात विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद ब्रैथवेट ने नौ चौके और पांच छक्के से 82 गेंद में 101 रन की शतकीय पारी खेलकर टीम को ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत के करीब पहुंचा दिया।

ब्रैथवेट ने 48वें ओवर में तीन छक्के और एक चौका लगाया जिससे वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 12 गेंद में आठ रन की दरकार थी। उन्होंने दो रन बनाकर अपना शतक पूरा किया लेकिन जिमी नीशाम के 49वें ओवर की अंतिम गेंद पर लांग ऑन पर ट्रैंट बोल्ट को कैच दे बैठे और वेस्ट इंडीज की पारी पांच रन पहले समाप्त हो गई।इससे पहले विलियमसन ने शुरुआती ओवर में मिले झटकों के बावजूद संभलकर खेलते हुए कीवी पारी को संभाला। उन्होंने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 106 रन बनाए थे। अपना 13वां वनडे शतक लगाने वाले विलियमसन ने 154 गेंद की पारी में 14 चौके और एक छक्का लगाया।

पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई न्यूजीलैंड टीम को शुरुआती ओवर में ही बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शेल्डन कोटरेल ने झटका दिया। सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल और कोलिन मुनरो खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए। कोटरेल ने 56 रन देकर चार विकेट लिए। इसके बाद विलियमसन और रोस टेलर ने 160 रन की साझेदारी की। टेलर ने 95 गेंद में 69 रन बनाए।

बांग्लादेशी रणबांकुरों के सामने अफगानिस्तान की चुनौती

साउथम्पटन, 23 जून (भाषा)।

सेमी फाइनल की उम्मीद जीवंत रखने के लिए बेताब बांग्लादेश को सोमवार को होने वाले विश्व कप मुकाबले में अफगानिस्तान की चुनौती से निपटना होगा। शुक्रवार को श्रीलंका के हाथों इंग्लैंड की हार ने बांग्लादेश की सेमी फाइनल में स्थान हासिल करने की उम्मीद तोड़ दी। अब वह निचले स्थान पर काबिज अफगानिस्तान के खिलाफ जीत से मौके का फायदा उठाना चाहेगा। मशरफी मुर्तजा की अगुआई वाली टीम अभी पांच अंक के साथ छठे स्थान पर काबिज है। हालांकि उसने टूर्नामेंट में अभी तक बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है।

वेस्ट इंडीज के खिलाफ 322 रन के लक्ष्य को बांग्लादेश ने महज 41.3 ओवर में हासिल कर लिया। आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उसने 382 रन का पीछा करते हुए आठ विकेट पर 333 रन बनाए। शाकिब अल हसन को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजना विश्व कप में अहम चीज रही है। यह ऑलराउंडर आस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर से सिर्फ 22 रन पीछे है जो टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर हैं।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता एफआइएच सीरीज फाइनल्स

हिरोशिमा, 23 जून (भाषा)।

ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर के दो गोल की बदौलत भारत ने रविवार को फाइनल में मेजबान जापान को 3-1 से हराकर महिला एफआइएच सीरीज फाइनल्स हॉकी टूर्नामेंट अपने नाम किया। महिला टीम ने हिरोशिमा हॉकी स्टेडियम में एशियाई चैंपियन पर शानदार जीत हासिल की। कप्तान रानी रामपाल ने तीसरे मिनट में ही भारत को बढ़त दिला दी लेकिन कानोन मोरी ने जापान के लिए 11वें मिनट में गोल कर बराबरी दिला दी।

इसके बाद गुरजीत ने 45वें और 60वें मिनट में गोल कर टीम की जीत सुनिश्चित की। दुनिया की नौंवे नंबर की भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचकर पहले ही 2020 ओलंपिक क्वालीफायर के अंतिम दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी थी। रानी टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं जबकि गुरजीत शीर्ष स्कोरर रहीं।

भारतीय कप्तान ने जापानी गोलकीपर अकियो टनाका को दाईं ओर से पछाड़कर गोल दागकर टीम को आगे कर दिया। भारत ने दबदबा बरकरार रखते हुए नौंवे मिनट मे दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया लेकिन फाउल कर बैठी। जापान की टीम मौके नहीं बना पा रही थी और उसने पहले 15 मिनट में केवल दो बार ही भारतीय सर्कल में प्रवेश किया।

कोपा अमेरिका : पेरू को 5-0 से रौंद कर ब्राजील क्वार्टर फाइनल में

साओ पाउलो, 23 जून (एएफपी)।

पेरू के गोलकीपर पेड्रो गालेसे की बड़ी गलती का फायदा उठाते हुए ब्राजील ने शनिवार को यहां कोपा अमेरिका कप के ग्रुप ए के मुकाबले में 5-0 से जीत दर्ज करके क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। इस जीत के साथ ही ब्राजील ग्रुप ए में शीर्ष पर रहा जबकि इस हार से पेरू तीसरे स्थान पर खिसक गया और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए उसे ग्रुप बी और ग्रुप सी के नतीजे पर निर्भर रहना होगा। ब्राजील के लिए कासमिरो, रोबर्टो फिर्मिनो, एवर्टन, दानी एल्वेस और विलियन ने गोल किए।

RAMNATH GOENKA EXCELLENCE IN JOURNALISM AWARDS

INDIAN EXPRESS GROUP

INDIA'S MOST PRESTIGIOUS AND COVETED JOURNALISM AWARDS

CALL FOR ENTRIES 2018

Acknowledging accuracy, courage, credibility & fairness

Award Categories

Print/Digital & Broadcast
- Reporting from Conflict States
- Hindi
- Regional Languages
- Environment, Science and Technology Reporting
- Uncovering India Invisible
- Business and Economic Journalism
- Reporting on Politics and Government
- Sports Journalism
- Investigative Reporting

Print/Digital
- Reporting on Arts, Culture and Entertainment
- Foreign Correspondent Covering India
- Editorial Commentary and Cartoons
- Books (Non-Fiction)
- Prakash Kardaley Memorial Award for Civic Journalism
- Photo Journalism
- Best Student-Run Newspaper, Magazine and Digital News Portal

Apply Online: rngfoundation.com/awards

LAST DATE FOR ENTRIES | JULY 15, 2019 | Entries are invited for the year 2018 only.

Ramnath Goenka Memorial Foundation, Express Building, B-1/B, Sector-10, Noida-201 301, Uttar Pradesh, India; rngf@expressindia.com

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 218, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।

कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।